# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 27 मई 2000

की

कार्य-सूची




लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 27 मई,2000 में

विचारणीय विषयों की सूची


| क्रमांक | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 22 जनवरी, 2000 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। | 1–14 |
| 2. | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 22 जनवरी 2000 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। | 15–45 |
| 3. | लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कायो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या। | 46–48 |
| 4. | लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय–व्यय विवरण एवं बैलेन्स शीट वर्ष, 1997–98 का अनुमोदन। | 49 |
| 5. | लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय–व्ययक वर्ष,2000–2001 के सम्बन्ध में। | 50 |
| 6. | जानकीपुरम विस्तार योजना में 45 मीटर चौड़ी सड़क की विवादित भूमि के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव। | 51–55 |
| 7. | लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्कूटर /मोटर साईकिल भत्ते में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में। | 56–57 |
| 8. | श्री प्रेम शंकर गुप्ता, लेखा लिपिक के पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में। | 58 |
| 9. | श्रीमती परवीन कालिया को शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड–1 में आवंटित भूखण्ड संख्याः 2/3 (540 व0मी0) को गोमती नगर योजना फेज–2 के विराज खण्ड में परिवर्तन के सम्बन्ध में। | 59 |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्याः सी0पी0–1 का आवंटन मे0 रोमित बिल्डर्स के पक्ष में बहाल किये के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 60–62 |
| 11. | श्रीमती बीना अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड संख्याः 4/2–बी प्रियदर्शनी योजना(सीतापुर रोड) से गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में। | 63 |
| 12. | श्री मुकेश सरन को आवंटित भूखण्ड संख्याः 4/3–बी प्रियदर्शनी योजना(सीतापुर रोड) को गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में। | 64 |
| 13. | कु0 असमा खान को किराया क्रय पद्वति पर आवंटित भवन संख्याः एम–11/24 सेक्टर "सी" सीतापुर रोड योजना के विरुद्व आरोपित व्याज/दण्ड व्याज माफ किये जाने के सम्बन्धित। | 65 |
| 14. | जनपथ मार्केट स्थित दुकान संख्याः बी–51 के बगल में स्थित 84.42 वर्ग मीटर भूमि ग्राम विकास विभाग को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में। | 66–67 |
| 15. | श्री भगवान दास गुप्ता को शारदा नगर योजना में आवंटित भवन संख्याःएच0आई0जी0–1/73 रुचि खण्ड के बदले गोमती नगर योजना में भवन संख्याः एच0आई0जी0–4/310 विनीत खण्ड में भवन का आवंटन। | 68 |
| 16. | गोमती नगर योजना भाग–2 के अर्न्तगत हरविलास कोल्ड स्टोरेज एवं मोटर सेल्स लि0 को भूमि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.3.99 के क्रम में समायोजित करने के सम्बन्ध में। | 69–102 |
| 17. | राम नगर जल निकासी योजना से सम्बन्धित। | 103–107 |
| 18. | इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान से संलग्न भूमि के भू–प्रयोग को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान से अस्पताल भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। | 108 |

| | | |
|---|---|---|
| 19. | मानचित्र स्वीकृत करते समय तथा मानचित्रकारों/वास्तुविदों को अनुज्ञप्ति के समय ली जाने वाली अम्बार फीस, पर्यवेक्षण शुल्क, सुदृणीकरण शुल्क, मानचित्र शुल्क, जल शुल्क तथा अनुज्ञप्ति शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में। | 109–115 |
| 20. | अनार्जित भूमि को योजनान्तर्गत शासन की नीति के अनुसार समायोजित करने के सम्बन्ध में। | 116–121 |
| 21. | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों को शक्ति का प्रतिनिधायन। | 122–123 |
| 22. | अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। | 124 |

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँकः22 जनवरी 2000 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनाँकः22 जनवरी 2000 का कार्यवृत्त

पुष्टिकरण हेतु संलग्न कर प्रस्तुत है ।

---

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २२ जनवरी, २०००
का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

| | | |
|---|---|---|
| १. | श्री सौरभ चन्द्र | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल। |
| २. | श्री दिवाकर त्रिपाठी | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| ३. | श्री एन. रविशंकर | आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद। |
| ४. | श्री संजय अग्रवाल | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| ५. | श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र, | मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ। |
| ६. | श्री यशवीर सिंह चौहान | विशेष सचिव, उ.प्र. शासन, आवास विभाग। |
| ७. | श्री मुरलीधर | संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग। |
| ८. | श्री एम.पी. अनेजा | मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ.प्र.। |
| ९. | श्री आर.सी. अस्थाना | मुख्य अभियन्ता, जलनिगम (मध्य), लखनऊ। |
| १०. | श्री बाल बाबू सिंह | प्रतिनिधि, महानिदेशक, पर्यटन |
| ११. | श्री बृजलाल रावत | सदस्य/सभासद, नगर निगम। |
| १२. | श्री विजय शंकर बाजपेयी | सदस्य/सभासद, नगर निगम। |
| १३. | श्री शिव कुमार | सदस्य/सभासद, नगर निगम। |
| १४. | श्रीमती उमाशंकरी लोधी | सदस्य/सभासद, नगर निगम। |
| १५. | डा. सियाराम | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| १६. | श्री राम अधार सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| १७. | श्री जयपाल सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

अन्य उपस्थितिः

| | | |
|---|---|---|
| १८. | श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| १९. | श्री आर.पी. शुक्ला | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| २०. | श्री मन मोहन | मुख्य लेखाधिकारी, ल.वि.प्रा. |
| २१. | श्री के.बी. सक्सेना | लागत एवं वित्तीय परामर्शी, ल.वि.प्रा. |
| २२. | श्री जी.पी. श्रीवास्तव | मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. |

.....

विषय संख्या : १ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १० नवम्बर, १९९९ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णयः — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १० नवम्बर, १९९९ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई परन्तु निर्णय संख्या : १४ में निम्नांकित अंश प्रथम वाक्य के बाद जोड़े जाने का निर्णय लिया गया :-

"मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक व्दारा बताया गया कि मास्टर प्लान की संरचना करने में उनके विभाग को १८ से २४ माह का समय लगेगा। "

विषय संख्या : २ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १० नवम्बर, १९९९ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये-

२.१ विषय संख्या : २(१) इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में कनवेन्शनल सेन्टर/होटल के निर्माण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर पुनः बैठक कराने का प्रयास किया जाये।

कार्यवाही : लागत एवं वित्तीय परामर्शी

२.२ २(क) यह निर्णय हुआ कि नालों की क्षमता का आंकलन तथा प्राक्कलन का परीक्षण मुख्य अभियन्ता, जल निगम के स्थान पर मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा. व्दारा किया जायेगा।

कार्यवाही : मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.

२.३ २(ख) यह निर्णय हुआ कि बड़ी कालोनीज़ एवं बहुउद्देशीय भवनों को सचिव/अपरसचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/मुख्य नगर नियोजक/मुख्य अभियन्ता के मध्य आवन्टित करके एक रोस्टर के अनुसार मासिक निरीक्षण किये जायें जिसके आधार पर यह प्रमाणपत्र भी दिया जाये कि स्वीकृत मानचित्र के अनुरुप निर्माण कार्य किया जा रहा है।

कार्यवाही : उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.

२.४ २(ग) यह निर्णय हुआ कि कानपुर रोड योजना के नालों की सफ़ाई का कार्य ३१.३.२००० तक पूर्ण करा दें।

कार्यवाही : मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.

२.५ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के अन्य बिन्दु-१ के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे लाइन व सीतापुर रोड के बीच की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ३ — लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या ।

निर्णय : — प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया। पार्कों की सत्यापन आख्या प्रस्तुत की जाये।

विषय संख्या : ४ — हरदोई रोड योजना से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त योजना में भूमि अर्जन पर किये जा चुके व्यय, विगत में पंजीकरण खोलकर आमन्त्रित आवेदन पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए एवं योजना से ४२.४८ करोड़ रुपये के लाभ के प्रोजेक्ट के आधार पर प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये कि योजना का वर्ष-वार कैश-इन-फलो एवं कैश-आउट-फलों बनाकर प्रस्तुत किया जाये। वाह्य विकास हेतु टंक सर्विसेज़ और एक सेक्टर के आन्तरिक विकास का कार्य सर्व प्रथम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही : मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ५ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिवरव्यु सहकारी आवास समिति को ६० प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त समिति की भूमि को यथा-स्थान समायोजित करने की मांग में यह कठिनाई अनुभव की गई कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग व्यवसायिक है जबकि शासनादेश के अनुसार आवासीय भूमि पर स्थित आवासीय भूमि के समायोजन का प्राविधान किया गया है। चूंकि व्यवसायिक भूमि पर स्थित आवासीय समितियों के समायोजन के विषय में शासन के आदेश उपलब्ध नहीं हैं। अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समिति व्दारा भूमि का क्रय वर्ष, बिक्रीत भूमि एवं निर्मित भवनों का विवरण देते हुए प्रकरण की परिस्थितियों में समायोजन के सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ६ — जनपथ मार्केट स्थित दूकान संख्या : बी-५१ के बगल में स्थित ८४.४३ वर्गमीटर भूमि ग्राम्य विकास विभाग को आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि जनपथ मार्केट स्थित दूकान संख्या : बी-५१ के बगल में स्थित ८४.४३ वर्गमीटर भूमि के बिक्रय हेतु सील्ड आफर व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त मांग लिये जायें। यदि रु० ११,०३,३३२.०० लाख से अधिक का आफर प्राप्त होता है

तो प्राप्त उच्चतम दर पर ग्राम्य विकास विभाग को आफर दिया जाये और यदि वे सहमत न हों तो उच्चतम आफरदाता को विक्रय किया जाये।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ७ — स्कूल भूखण्डों के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : — विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विद्यालयों की मान्यता हेतु निर्धारित मानक के अनुरुप न्यूनतम भूमि रियायती दर पर आवन्टित की जाय। यदि न्यूनतम निर्धारित भूमि के अतिरिक्त भूमि कोई विद्यालय लेना चाहता है तो उसे अतिरिक्त भूमि आवासीय दर पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

स्कूल भूखण्डों हेतु स्थल आरक्षित करने में यह ध्यान रखा जाये कि स्कूल हेतु भूमि ९.०० मीटर या इससे अधिक चौड़ी रोड पर ही आरक्षित की जाये।

कार्यवाहीः लागत एवं वित्तीय परामर्शी/
मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ८ — सैनिक कल्याण भवन ४ बी.एन.रोड पर आवास निर्माण हेतु रोड वाइडेनिग से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार स्थल पर निर्मित भवनों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रोड वाइडेनिंग से छूट दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ९ — अर्लागंज योजना के सेक्टर "बी" में प्रस्तावित अखिल भारतीय संस्कृत परिषद भवन के मानचित्र से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : १० — प्रियदर्शनी योजना में आंशिक भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण व्दारा अर्जित भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेजी जाये।

कार्यवाहीः मुख्य नगर नियोजक

विषय संख्या : ११

गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपसमिति का गठन निम्नवत् किया गया:-

१. श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी, सचिव, ल.वि.प्रा.
२. श्री एम.पी.अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
३. श्री विजय शंकर बाजपेयी, सदस्य, ल.वि.प्रा.

कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक

विषय संख्या : १२

गोमती नगर स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्था एवं सेवायें भू-प्रयोग की भूमि को आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

गोमती नगर स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्था एवं सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि का भू-प्रयोग आवासीय प्रयोजन में परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेजी जाये। इससे वित्तीय लाभ की गणना भी की जाये।

कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक/
लागत एवं वित्तीय परामर्शी, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : १३

गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवन्टित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग " पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" से "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" तथा सिविल सर्विसेज़ इन्स्टीट्युट को आवन्टित भूमि के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" व "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" से आवासीय परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विस्तृत रुप से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सिविल सर्विसेज़ इन्स्टीट्युट को आवन्टित भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाये। पर्यटन विभाग के प्रकरण में पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराये गये भूखण्ड में से जितना भू-भाग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" प्रयोग के अन्तर्गत है, उसका एफ.ए.आर. निर्माण योग्य व्यावसायिक भू-भाग पर भारित करके अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग से वार्ता करके आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक

विषय संख्या : १४ — मनीषा मन्दिर को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्टित भूमि से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आवन्टन की शर्तो का पालन न किये जाने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाये। ब्याज माफ़ी के समस्त मामले "वन टाइम सेटेलमेन्ट" योजना को लागू किये जाने तक स्थगित किए जायें।

कार्यवाहीः लागत एवं वित्तीय परामर्शी

विषय संख्या : १५ — स्वर्गीय श्री मो. कलीम के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — स्वर्गीय श्री मो. कलीम सिद्दीकी की पत्नी श्रीमती शबनम कलीम को रु० २५,०००/- की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : १६ — श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज सुपरवाइजर की किडनी प्रत्यारोपण पर हुए व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त चिकित्सा पर व्यय हुए रु० ३९,०००/- की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाहीः सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : १७ — श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र, अपर जिला जज, उन्नाव को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवन्टित भवन संख्या : अ ३/१८ के स्थान पर विजयन्त खण्ड में "बी" श्रेणी भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्थगित किया गया। विस्तृत एवं स्पष्ट सूचनाओं के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : १८

डा. विजय शंकर शुक्ला को गोमती नगर योजना के विभव खण्ड में आवन्टित भूखण्ड संख्या : बी-३/२१२ पर लगाये गये दण्ड ब्याज की पूर्ण धनराशि माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में" वन-टाइम सेटेलमेन्ट" पर नीति विषयक निर्णय विचाराधीन है। अतः निर्णय लिया गया कि शासनादेश/नीति प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : १९

गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में भवन संख्या : बी-२/१९५ पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में नीति विषयक निर्णय विचाराधीन है। अतः निर्णय लिया गया कि शासनादेश/नीति प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : २०

श्रीमती प्रेमलता निगम को आवन्टित भूखण्ड संख्या : ए-१/३५ आई, सीतापुर रोड योजना के परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सचिव, ल.वि.प्रा. श्रीमती प्रेमलता निगम को बुलाकर सुन लें। तदुपरान्त सूचनाओं सहित स्पष्ट प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : २१

गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-५ में भवन संख्या : ५/१२४ एम.आई.जी. के विरुध्द आरोपित दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

निर्णय लिया गया कि शासनादेश/नीति प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : २२ — कास्टिंग के मार्गदर्शक सिध्दान्तों का अनुमोदन।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन से प्राप्त मार्ग दर्शक सिध्दान्त को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग दर्शक सिध्दान्तों को व्यवहारिक रुप से क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई आती है तो उन बिन्दुओं पर समाधान हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

कार्यवाही : लागत एवं वित्तीय परामर्शी

विषय संख्या : २३ — क्लब के निर्माण से सम्बन्धित।

विषय संख्या : २४ — बैडमिन्टन अकाडमी को भूमि आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्ताव संख्या २३, २४, तथा टेनिस एकाडेमी के प्रस्तावों का परीक्षण उपसमिति व्दारा करने का निर्णय हुआ। शासनादेशों में प्राविधान, स्थल पर सीमांकन, मौके पर रिक्तता अथवा पेड़ों की संख्या, ग्रीन-बेल्ट की अनबिल्ट भूमि पर संस्था का इक्सक्ल्युसिव कन्ट्रौल, संस्था के प्रबन्ध-तन्त्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व आदि पर स्पष्ट संस्तुति अगली बैठक में देगी। उपसमिति की सदस्यता निम्नवत होगी :-

१. श्री एम.पी.अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
२. श्री जी.पी.श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक
३. श्री राम अधार सिंह, सदस्य, ल.वि.प्रा.

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : २५

स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपसमिति के गठन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वैच्छिक शमन के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नांकित सदस्यों की उपसमिति गठित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया:-

१. श्री दिवाकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.
२. श्री एम.पी.अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
३. श्री विजय शंकर बाजपेयी, सदस्य, ल.वि.प्रा.
४. श्री जी.पी.श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक,
५. श्री एस.एम.अख्तर, प्रेसीडेन्ट, इन्स्टीट्युट आफ़ आर्कीटेक्ट, यू.पी.चैप्टर

कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक

विषय संख्या : २६

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की बिना प्रीमियम के मात्र लीज़रेन्ट पर दी गई भूमि पर विकास प्राधिकरण बोर्ड व्दारा दिनांक ८.३.९९ को पारित प्रस्ताव में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। ३१ जनवरी, २००० तक या उससे पूर्व जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हो चुके हैं उनमें ३०.११.९१ को प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार धनराशि देय होगी तथा जो प्रार्थनापत्र ३१ जनवरी, २००० के पश्चात् प्राप्त होगें उनमें १९९५ के सर्किल रेट के आधार पर गणना कर धनराशि जमा कराई जायेगी।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : २७

सेना के अतिरिक्त अन्य अर्ध्द सैन्य बलों के शहीद होने पर रियायती दर पर भवन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही : लागत एवं वित्तीय परामर्शी

विषय संख्या : २८ — लखनऊ पब्लिक एजूकेशनल सेन्टर को स्कूल भूखण्ड आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : — अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

कार्यवाही : लागत एवं वित्तीय परामर्शी

विषय संख्या : २९ — गांधी सेतु के निर्माण से सम्बन्धित।

निर्णय : — गांधी सेतु से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुख्य अभियन्ता, पी.डब्लू.डी. की जांच आख्या के निष्कर्षो से बोर्ड को अवगत कराया गया। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रकरण के निर्णय हेतु एक उपसमिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

१. श्री दिवाकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.-अध्यक्ष
२. श्री आर.सी.अस्थाना, मुख्य अभियन्ता(मध्य), उ.प्र. जलनिगम, लखनऊ - सदस्य
३. श्री आर.पी.शुक्ला, मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा. - सदस्य
४. श्री विजय शंकर बाजपेयी, सदस्य, ल.वि.प्रा.- -सदस्य

इस समिति को समस्त उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करके प्रकरण में अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत किया गया।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ३० — श्री हरिराज किशोर को जानकीपुरम विस्तार सीतापुर रोड में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना फेज-२ में भूखण्ड का परिवर्तन/समायोजन।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि सम्पूर्ण सूचनाओं सहित स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये जिसमें प्रस्तावित भूखण्ड की संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ३१ — कैसरबाग़ मंडी काम्पलेक्स से सम्बन्धित।

निर्णय : — विस्तृत रुप से विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या के समाधान हेतु इससे अच्छा विकल्प मिलना सम्भव नहीं है। अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित स्थल पर कैसरबाग़ मंडी काम्पलेक्स का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये। इस काम्पलेक्स के निर्माण में बेसमेन्ट एवं भू-तल को पार्किंग हेतु आरक्षित किया जाये। प्रथम एवं द्वितीय तल बिक्रय के लिये रखा जाये। मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण को राइट्स संस्था द्वारा की जा रही स्टडी एवं प्रेजेन्टेशन में अवश्य सम्मिलित करा दिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि पार्किंग स्थल की व्यवस्था ठेके पर देकर ही कराया जाये। योजना की अर्थ-विवेचना तत्काल तैयार कराकर कार्य प्रारम्भ कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

( कार्यवाही - मुख्य अभियन्ता )

विषय संख्या : ३२ — श्री आर.डी.शर्मा को कानपुर रोड योजना के स्थान पर महानगर में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : ३३ — श्री नागेन्द्र सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लेवी शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम में की गई सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए, आवन्टित भूखण्ड संख्या : ५/२४, विशाल खण्ड पर आरोपित लेवी शुल्क रु० ७,१८०/- माफ़ किया जाता है।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. )

विषय संख्या : ३४ — साफटवेयर टेक्नालोजी पार्क के भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।

( कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक )

विषय संख्या : ३५ — विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि १९९९(आदर्श प्रारुप) का अंगीकरण।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन से प्राप्त मार्ग दर्शक सिध्दान्त को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देश दिये गये कि यदि उक्त मार्ग दर्शन सिध्दान्तों को व्यवहारिक रुप से क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उन बिन्दुओं पर समाधान हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

( कार्यवाही - सचिव, ल.वि.प्रा. )

विषय संख्या : ३६ — लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ की संरचना के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मार्ग निर्देश एवं समीक्षा हेतु उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. की अध्यक्षता में निम्नांकित समिति गठित की गई जो समय-समय पर प्राधिकरण बोर्ड को प्रगति से अवगत कराती रहेगी:-

१. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.
२. नियोजन के क्षेत्र में स्थानीय अनुभवी व्यक्ति।
३. मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. जलनिगम।
४. मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा.(सदस्य/संयोजक)
५. मुख्य अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, ल.वि.प्रा.
६. श्री ई.एफ.एन.रिवैरियों, अवकाश प्राप्त मुख्य नगर नियोजक भारत सरकार, नई दिल्ली।
७. अनुबन्ध पत्र के प्रारुप हेतु योग्य विधिवेत्ता।

( कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक )

अनु.विषय संख्या : १ एवं २ — किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अनु. विषय संख्या: ३ — उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु परिषद के अधिकारियों को आवश्यक प्रतिनिधायन।

निर्णय : — विचारोपरान्त शासन व्दारा निर्गत शासनादेश संख्या: २९०९/९-अ-२-१९९९, दिनांक २४ दिसम्बर, १९९९ के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, १९७३ की धारा-२६(क) एवं उक्त अधिनियम की धारा- ५१ की उपधारा-२ के अन्तर्गत परिषद के स्थानीय सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों को अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

( कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक )

अनु.विषय संख्याः ९

श्री राय सिंह, आई.ए.एस. को गोमती नगर योजना में भूखण्ड संख्या : बी-२/३७८, विशाल खण्ड पर आरोपित दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

उपाध्यक्ष व्दारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर इस विषय में एक नीति निर्धारित की जा रही है। अतः निर्णय लिया गया कि शासन से नीति/मार्ग निर्देशन प्राप्त होने पर तद्नुसार निर्णय लिया जाये।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. )

अनु.विषय संख्याः१०

गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या : बी-३/१२ से लगी अतिरिक्त भूमि पर आरोपित दण्ड ब्याज का अवशेष ५० प्रतिशत माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

निर्णय लिया गया कि शासन से मार्ग निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण का निस्तारण तद्नुसार किया जाये।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. )

अन्य बिन्दु :

१. श्री शिवकुमार एवं श्री विजय शंकर बाजपेयी, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा शहर में हो रहे अनधिकृत निर्माणों पर प्रभावी अंकुश न लग पाने के प्रकरण पर चिन्ता व्यक्त की गई। श्री बाजपेयी व्दारा इंगित अनधिकृत निर्माण को तत्काल श्री बाजपेयी के साथ स्थल निरीक्षण कर त्वरित कड़ी कार्यवाही हेतु बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता-प्रवर्तन-१ श्री एम.आर.सोनकर को अध्यक्ष महोदय व्दारा निर्देशित किया गया।

२. श्री शिवकुमार, सदस्य व्दारा एक पत्र अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध कराया गया जिसमें कानपुर रोड सेक्टर "जी" पावर हाउस चौराहे पर दोनो ओर हो रहे काम्पलेक्स के निर्माण की शिकायत की गई एवं उल्लेख किया गया कि भवन में पार्किंग हेतु स्थल नहीं छोड़ा गया है, सड़क तक भवन का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार सेक्टर "जी" में नाबार्ड के सामने रेडहिल कानवेन्ट स्कूल के नाम से किये जा रहे निर्माण की शिकायत की गई। सेक्टर "डी-१" में सिंह नर्सिंग होम तथा एम.एम.डी-१/४१८ में नर्सिंग होम के निर्माण की शिकायत की गई। यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त सभी निर्माण आर.बी.ओ. विभाग की मिली भगत से कराये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय व्दारा उक्त सभी अनधिकृत निर्माणों का तत्काल निरीक्षण कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. )

३. दारुलशफ़ा के सामने, आवास बन्धु के पहले निर्माणाधीन बहुउद्देशीय काम्पलेक्स तथा अशोक मार्ग पर निर्माणाधीन एम.आई. बिल्डर्स में पार्किंग को अन्यत्र उपयोग हेतु प्रयोग करने की शिकायत पर कार्यवाही सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण करेंगे। इसी प्रकार फैजाबाद रोड पर निर्माणाधीन ग्रुप-हाउसिंग तथा राज भवन के निकट एवं भारत पेट्रोलियम की कालोनी के पीछे निर्माणाधीन ग्रुप-हाउसिंग काम्पलेक्स की भी जांच कराई जायेगी।

४. ध्वस्तीकरण आदेशों की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी जाती है। पुलिस विभाग व्दारा अनाधिकृत निर्माणों के विरुध्द प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त लम्बित आदेशों को सूचीबध्द करते हुए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को पत्र भेजें जिसकी प्रति सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष अगली बैठक में रखी जाये।

( कार्यवाही : उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. )

५. अवम अपार्टमेन्ट के विक्रय की कार्यवाही हेतु अपर सचिव को निर्दिष्ट किया गया तथा निर्देश दिए गए कि विभिन्न सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाय। विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों/भूखण्डों की सूची अपूर्ण है। पूर्ण सूची अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. )

६. अशासकीय सदस्यों के साथ प्रत्येक माह के व्दितीय मंगलवार को उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. व्दारा बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

( कार्यवाही : उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. )

समयाभाव के कारण उपरोक्त के अतिरिक्त विषय संख्या : ३७ एवं अनुपूरक विषय संख्या : ४, ५, ६, ७ एवं ८ स्थगित किये गये। अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

ह./- सुनीता चतुर्वेदी
सचिव

ह./- दिवाकर त्रिपाठी
उपाध्यक्ष

अनुमोदित
ह./- सौरभ चन्द्र
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

प्रमाणित

( सुनीता चतुर्वेदी )
सचिव

विषय संख्या: 2



विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २२ जनवरी, २००० में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

| विषय संख्या | विषय एवं निर्णय | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| ०१ | ०२ | ०३ |
| विषय संख्या : १ | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १० नवम्बर, १९९९ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। | |
| निर्णय : | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १० नवम्बर, १९९९ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई परन्तु निर्णय संख्या : १४ में निम्नांकित अंश प्रथम वाक्य के बाद जोड़े जाने का निर्णय लिया गया :-<br><br>"" मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक व्दारा बताया गया कि मास्टर प्लान की संरचना करने में उनके विभाग को १८ से २४ माह का समय लगेगा। | नोट किया गया। |

विषय संख्या : २

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १० नवम्बर, १९९९ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये-

२.१ विषय संख्या : २(१) इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में कनवेन्शनल सेन्टर/होटल के निर्माण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर पुनः बैठक कराने का प्रयास किया जाये।

कार्यवाही : लागत एवं वित्तीय परामर्शी

बैठक हेतु शासन को दिनांक 28.2.2000 को पत्र भेजा गया है। अभी बैठक की तिथि निर्धारित नहीं हुई है।

२.२ २(क) यह निर्णय हुआ कि नालों की क्षमता का आंकलन तथा प्राक्कलन का परीक्षण मुख्य अभियन्ता, जल निगम के स्थान पर मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा. व्दारा किया जावेगा।

कार्यवाही : मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.

नालों की क्षमता का आंकलन कर लिया गया है। डिजाइन की एक प्रति मुख्य अभियता, जलनिगम को उपलब्ध करा दी गई है।

२.३ २(ख) यह निर्णय हुआ कि बड़ी कालोनीज़ एवं बहुउद्देशीय भवनों को सचिव/अपरसचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/मुख्य नगर नियोजक/मुख्य अभियन्ता के मध्य आवन्टित करके एक रोस्टर के अनुसार मासिक निरीक्षण किये जायें जिसके आधार पर यह प्रमाणपत्र भी दिया जाये कि स्वीकृत मानचित्र के अनुरुप निर्माण कार्य किया जा रहा है।

कार्यवाही : उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.

निर्णयानुसार निरीक्षण किया जा रहा है।

२.४ २(घ) यह निर्णय हुआ कि कानपुर रोड योजना के नालों की सफ़ाई का कार्य ३१.३.२००० तक पूर्ण करा दें।

कार्यवाही : मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.

२.५ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के अन्य बिन्दु-१ के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे लाइन व सीतापुर रोड के बीच की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ३ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या ।

निर्णय : प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया। पार्कों की सत्यापन आख्या प्रस्तुत की जाये।

पार्कों के सत्यापन की आख्या संलग्न की जा रही है ।

विषय संख्या : ४ हरदोई रोड योजना से सम्बन्धित।

निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त योजना में भूमि अर्जन पर किये जा चुके व्यय, विगत में पंजीकरण खोलकर आमन्त्रित आवेदन पत्रों

को दृष्टिगत रखते हुए एवं योजना से ४२.४८ करोड़ रुपये के लाभ के प्रोजेक्ट के आधार पर प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये कि योजना का वर्ष-वार कैश-इन-फ्लो एवं कैश-आउट-फ्लों बनाकर प्रस्तुत किया जाये। वाह्य विकास हेतु टंक सर्विसेज़ और एक सेक्टर के आन्तरिक विकास का कार्य सर्व प्रथम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही : मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ५

लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिवरव्यु सहकारी आवास समिति को ६० प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त समिति की भूमि को यथा-स्थान समायोजित करने की मांग में यह कठिनाई अनुभव की गई कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग व्यवसायिक है जबकि शासनादेश के अनुसार आवासीय भूमि पर स्थित आवासीय भूमि के समायोजन का प्राविधान किया गया है। चूंकि व्यवसायिक भूमि पर स्थित आवासीय समितियों के समायोजन के विषय में शासन के आदेश समिति के सचिव से कुछ अभिलेख प्राप्त किये जा रहे हैं तथा प्रश्नगत भूमि पर स्थित निर्माणों के सम्बन्ध में सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। तदुपरान्त शासन को पत्र भेजा जायेगा।

उपलब्ध नहीं हैं। अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समिति व्दारा भूमि का क्रय वर्ष, विक्रीत भूमि एवं निर्मित भवनों का विवरण देते हुए प्रकरण की परिस्थितियें में समावेशन के सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.)

विषय संख्या : ६

जनपथ मार्केट स्थित दूकान संख्या : वी-५१ के बगल में स्थित ८४.४३ वर्गमीटर भूमि ग्राम्य विकास विभाग को आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि जनपथ मार्केट स्थित दूकान संख्या : वी-५१ के बगल में स्थित ८४.४३ वर्गमीटर भूमि के विक्रय हेतु सील्ड आफर व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त मांग लिये जायें। यदि रु० ११,०३,३३२.०० लाख से अधिक का आफर प्राप्त होता है तो प्राप्त उच्चत्म दर पर ग्राम्य विकास विभाग को आफर दिया जाये और यदि वे सहमत न हों तो उच्चतम आफरदाता को विक्रय किया जाये।

भूमि के निस्तारण हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई थी परन्तु मा. न्यायालय से स्थगनादेश हो जाने के कारण नीलामी की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बोर्ड के समक्ष पुनः पूर्ण स्थित प्रस्तुत की जायेगी।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. )

विषय संख्या : ७

स्कूल भूखण्डों के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय :

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि

प्राप्त होने वाले प्रकरणों में निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विद्यालयों की मान्यता हेतु निर्धारित मानक के अनुरुप न्यूनतम भूमि रियायती दर पर आवन्टित की जाय। यदि न्यूनतम निर्धारित भूमि के अतिरिक्त भूमि कोई विद्यालय लेना चाहता है तो उसे अतिरिक्त भूमि आवासीय दर पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

स्कूल भूखण्डों हेतु स्थल आरक्षित करने में यह ध्यान रखा जाये कि स्कूल हेतु भूमि ९.०० मीटर या इससे अधिक चोड़ी रोड पर ही आरक्षित की जाये।

कार्यवाही: लागत एवं वित्तीय परामर्श/
मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ८

सैनिक कल्याण भवन ४ बी.एन.रोड पर आवास निर्माण हेतु रोड वाइडेनिग से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार स्थल पर निर्मित भवनों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रोड वाइडेनिंग से छूट दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

रोड वाइडेनिंग की छूट हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है

विषय संख्या : ९

अलीगंज योजना के सेक्टर "बी" में प्रस्तावित अखिल भारतीय संस्कृत परिषद भवन के मानचित्र से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

निर्णय से पक्ष को अवगत करा दिया गया है।

विषय संख्या : १०

प्रियदर्शनी योजना में आंशिक भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण व्दारा अर्जित भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेजी जाये।

कार्यवाही: मुख्य नगर नियोजक

भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है।

विषय संख्या : ११

गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपसमिति का गठन निम्नवत् किया गया:-

कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक

उपसमिति की बैठक हो चुकी है। कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

| | | |
|---|---|---|
| विषय संख्या : १२ | गोमती नगर स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्था एवं सेवायें भू-प्रयोग की भूमि को आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित। | |
| निर्णय : | गोमती नगर स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्था एवं सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि का भू-प्रयोग आवासीय प्रयोजन में परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेजी जाये। इससे वित्तीय लाभ की गणना भी की जाये।<br>कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक/ | सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करायी जा रही है। सर्वे कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जायेगा। |
| विषय संख्या : १३ | गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवन्टित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग " पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" से "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" तथा सिविल सर्विसेज़ इन्स्टीट्युट को आवन्टित भूमि के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" व "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" से आवासीय परिवर्तन के सम्बन्ध में। | |
| निर्णय : | विस्तृत रुप से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सिविल सर्विसेज़ इन्स्टीट्युट को आवन्टित भूमि के भू-प्रयोग | सी.एस.आई. के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को भेज जा रहा है। |

परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जावे। पर्यटन विभाग के प्रकरण में पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराये गये भूखण्ड में से जितना भू-भाग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" प्रयोग के अन्तर्गत है, उसका एफ.ए.आर. निर्माण योग्य व्यवसायिक भू-भाग पर भारित करके अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग से वार्ता करके आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

पर्यटन विभाग व्दारा प्रस्तावित पार्क एवं क्रीड़ा स्कल की भूमि के निर्माण को व्यवसायिक उपयोग की भूमि पर भारित किये जाने के सम्बन्ध में असहमति व्यक्त की है। स्कल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक

विषय संख्या : १४

मनीषा मन्दिर को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्टित भूमि से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आवन्टन की शर्तो का पालन न किये जाने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाये। व्याज माफ़ी के समस्त मामले "वन टाइम सेटेलमेन्ट" योजना को लागू किये जाने तक स्थगित किए जायें।

लीज़रेन्ट पर व्याज लगाये जाने का प्रकरण होने के कारण ओ.टी.एस. के अन्तर्गत गणना नहीं की जा सकी है।

कार्यवाहः लागत एवं वित्तीय परामर्शी

विषय संख्या : १५

स्वर्गीय श्री मो. कलीम के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

स्वर्गीय श्री मो. कलीम सिद्दीकी की पत्नी श्रीमती शबनम कलीम को रु० २५,०००/- की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

निर्णयानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या : १६

श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज सुपरवाइजर की किडनी प्रत्यारोपण पर हुए व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त चिकित्सा पर व्यय हुए रु० ३९,०००/- की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही: सचिव, ल.वि.प्रा.

निर्णयानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

विषय संख्या : १७

श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र, अपर जिला जज, उन्नाव को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवन्टित भवन संख्या : अ ३/१८ के स्थान पर विजयन्त खण्ड में "बी" श्रेणी भूखण्ड

परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्थगित किया गया। विस्तृत एवं स्पष्ट सूचनाओं के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही : सचिव

विषय संख्या : १८ डा. विजय शंकर शुक्ला को गोमती नगर योजना के विभव खण्ड में आवन्टित भूखण्ड संख्या : बी-३/२१२ पर लगाये गये दण्ड ब्याज की पूर्ण धनराशि माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में " वन-टाइम सेटेलमेन्ट" पर नीति विषयक निर्णय विचाराधीन है। अतः निर्णय लिया गया कि शासनादेश/नीति प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : १९ गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में भवन संख्या : बी-२/१९५ पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि शासन

| | | |
|---|---|---|
| | स्तर पर इस सम्बन्ध में नीति विषयक निर्णय विचाराधीन है। अतः निर्णय लिया गया कि शासनादेश/नीति प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस प्रकरण का निस्तारण किया जाये।<br>कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. | शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है। |
| विषय संख्या : २० | श्रीमती प्रेमलता निगम को आवन्टित भूखण्ड संख्या : ए-१/३५ आई, सीतापुर रोड योजना के परिवर्तन के सम्बन्ध में। | |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सचिव, ल.वि.प्रा. श्रीमती प्रेमलता निगम को बुलाकर सुन लें। तदुपरान्त सूचनाओं सहित स्पष्ट प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।<br>कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. | निर्णय के अनुपालन में श्रीमती निगम को दो पत्र भेजे जा चुके हैं परन्तु वे उपस्थित नहीं हुई हैं। |
| विषय संख्या : २१ | गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-५ में भवन संख्या : ५/१२४ एम.आई.जी. के विरुध्द आरोपित दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित। | |
| निर्णय : | निर्णय लिया गया कि शासनादेश/नीति प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस प्रकरण का निस्तारण किया जाये।<br>कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. | शासना के आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है। |

विषय संख्या : २२ कास्टिंग के मार्गदर्शक सिध्दान्तों का अनुमोदन।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन से प्राप्त मार्ग दर्शक सिध्दान्त को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग दर्शक सिध्दान्तों को व्यवहारिक रुप से क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई आती है तो उन विन्दुओं पर समाधान हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

कार्यवाही : लागत एवं वित्तीय परामर्शी

सचिव, अपर सचिव, लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता एवं मुख्य लेखाधिकारी की समिति गठित की गयी जो उक्त मार्ग दर्शक सिद्धान्तों की व्यवहारिकता का आकलन कर रही है। समिति की संस्तुति अगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

विषय संख्या : २३ क्लब के निर्माण से सम्बन्धित।

विषय संख्या : २४ बैडमिन्टन अकाडमी को भूमि आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव संख्या: २३, २४, तथा टेनिस एकाडेमी के प्रस्तावों का परीक्षण उपसमिति व्दारा करने का निर्णय हुआ। शासनादेशों में प्राविधान, स्थल पर सीमांकन, मौके पर रिक्तता अथवा पेड़ों की संख्या, ग्रीन-वेल्ट की अनविल्ट भूमि पर संस्था का इक्सक्ल्युसिव कन्ट्रौल, संस्था के प्रवन्ध-तन्त्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व आदि पर स्पष्ट संस्तुति अगली बैठक में देगी।

उपसमिति की बैठक हो चुकी है। कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

उपसमिति की सदस्यता निम्नवत होगी :-

१. श्री एम.पी.अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
२. श्री जी.पी.श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक
३. श्री राम अधार सिंह, सदस्य, ल.वि.प्रा.

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : २५ स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपसमिति के गठन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वैच्छिक शमन के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नांकित सदस्यों की उपसमिति गठित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया-

१. श्री दिवाकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.
२. श्री एम.पी.अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
३. श्री विजय शंकर वाजपेयी, सदस्य, ल.वि.प्रा.
४. श्री जी.पी.श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक,
५. श्री एस.एम.अख्तर, प्रेसीडेन्ट, इन्स्टीट्युट आफ़ आर्कीटेक्ट, यू.पी.चैप्टर

कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक

भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित उप समिति की बैठक दिनांक 28.4.2000 को प्रस्तावित है, इसमें समस्त प्रकरणों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

विषय संख्या : २६

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की बिना प्रीमियम के मात्र लीज़रेन्ट पर दी गई भूमि पर विकास प्राधिकरण बोर्ड व्दारा दिनांक ८.३.९९ को पारित प्रस्ताव में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। ३१ जनवरी, २००० तक या उससे पूर्व जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हो चुके हैं उनमें ३०.११.९१ को प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार धनराशि देय होगी तथा जो प्रार्थनापत्र ३१ जनवरी, २००० के पश्चात् प्राप्त होगें उनमें १९९५ के सर्किल रेट के आधार पर गणना कर धनराशि जमा कराई जायेगी।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

निर्णयानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में एक पक्ष को 90 दिन के अन्दर धनराशि रु0 63,12,592/= जमा करने हेतु सूचना भेजी गई है।

विषय संख्या : २७

सेना के अतिरिक्त अन्य अर्ध्द सैन्य बलों के शहीद होने पर रियायती दर पर भवन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही : लागत एवं वित्तीय परामर्शी

प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : २८

लखनऊ पब्लिक एजूकेशनल सेन्टर को स्कूल भूखण्ड आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय :

अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

मा0 उच्च न्यायालय में प्रति शपथ–पत्र दाखिल किया जा चुका है। अन्तिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हो सका है।

कार्यवाही : लागत एवं वित्तीय परामर्श

विषय संख्या : २९

गांधी सेतु के निर्माण से सम्बन्धित।

निर्णय :

गांधी सेतु से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुख्य अभियन्ता, पी.डब्लू.डी. की जांच आख्या के निष्कर्षों से बोर्ड को अवगत कराया गया। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रकरण के निर्णय हेतु एक उपसमिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

१. श्री दिवाकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.-अध्यक्ष
२. श्री आर.सी.अस्थाना, मुख्य अभियन्ता(मध्य), उ.प्र. जलनिगम, लखनऊ - सदस्य
३. श्री आर.पी.शुक्ला, मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा. - सदस्य
४. श्री विजय शंकर वाजपेयी, सदस्य, ल.वि.प्रा.- -सदस्य

इस समिति को समस्त उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करके प्रकरण में अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत किया गया।

वर्तमान में गांधी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : ३०

श्री हरिराज किशोर को जानकीपुरम विस्तार सीतापुर रोड में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना फेज-२ में भूखण्ड का परिवर्तन/समायोजन।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि सम्पूर्ण सूचनाओं सहित स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये जिसमें प्रस्तावित भूखण्ड की संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.)

विषय संख्या : ३१

कैसरबाग़ मंडी काम्पलेक्स से सम्बन्धित।

निर्णय :

विस्तृत रुप से विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या के समाधान हेतु इससे अच्छा विकल्प मिलना सम्भव नहीं है। अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित स्थल पर कैसरबाग़ मंडी काम्पलेक्स का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये। इस काम्पलेक्स के निर्माण में बेसमेन्ट एवं भू-तल को पार्किंग हेतु आरक्षित किया जाये। प्रथम एवं द्वितीय तल विक्रय के लिये रखा जाये। मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण को राइट्स संस्था द्वारा की जा रही स्टडी एवं प्रेजेन्टेशन में अवश्य सम्मिलित करा दिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि पार्किंग स्थल की व्यवस्था ठेके पर देकर ही कराया जाये। योजना की अर्ध-विवेचना तत्काल तैयार कराकर कार्य प्रारम्भ कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

( कार्यवाही : मुख्य अभियन्ता )

मण्डी काम्पलेक्स की डिजाइन अभी प्राप्त नहीं हो सकी है, डिजाइन प्राप्त के पश्चात प्रोजेक्ट की कार्यवाही की जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| विषय संख्या : ३२ | श्री आर.डी.शर्मा को कानपुर रोड योजना के स्थान पर महानगर में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में। | |
| निर्णय : | प्रस्ताव वापस लिया गया। | |
| विषय संख्या : ३३ | श्री नागेन्द्र सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लेवी शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित। | |
| निर्णय : | विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम में की गई सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए, आवन्टित भूखण्ड संख्या : ५/२४, विशाल खण्ड पर आरोपित लेवी शुल्क रु० ७,१८०/- माफ़ किया जाता है।<br>( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. ) | लेवी शुल्क माफ किये जाने की सूचना पक्ष को दे दी गई है। |
| विषय संख्या : ३४ | साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क के भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित। | |
| निर्णय : | प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।<br>( कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. ) | निर्णयानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है। |

विषय संख्या : ३५ : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि १९९९(आदर्श प्रारुप) का अंगीकरण।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन से प्राप्त मार्ग दर्शक सिध्दान्त को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देश दिये गये कि यदि उक्त मार्ग दर्शन सिध्दान्तों को व्यवहारिक रुप से क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उन विन्दुओं पर समाधान हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. )

शासकीय अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया है।

विषय संख्या : ३६ लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ की संरचना के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मार्ग निर्देश एवं समीक्षा हेतु उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. की अध्यक्षता में निम्नांकित समिति गठित की गई जो समय-समय पर प्राधिकरण बोर्ड को प्रगति से अवगत कराती रहेगी:-

१. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.
२. नियोजन के क्षेत्र में स्थानीय अनुभवी व्यक्ति।
३. मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. जलनिगम।
४. मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. (सदस्य/संयोजक)
५. मुख्य अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, ल.वि.प्रा.
६. श्री ई.एफ.एन.रिवैरियों, अवकाश प्राप्त मुख्य नगर नियोजक भारत सरकार, नई दिल्ली।
७. अनुबन्ध पत्र के प्रारुप हेतु योग्य विधिवेत्ता।

( कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक )

कन्सलटैन्ट से अनुबन्ध पत्र का प्रारुप प्राप्त हुआ था जिसे समिति के सदस्यों को मन्तव्य प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया है। सदस्यों से मन्तव्य प्राप्त हो गये है। जिस पर विचार करते हुए अनुबन्ध पत्र के प्रारुप को अन्तिम रुप दिया जाना है। इस कार्य हेतु बैठक आयोजित करके अनुबंध सम्पादित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अनु.विषय संख्याः १ एवं २ किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही है।

अनु. विषय संख्याः ३ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण या वाधा हटने हेतु परिषद के अधिकारियों को आवश्यक प्रतिनिधायन।

निर्णय : विचारोपरान्त शासन व्दारा निर्गत शासनादेश संख्याः २९०९/९-अ-२-१९९९, दिनांकः २४ दिसम्बर, १९९९ के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, १९७३ की धारा-२६(क) एवं उक्त अधिनियम की धारा- ५१ की उपधारा-२ के अन्तर्गत परिषद के स्थानीय सम्पत्ति प्रवन्ध अधिकारियों को अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

( कार्यवाही : मुख्य नगर नियोजक )

निर्णयानुसार आदेश सं0 253/सी0टी0पी0 दिनांक 29.2.2000 द्वारा सम्पत्ति प्रवन्ध अधिकार दिये जा चुके है।

अनु.विषय संख्याः ९ श्री राय सिंह, आई.ए.एस. को गोमती नगर योजना में भूखण्ड संख्या : वी-२/३७८, विशाल खण्ड पर आरोपित दण्ड व्याज माफ़ किये जाने के सम्वन्ध में।

निर्णय : उपाध्यक्ष व्दारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर इस विषय में एक नीति निर्धारित की जा रही है। अतः निर्णय लिया गया कि शासन से नीति/मार्ग निर्देशन प्राप्त होने पर तद्नुसार निर्णय लिया जाये।

( कार्यवाहीः सचिव,ल.वि.प्रा.)

**शासनादेशानुसार कार्यवाही की जा रही है।**

अनु.विषय संख्याः१०

गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या : वी-३/१२ से लगी अतिरिक्त भूमि पर आरोपित दण्ड ब्याज का अवशेष ५० प्रतिशत माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

निर्णय लिया गया कि शासन से मार्ग निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण का निस्तारण तद्नुसार किया जाये।

( कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा. )

**शासनादेशानुसार कार्यवाही की जा रही है।**

अन्य विन्दु :

१. श्री शिवकुमार एवं श्री विजय शंकर वाजपेयी, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा शहर में हो रहे अनधिकृत निर्माणों पर प्रभावी अंकुश न लग पाने के प्रकरण पर चिन्ता व्यक्त की गई। श्री वाजपेयी व्दारा इंगित अनधिकृत निर्माण को तत्काल श्री वाजपेयी के साथ स्थल निरीक्षण कर त्वरित कड़ी कार्यवाही हेतु वैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता-प्रवर्तन-१ श्री एम.आर.सोनकर को अध्यक्ष महोदय व्दारा निर्देशित किया गया।

२. श्री शिवकुमार, सदस्य व्दारा एक पत्र अध्यक्ष महोदय को उपलव्ध कराया गया जिसमें कानपुर रोड सेक्टर "जी" पावर हाउस चौराहे पर दोनो ओर हो रहे काम्पलेक्स के निर्माण की शिकायत की गई एवं उल्लेख किया गया कि भवन में पार्किंग हेतु स्थल नहीं छोड़ा गया है, सड़क तक भवन का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार सेक्टर "जी" में नावार्ड के सामने रेडहिल कानवेन्ट स्कूल के नाम से किये जा रहे निर्माण की शिकायत की गई। सेक्टर "डी-१" में सिंह नर्सिंग होम तथा एम.एम.डी-१/४१८ में नर्सिंग होम के निर्माण की शिकायत

सेक्टर जी. में नावार्ड के सामने रेड हिल कान्वेंट स्कूल के नाम श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। पक्ष को धारा-27 की नोटिस दी जा चुकी है। पक्ष ने स्वीकृति मानचित्र के अतिरिक्त किये गये निर्माण के शमन हेतु मानचित्र प्राधिकरण में दाखिल किया है।

एम.एम.डी-1/22 तथा एमएमडी-1/418 में नर्सिंग होम चलाए जाने के लिए दि0 13.4.2000 को धारा-27 की कार्यवाही कर दी गई है, वर्तमान में कोई निर्माण नहीं चल रहा है।

की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त सभी निर्माण आर.बी.ओ. विभाग की मिली भगत से कराये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय व्दारा उक्त सभी अनधिकृत निर्माणों का तत्काल निरीक्षण कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.)

३. दारुलशफ़ा के सामने, आवास बन्धु के पहले निर्माणाधीन बहुउद्देशीय काम्पलेक्स तथा अशोक मार्ग पर निर्माणाधीन एम.आई. बिल्डर्स में पार्किंग को अन्यत्र उपयोग हेतु प्रयोग करने की शिकायत पर कार्यवाही सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण करेंगे। इसी प्रकार फैजाबाद रोड पर निर्माणाधीन ग्रुप-हाउसिंग तथा राज भवन के निकट एवं भारत पेट्रोलियम की कालोनी के पीछे निर्माणाधीन ग्रुप-हाउसिंग काम्पलेक्स की भी जांच कराई जावेगी।

मे0 एम0आई0बिल्डर द्वारा स्वीकृति मानचित्र के विपरीत किये गये निर्माण पर दाखिल शमन मानचित्र निरस्त किया जा चुका है, जोकि अब शासन में विचाराधीन है। राजभवन के निकट एवं भारत पेट्रोलियम की कालोनी के पीछे निर्माणाधीन ग्रुप-हाउसिंग का निर्माण श्री एम0 एहशान उल्ला व अन्य के द्वारा किया जा रहा है, इसका शमन मानचित्र भवन विभाग में विचाराधीन है।

४. ध्वस्तीकरण आदेशों की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी जाती है। पुलिस विभाग व्दारा अनाधिकृत निर्माणों के विरुध्द प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त लम्बित आदेशों को सूचीबध्द करते हुए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को पत्र भेजें जिसकी प्रति सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष अगली बैठक में रखी जावे।

( कार्यवाहीः उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. )

५. अवध अपार्टमेन्ट के विक्रय की कार्यवाही हेतु अपर सचिव को निर्दिष्ट किया गया तथा निर्देश दिए गए कि विभिन्न सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाय। विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों/भूखण्डों की सूची अपूर्ण है। पूर्ण सूची अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही : सचिव, ल.वि.प्रा.)

६. अशासकीय सदस्यों के साथ प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. व्दारा बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.)

गोमती नगर योजना

पूर्ण कराये गये पार्कों का विवरण

विनय खण्ड

1- 1/843 के सामने का पार्क
2- 2/724 के सामने का पार्क
3- 3/134 के सामने का पार्क
4- 4/81 के सामने का पार्क

विजय खण्ड

1- 1/95 के सामने का पार्क

विराम खण्ड

1- 1/17 के सामने का पार्क
2- 2/184 के सामने का पार्क
3- 3/218 के सामने का पार्क
4- 4/96ए के सामने का पार्क

विवेक खण्ड

1- 1/21 के सामने का पार्क
2- 3/100 के सामने का पार्क
3- 4/164 के सामने का पार्क

विश्वास खण्ड

1- 1/118 के सामने का पार्क
2- 2/280 के सामने का पार्क
3- 3/83 के सामने का पार्क

विशाल खण्ड

1- 1/475 के सामने का पार्क
2- 2/82 के सामने का पार्क
3- 3/75 के सामने का पार्क

क्रमशः ——— 2

4- 5/40 के सामने का पार्क

विकास खण्ड

1- 1/1 के सामने का पार्क
2- 2/156 के सामने का पार्क
3- 3/71 के सामने का पार्क

अलीगंज योजना

1- सेक्टर-"ए" चन्द्रशेखर पार्क
2- सेक्टर-"सी" पत्रकार कालोनी
3- सेक्टर-"ई" बी-41 के सामने
4- सेक्टर-"एफ" बी-1/28 के सामने
5- सेक्टर-"एच" ट्यूबवेल पार्क
6- सेक्टर-"आई" एम0आई0सी0 पार्क
7- सेक्टर-"के" डी-7 के सामने
8- सेक्टर-"एल" एन-418 के सामने
9- सेक्टर-"एम" एल-6/115 के सामने
10- सेक्टर-"एन" 380 के सामने
11- सेक्टर-"क्यू" ट्यूबवेल पार्क
12- सेक्टर-"सी/एस" सी-14 के सामने
13- सेक्टर-"डी/एस" ई-7/51 केसामने

टिकैतराय योजना

1- फेज-1 में भवन सं0-एम0आई0जी0-146 के सामने
2- फेज-2 में भवन सं0-एम0आई0जी0-1/331 के सामने

कानपुर रोड योजना

1- सेक्टर-"एस" एल-162 के सामने
2- सेक्टर-"जे" सी-1/72,73,74 के सामने
3- सेक्टर-"आई" 1473,148-3 के सामने

क्रमशः————— 3

4- सेक्टर-"जी" एम-2/281 से 286 के सामने
5- सेक्टर-"डी" एम.डी/48 के सामने
6- सेक्टर-"सी-1" एम-354 के सामने

## सीतापुर रोड योजना

1- सेक्टर-"ए" एस.एस-1/271 के सामने
2- सेक्टर-"बी" एम.एम.बी-2/145 के सामने
3- सेक्टर-"सी" सी-613 व एम0एम0आई0जी0-80 के मध्य
4- सेक्टर-"डी" बी-20 के सामने
5- सेक्टर-"एफ" 1/105 के सामने
6- सेक्टर-"जी" सी-1/83 के सामने
7- सेक्टर-"एच" 2/723 के सामने
8- सेक्टर-"आई" एम-11/57 के सामने

विकास प्राधिकरण की बैठक दि0 22.1.2000 में विषय सं0-11 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन में गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु पार्क के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई हेतु गठित उप समिति की बैठक दि0 21.2.2000 की कार्यवाही

| क्रम सं0 | आपत्तिकर्ता का नाम | आपत्तियों/सुझावों का सूक्ष्म विवरण | समिति का निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1. | डा0 आर0के0 परमहंस<br>अध्यक्ष,<br>गोमती नगर जनकल्याण समिति, 3/134<br>विश्वास खण्ड सी0 ना0<br>लखनऊ | पार्क के आस पास चारो तरफ पतली पतली सडके होने की वजह से पार्क में कार्यक्रम होने पर आये दिन सडको पर जाम लगा रहेगा और निवासियो का आना जाना दूभर हो जायेगा। आये दिन सडक दुर्घटने हो लगेगी। आस पास के बच्चे पार्क में खेलने से वंचित हो जायेंगे। कार्यक्रमो में लाउडिसपीकर आदि लगने से निवासियो की नीद हराम हो जायेगी तथा बच्चो की पढाई पर विपरीत असर पडेगा।<br><br>आस पास के निवासियो का जीवन असुरक्षित हो जायेगा। पार्क आस पास के क्षेत्र के निवासियों के लिये हरियाली और पर्यावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिये अत्यावश्यक है और यह विश्वास खण्ड-3 की "ग्रीन बेल्ट" का एक अति आवश्यक भाग है।<br><br>पार्क में विश्वास खण्ड के निवासियो के बच्चे सुबह शाम खेलते हैं और उनके लिये यह एक क्रीडा एवं व्यायाम का स्थल है। पार्क स्थल एक छोटे आकार का एवं तिकोने आकार का है। इसके चारो तरफ मुख्य सडके है। वास्तव में इसके आस पास 6 मुख्य सडके है। इसमे कोई भी निर्माण करने से चारो तरफ से सडको पर चलते व्यक्तियो को एवं वाहनो को नहीं देखा जा सकता और इसके अभाव में अनेको एक्सीडेन्ट होने का पूर्ण खतरा है।<br><br>भवन सं0 3/286 के सामने एवं पार्क के बाई ओर एक बडा बडहल का पेड है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, पार्क में निर्माण होने से चारोतरफ से हवा रूक जायेगी और निवासियो का जीना मुश्किल हो जायगा। | आपत्तिकर्ताओं द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दि0 21.2.2000 को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाये, जिसमें संलग्नक के अनुसार 4 आपत्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जिनके नाम निम्न प्रकार है :-<br>1. श्री एम0 ए0 हनीफ<br>2. डा0 आर0के0 परमहंस<br>3. श्री पी0 सी0 गौतम,<br>4. श्री ए0 पी0 जे0 क्लीफर्ड<br><br>उपरोक्त चारो आपत्तिकर्ताओं को सुनने के उपरान्त तथा प्राप्त आपत्तियो पर सम्यक विचारोपरान्त तथा स्थल के निरीक्षण के पश्चात् यह पाया गया कि प्रश्नगत पार्क के चारो ओर आवासीय भवन बन चुके हैं। जिससे अब पार्क के उपयोग को परिवर्तित करने पर प्रबल विरोध है, अतः सामुदायिक सुविधा हेतु वैकल्पिक स्थल चयनित करके स्थापित करना विचारणीय होगा। |

21/2/2000

वर्तमान समय में ही इस पार्क के आस-पास 6 लड़के होने से आए दिन "एक्सीडेण्ट" होते रहते हैं।
विश्वास मार्केट को "कम्युनिटी हाल" के रूप में पूर्व में इस्तेमाल किया गया है। अतः उक्त पार्क में कम्युनिटी हाल की कोई आवश्यकता नहीं है।
पार्क के बाईं तरफ "लो लाइंग एरिया" है और लड़के नीचे हैं। बरसात के दिनों में इसके आसपास जल भराव हो जाता है और इस प्रकार जल भराव की समस्या हर वर्ष बनी रहती है।
नक्शे जो हमें मिले हैं उसमें सम्बन्धित पार्क केवल पार्क के रूप में ही दर्शाया गया है कोई भी पार्क नई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक कम्युनिटी हाल के रूप में परिवर्तित न किया जा सकता है और न ही उसमें कोई निर्माण कराया जा सकता है।
पार्क के पास 4 बड़े सीवर हैं जिनसे अक्सर पानी "ओवरफ्लो" होता रहता है और निवासियों को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने से विश्वास खण्ड-3 के निवासियों में घोर असंतोष व्याप्त है।
पार्क पर कोई भी निर्माण कार्य करने से इस पार्क के आस-पास के निवासियों के जानमाल एवं आवागमन के अवरूद्ध होने एवं "भयंकर एक्सीडेण्ट" होने का पूर्ण खतरा है।

21.2.2000
(विजय शंकर बाजपेयी)
सदस्य, लविप्रा

21/2/2000
(एम. पी. अनेजा)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश।

21/2/2000
(सुनीता चतुर्वेदी)
सचिव,
लविप्रा

विकास प्राधिकरण लखनऊ(बोर्ड) की गत बैठक दिनांक 22.1.2000 के विषय संख्या-23 एवं 24 पर लिये गये निर्णय के क्रम में गठित उपसमिति की बैठक का कार्यवृत्त

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2000 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन में गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 7.4.2000 को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कार्यालय में आहूत की गयी। बैठक से पूर्व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, श्री राम अधार सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0, दशहरा क्लब, बैडमिन्टन तथा टेनिस एकाडमी के प्रस्तावों के संदर्भ में स्थल निरीक्षण किया गया, तदुपरान्त प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार विभिन्न बिन्दुओं का परीक्षण किया गया। निर्णय में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर संस्तुति निम्न प्रकार है:-

1. शासनादेश में प्राविधान

क्लब, बैडमिण्टन एकाडमी तथा टेनिस एकाडमी की भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में यद्यपि शासन द्वारा कोई दिशा-निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं, परन्तु लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना-2001 के जोनिंग विनियमन के अन्तर्गत मनोरंजन(खुले स्थल, पार्क तथा क्रीड़ा-स्थल) हेतु आरक्षित भूमि पर खेलकूद एवं मनोरंजन उपयोग हेतु भवनों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य भवनों का निर्माण निषिद्ध किया गया है।

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु भूमि के सम्बन्ध में भू-आच्छादन तथा एफ.ए.आर का उल्लेख नहीं किया गया है। शिक्षण संस्थाओं के साथ खेलकूद के मैदान हेतु दी जाने वाली भूमि पर शासनादेश संख्या 231/9-आ-1-99-190डी0/95, दिनांक 01.02.1999 हेतु दिये जाने वाली भूमि पर अधिकतम 2% भू-आच्छादन अनुमन्य किये जाने का उल्लेख है। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 22.11.99 की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मनोरंजन के भू-उपयोग के लिये निर्धारित भूमि पर भू-आच्छादन तथा एफ.ए.आर. हेतु शासन से निर्देश प्राप्त कर लिया जाय। अतः भू-आच्छा० तथा एफ.ए.आर, हेतु विषय शासन को संदर्भित किया जाना उचित होगा।

शेष-2, पर.....

2. स्थल पर सीमा के अन्तर्गत मौके पर स्थिति एवं पेड़ो की संख्या

बलथ, बैडमिन्टन तथा टेनिस एकाडमी हेतु पूर्व में प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया । सम्पूर्ण भूमि का क्षेत्रफल लगभग 82 एकड है, जिस पर वर्ष 1986 मे वन विभाग अवध रेन्ज द्वारा 20,000 पौधे लगाये जाने की सूचना स्थल पर सूचना पट में अंकित है । जिस स्थल पर इन संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, उस स्थान पर बबूल, शीशम, अर्जुन, गुलमुहार तथा यूकिलिप्टस आदि मिश्रित प्रकार के वृक्ष आरोपित किये गये हैं तथा प्रस्तावित स्थल पर इन वृक्षों की सघन श्रेणी है । स्थलीय रिपोर्ट के अनुसार अभियन्त्रण खण्ड द्वारा यह अवगत कराया गया है कि स्थल पर वर्तमान में 11,421 वृक्ष विभिन्न प्रजातियो के विद्यमान हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| I. | बबूल | 4700 |
| II. | शीशम | 6211 |
| III. | गुलमुहार | 52 |
| IV. | यूकिलिप्टस | 58 |
| V. | अर्जुन | 300 |

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षो की सघनता को दृष्टिगत रखो हुए रिंग रोड के किनारे कुकरैल नाले तेलिराज खण्ड चौराहे तक स्थित भूमि को वैकल्पिक स्थल हेतु विचार किया गया । इस स्थल की मात्रा वांछित मात्रा से काफी कम है तथा यह भूमि रिंग रोड से लगभग 6मी0 की गहराई पर स्थिति होने के कारण निर्माण हेतु अनुपयुक्त है । स्थल पर पेड़ भी विद्यमान हैं, जिनको काटे बिना निर्माण कार्य किया जाना संभव न होगा ।

क्रमशः.....3

3. ग्रीनबेल्ट तथा अनडिस्टर्ब्ड भूमि पर संस्था का एक्सक्लूसिव कन्ट्रोल

क्लब, बैडमिण्टन एकाडमी तथा टेनिस एकाडमी आदि को उपलब्ध करायी गयी भूमि पर एक्सक्लूसिव कन्ट्रोल उस संस्था का रहेगा।

4. संस्था के प्रबन्धतन्त्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व

समिति द्वारा पत्रावली का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि क्लब के निर्माण हेतु भूमि निजी संस्थाओं को लेटर आफर प्राप्त करके तथा बैडमिण्टन एकाडमी हेतु भूमि शासकीय विभागों को आवंटित की जानी है। अतः इस संदर्भ में समिति का मत निम्नवत् है:-

(क) क्लब को भूमि आवंटित किये जाने की दशा में विकास प्राधिकरण के दो अधिकारी सदस्य के रूप में नाम्नित किये जायेंगे।

(ख) बैडमिण्टन एकाडमी तथा टेनिस एकाडमी के प्रबन्धतन्त्र में विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व रहेगा। प्राधिकरण द्वारा कार्यकारिणी समिति में दो सदस्यों को नाम्नित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(जी. पी. श्रीवास्तव)
मुख्य नगर नियोजक।

(राम अधार सिंह)
सदस्य,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

(एम. पी. अग्रवाल)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

विषय संख्याः 3 पृष्ठ संख्याः 46

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय–व्यय विवरण एवं बैलेन्सशीट वर्ष, 1997–98 का अनुमोदन

प्रस्ताव की बुकलेट अलग से
प्रस्तुत की जा रही है, जो
साथ में संलग्न है।

विषय संख्या :-

विषयः- लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय विवरण एवं बैलेन्सशीट वर्ष 1997-98 का अनुमोदन।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्सशीट वर्ष 1996-97 तक बोर्ड बैठक दिनांक 8.3.99 को अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

वर्ष 1997-98 की बैलेन्सशीट पूर्ण रूप से तैयार करा कर प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 1998-99 की बैलेन्सशीट संकलन में है।

बैलेन्सशीट की आरोट्स साईड अवलोकन करने पर यह विदित होगा कि प्राधिकरण निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है।

| सम्पत्ति पक्ष | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|
| Fixed Assets and work in progress | 1031.89 | 933.15 |
| Traded Property | 10038.31 | 15299.09 |
| Receivable Amount Public | 5629.04 | 5640.41 |
| Other Cash Assets | 3048.32 | 3586.34 |
| | 19747.56 | 25459.09 |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राधिकरण के निर्धारित पावने तथा चल रहे कार्यों में अधिक गिरावट नहीं तथा व्यवसायिक सम्पत्ति जो वर्ष 1996-97 में रू० 10038.31 लाख थी वह वर्ष 1997-98 में बढ़ कर रू०15299.09 लाख हो गई अर्थात प्राधिकरण के दायित्व के अनुमान में है। इस सम्पत्ति के अतिरिक्त प्राप्त योग्य धनराशि रू० 5629.04 लाख से बढ कर रू० 5640.41 लाख हुई है। इससे प्रकट होता है कि प्राधिकरण ने अधिक मात्रा में आवंटन नहीं किये तथा जनता से आवंटन धनराशि/किस्तों की धनराशि वसूली कम मात्रा में हुयी।

इसके अतिरिक्त कैश पावने भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। इस प्रकार उक्त वर्ष में Financial Viability प्राधिकरण के हित में तथा संतोषजनक रही है और प्राधिकरण के कार्य संचालन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

[ 2 ]

## प्राधिकरण के दायित्व

दायित्व पक्ष में प्राधिकरण श्रोतों से प्राप्त ऋणों की अदायगी पंजीकृत डिपाजिट प्रतिकर के भुगतान की प्रमुख मदें हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :-

| दायित्व पक्ष | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|
| शासकीय तथा संस्थागत ऋणों का दायित्व | 11,165.38 | 11,067.21 |
| चालू दायित्व (प्रतिकर जनता की पंजीकरण की धनराशि) | 7,873.60 | 13,784.88 |
| आय तथा व्यय पर आधिक्य | 708.58 | 667.99 |
| | 19,747.56 | 25,459.08 |

शासन तथा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त ऋणों की धनराशि में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि प्राधिकरण ने मूलधन के भुगतान एक ओर किये तथा उसी अनुपात में नया ऋण प्राप्त किये।

आय का व्यय पर आधिक्य वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में क्रमशः रू० 1337.28 लाख रू० 1396.82 लाख, रू० 1129.55 लाख, रू० 975.70 लाख, रू० 708.58 लाख तथा रू० 606.99 लाख रहा है।

उक्त वर्षो की वैलेन्सशीट प्राधिकरण जो सुदृढ़ Financial Viability को दर्शित करती है। प्राधिकरण वित्त संचालन में कोई भी आपत्तिजनक विन्दु नहीं है। प्राधिकरण कृपया उक्त वर्ष की वैलेन्सशीट अनुमोदित करने का कष्ट करे ताकि इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग तथा अगली महालेखाकार आडिट में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

मुख्य लेखाधिकारी

सचिव

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा

किये गये कार्यों की भौतिक

एवं वित्तीय प्रगति आख्या

प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ

अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।

---

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय–व्ययक वर्ष 2000–2001

प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल

आय–व्ययक वर्ष 2000–2001 प्राधिकरण

के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ अलग से

प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विषयः— जानकीपुरम विस्तार योजना में 45.00 मीटर चौड़ी सड़क की विवादित भूमि के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव।

प्रस्तावः— जानकीपुरम विस्तार योजना में 45.00 मीटर चौड़ी महायोजना सड़क का सेक्टर "आई" जानकीपुरम को जोड़ने वाली 18.00 मीटर चौड़ी सड़क तक लगभग 95 मीटर लम्बाई में निर्माण भूमि अर्जित न होने के कारण नहीं हो पा रहा है। प्रश्नगत् भूमि को समझौते के आधार पर लिये जाने सम्बन्धी परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव औपचारिक स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव

जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर 1 तथा 2, 3 व 4 के मध्य जा रही 45 मी0 चौड़ी महायोजना सड़क का सेक्टर आई जानकीपुरम को जोड़ने वाली 18 मी0 सड़क तक लगभग 95 मी0 लम्बाई में निर्माण, भूमि अर्जित न होने के कारण नहीं हो पा रहा है। यह भूमि ग्राम मड़ियावंकी आराजी में आती है तथा इसका स्वामित्व ओ. पी. सहकारी समिति के पास है। यह सड़क मास्टर प्लान सड़क है तथा योजना की जोनल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें जैसे ट्रंक सीवर, आंशिक एस.डब्लू. ड्रेन तथा विद्युत लाइनें आदि इसी सड़क से गुजरेंगी तथा सेक्टर 'आई' जानकीपुरम से जुड़ेगी। इस प्रकार सड़क के इस भाग का निर्माण अपरिहार्य है। इस क्रम में 95 मी0 लम्बाई में तथा 45 मी0 चौड़ाई में सड़क के निर्माण हेतु ओ. पी. सहकारी समिति के सचिव एवं सदस्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर कई बार विचार विमर्श हुआ तथा तलपट मानचित्र में अंकित सड़क के एलाइनमेंट की भूमि प्राधिकरण को आपसी समझौते के आधार पर हस्तानान्तरित करने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के उपरान्त अपने पत्र दिनांक 9.2.2000 द्वारा निम्न शर्तो के साथ सड़क अपनी भूमि से निकालने की सहमति दी गयी है :-

(1) निर्माणधीन 45 मी0 सड़क का तलपट के अनुसार 18 मी0 सड़क के जंक्शन बिन्दु पर 45 मी0 रोड के उत्तर दिशा की ओर के कोने को 43 मी0 (18 मी0 रोड के समानान्तर नापने पर ) दक्षिण दिशा की ओर शिफ्ट कर उत्तरी कोना निर्धारित किया जाय।
(2) प्राधिकरण में प्रचलित नियमों के अनुसार हमारी 45 मी0 व 18 मी0 चौड़ी सड़क में आ रही भूमि के बदले में हमारी समिति की भूमि से सटी हुयी 50 प्रतिशत भूमि को लेने को सहमत है।
(3) यदि प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार दी गयी एवं हमारी समिति की भूमि का तलपट मानचित्र स्वीकृत किया जाता है तो हम भूमि का बाहय विकास शुल्क देने को तैयार है।
(4) यह विकल्प अंतिम है तथा इसके अतिरिक्त हम किसी अन्य विकल्प पर सहमत नहीं है।

समिति के इस पत्र की शर्त सं0 1 के अनुसार साथ संलग्न योजना के तलपट में बिन्दु "अ" पर महायोजना मार्ग के एलाइनमेंट में परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है तथा एलाइनमेंट के इस परिवर्तन से सड़क की 225 मी0 की लम्बाई में योजना की अर्जित भूमि की सीमा पर सड़क मात्र 10 मी0 शिफ्ट हो रही है। एलाइनमेंट की इस शिफ्टिंग से सेक्टर 4 में 1241.00 वर्ग मी0 भूमि कम उपलब्ध हो पायेगी, जबकि सेक्टर 1 में 1022.00 वर्ग मीटर भूमि अधिक उपलब्ध होगी इस प्रकार इन दोनों सेक्टर्स की आवासीय भूमि की उपलब्धता पर कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस सड़क को महायोजना के अनुसार एलाइनमेंट में बढ़ाने पर यह सड़क ग्राम मड़ियाँव के मध्य से गुजरेगी तथा सड़क के दोनों ओर 405 मी0 तथा 200 मी0 की दूरी तक ग्राम मड़ियाँव स्थित है। महायोजना में ग्राम मड़ियाँव प्रदर्शित नहीं किया गया है जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ऐसी स्थिति में महायोजना में दर्शाये गये एलाइनमेंट पर सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है। अत: इस सड़क के एलाइनमेंट में परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य है।

Saurabh Chandra

यदि सड़क का निर्माण तलपट मानचित्र में प्रदर्शित एलाइनमेंट में होता, तो ओ. पी. सहकारी समिति की 45.00 मी0 रोड में 4412.00 वर्ग मी0 तथा 18.00 मी0 रोड में 1949.35 वर्ग मी0 भूमि अर्थात् कुल 6361.35 वर्ग मी0 भूमि आती। संशोधित एलाइनमेंट में सड़क निर्माण के इस प्रस्ताव में समिति की 45.00 मी0 रोड में 4325.50 वर्ग मी0 एवं 18.00 मी0 रोड में 1949.35 वर्ग मी0 अर्थात् कुल 6274.85 वर्ग मी0 भूमि आ रही है। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में समिति की भूमि लिया जाना आवश्यक था तथा एलाइनमेंट के परिवर्तन से समिति की ली जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा है।

उपरोक्तानुसार योजना की अवस्थापना सुविधाओं के कार्यान्वयन तथा महायोजना के अनुसार एलाइनमेंट में ग्राम मड़ियाँव आने के कारण सड़क के एलाइनमेंट को पुनरीक्षित करने हेतु निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :-

(1) 45 मी0 रोड का निर्माण भू-विन्यास में अंकित संशोधित एलाइनमेंट के अनुसार ओ. पी. सहकारी समिति की भू अंश पर कराया जाय।

(2) 45 मी0 रोड एवं 18 मी0 रोड में आ रही समिति की 6274.85 वर्ग मी0 भूमि के बदले में 50 प्रतिशत अविकसित भूमि अर्थात् 3137.42 वर्ग मी0 भूमि समिति की भूमि से सटी हुयी ओ. पी. सहकारी समिति को दे दी जाय तथा प्राधिकरण द्वारा समिति की भूमि का तलपट मानचित्र नियमानुसार बाह्य विकास शुल्क लेकर स्वीकृत कर दिया जाय। समिति की 6274.85 वर्ग मी0 भूमि अर्जन से प्रभावित नहीं है। अत: यह Exchange का प्रस्ताव है जिस पर सचिव आवास की अध्यक्षता में 24.09.99 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। Exchange में सम्मिलित भूखण्डों का भू-प्रयोग समान है। समिति द्वारा दिये जा रहे भू-खण्ड की अनुमानित लागत रू0 752816.00 (क्षेत्रफल 2.4808 वीघा, रू0 303457.00 प्रति वीघा की दर से) है जबकि समिति को प्राप्त हो रहे भू-खण्ड की अनुमानित लागत रू0 461985.00 (क्षेत्रफल 3137.42 वर्गमीटर, रू0 147.25 प्रति वर्गमीटर की दर से) मात्र है।

(3) भूमि की आदान प्रदान की ट्रान्सफर डीड पर आने वाले व्यय का आधा भार प्राधिकरण द्वारा एवं आधा भार ओ. पी. सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा, प्रत्येक पक्ष पर अनुमानत: व्यय रू0 55,500/- आयेगा। यह व्यय दोनों प्रस्तावों (महायोजना के अनुसार एलाइनमेंट तथा संशोधित एलाइनमेंट) में आयेगा।

(4) सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण त्रुटिपूर्ण ले आउट बनाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करके अगली प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

Saurabh Chandra
Commissioner
Division

PROPOSED MAJOR
ROAD NETWORK PLAN
(AMBEDKAR NAGAR)
SITAPUR ROAD SCHEME
LUCKNOW
VILLAGE
MANIKANWA
45.0 M. ROAD
REVISION

# JANKIPURAM
## EXTENSION SCHEME

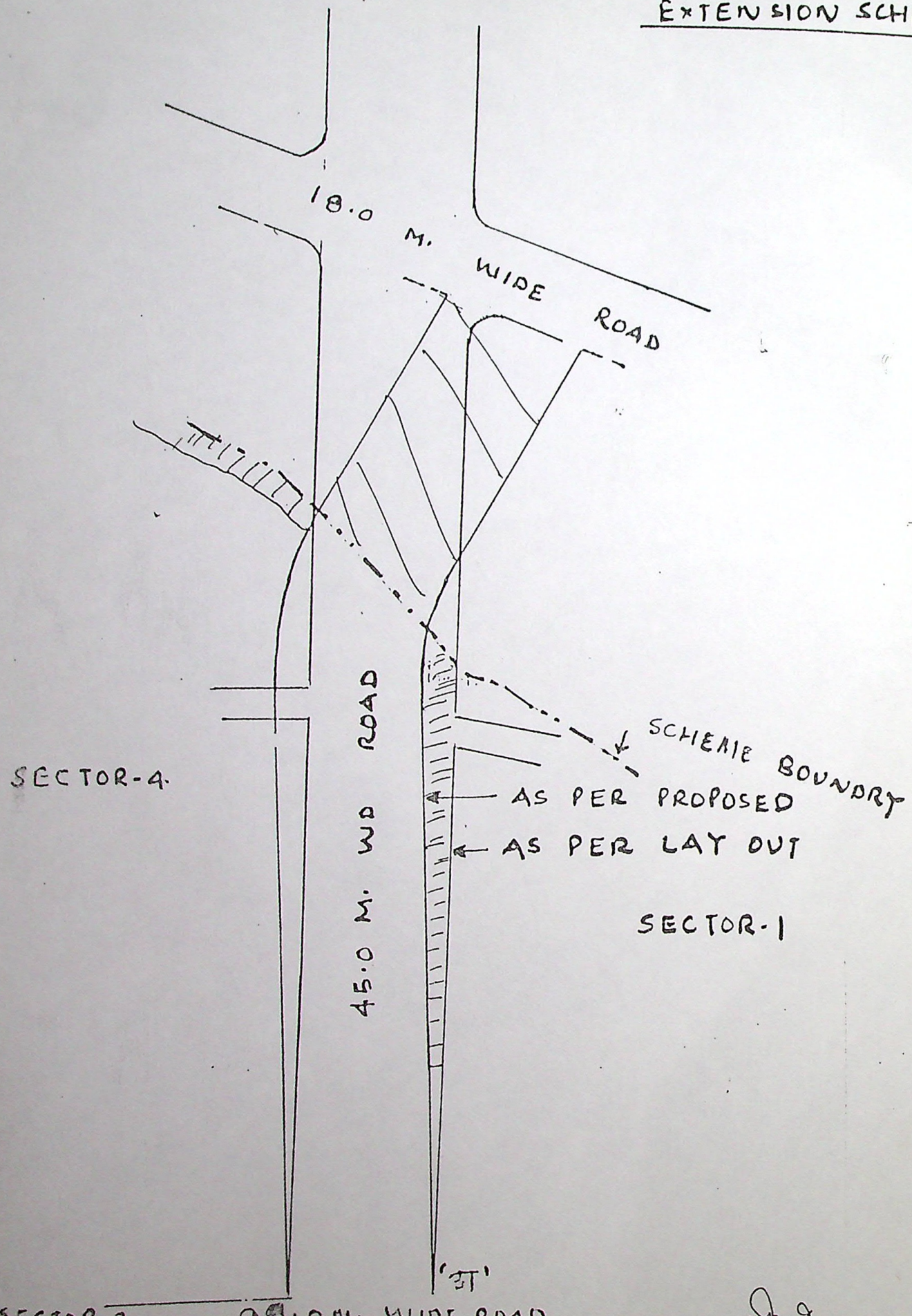

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्कूटर/मोटर साइकिल भत्ते बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

विषयवस्तु: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं में सर्वेक्षण, विकास एवं निर्माण कार्य सम्पन्न कराने हेतु विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को नित्य–प्रति कार्यालय से बाहर योजना क्षेत्रों में जाना पड़ता है। साथ ही प्राधिकरण के महत्वपूर्ण मुकदमों की पैरवी हेतु विभिन्न न्यायालयों, उच्च न्यायालय, उपभोक्ता फोरम में जाना पड़ता है एवं वादों से सम्बन्धित अधिवक्ताओं के कार्यालय/आवास पर भी जाकर वादों की तैयारी करानी पड़ती है, इस कार्य में कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने निजी वाहनों तथा स्कूटर/मोटर साइकिल का प्रयोग करना पड़ती है। वाहनों का अनुरक्षण भी कर्मचारी द्वारा स्वयं कराया जाता है, केवल वाहन भत्ते के तौर पर प्राधिकरण की ओर से निर्धारित 400 किलोमीटर प्रतिमाह तय करने के आधार पर रु0:300/= प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाता है। उ0प्र0विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ, लखनऊ उक्त भत्ते को अपयल्प बताते हुए वाहन भत्ता बढ़ाये जाने का आवेदन किया है। वाहन भत्ते के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.12.94 में निर्णय लिया गया था तदोपरान्त शासनादेश सं0:943/9आ–5–96–41ई/96 दिनांक 24 फरवरी, 1996 (छायाप्रति संलग्न) में यह निर्देश दिया गया था कि कर्मचारी संवर्ग की सुविधाओं, भत्ते या वेतन से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव पर प्राधिकरण स्तर पर चर्चा तो हो सकती है परन्तु शासन की पूर्व अनुमति के बगैर इस प्रकार से कोई भी निर्णय लागू नहीं किये जायेगें, इससे पूर्व शासन की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये, जहाँ तक वाहन भत्ते के सम्बंध में उ0प्र0विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ कर्मचारी संघ की वाहन भत्ते की बढ़ोत्तरी मांग वाजिब प्रतीत होती है। यद्यपि उक्त संघ ने अपने मांग–पत्र में वाहन भत्ता रु0:900/= प्रतिमाह किये जाने का विश्लेषण करते हुए अनुरोध किया है परन्तु प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति व जनहितकारी कार्यो में संलिप्तता के कारण इतनी वृद्धि उपयुक्त न होगी, फिर भी बढ़ी हुई पेट्रोल/मोबिलआयल की कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1994 में निर्धारित की गई वाहन भत्ते की दरों को पुनरीक्षित किया जाना उपयुक्त है। मुख्यलेखाधिकारी की आख्यानुसार

क्रमशः....

लखनऊ विकास प्राधिकरण में 383 कार्मिकों को स्कूटर/वाहन भत्ता दिया जा रहा है,जिस हेतु प्रतिमाह रु0:300/= की दर से रु0:1,14,900/= अर्थात् रु0:12,78,800/= व्यय किया जा रहा है। यदि रु0: 350/= की दर से भुगतान किया जाता है तो रु0:19,150/= प्रतिमाह अर्थात् कुल रु0:2,29,800/= मात्र प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी। अतः पूर्व वाहन भत्ते की दर रु0:300/= के स्थान पर रु0:350/=(रुपया तीन सौ पचास) प्रतिमाह करने पर विचार करने की कृपा करें।

विषयः– श्री प्रेम शंकर गुप्ता, लेखा लिपिक के पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

–

प्रस्तावः– श्री प्रेम शंकर गुप्ता, द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर दिनांक 24.1.77 एवं पदोन्नति के उपरान्त लेखा लिपिक के पद पर दिनांक 20.12.97 से लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत है। प्रार्थी के आवेदन–पत्र दिनांक 21.12.99 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनके पुत्र की सड़क दुर्घटना हो जाने के कारण दिनांक 10.8.98 को हेड इन्जरी के शिकार हो गये। दुर्घटना के उपरान्त तत्काल उन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराना पड़ा। पुत्र की बीमारी पर लम्बे अवधि तक इलाज होने के कारण लगभग रु0:88,642/= व्यय करना पड़ा।

श्री प्रेम शंकर गुप्ता, लेखा लिपिक के पुत्र पर धनराशि रुपयाः88,642/= (रुपये अट्ठासी हजार छह सौ बयालिस) की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु प्रकरण विकास प्राधिकरण (बोर्ड) में विचारार्थ रक्खे जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषयः– श्रीमती परवीन आलिया को शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड–1 में आबंटित भूखण्ड संख्याःए–2/3(540वर्गमी.)को गोमती नगर योजना फेज–2 विराज खण्ड में परिवर्तन के के सम्बन्ध में।

प्रस्तावः–

श्रीमती परवीन आलिया को शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड–1 में भूखण्ड संख्याःए–2/3 (540 वर्गमी0) आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड के मद में रुपये 2,29,520/= जमा किये जा चुके हैं। श्रीमती परवीन आलिया द्वारा अनुरोध किया गया है कि मेरे पति शहर से बाहर रहते हैं और प्रार्थिनी भी अक्सर बीमार रहती है तथा सभी सगे सम्बन्धी गोमती नगर में ही रहते हैं, जिससे प्रार्थिनी को बीमारी में काफी आराम रहेगा। अतः उक्त भूखण्ड को गोमती नगर योाजना के फेज–2 विराज खण्ड में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है।

अतः श्रीमती परवीन आलिया को शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड–1 में आबंटित भूखण्ड संख्याःए–2/3 (540 वर्गमी0) को गोमती नगर योजना के फेज–2 में परिवर्तन हेतु बोर्ड बैठक के समक्ष आदेशार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय : गोमती नगर योजना के विराम स्थित भूखण्ड संख्या सी0पी0-1 का आवंटन मे0 रोमित बिल्डर्स के पक्ष मे बहाल किये जाने के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध मे ।

गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित व्यवसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1440 की नीलामी समाचार पत्रो मे विज्ञापन देकर दिनांक 27·1·94 को की गयी जिसमे अधिकतम बोली रुपया 3100/- प्रति वर्ग मी0 की मे0 रोमित बिल्डर्स की प्राप्त हुई और भूखण्ड मे0 रोमित बिल्डर्स के पक्ष मे आवंटित किया गया । जिस समय नीलामी की स्वीकृति ली गयी तो उसमे विराम खण्ड-5 लिखा हुआ था जिसे काट के बाद मे एक कर दिया गया और आगे की शेष कार्यवाही भूखण्ड संख्या सी0पी0-1 विराम खण्ड-1 के सम्बन्ध मे की जाती रही और बिल्डर्स के पक्ष मे विभाग द्वारा दिनांक 9·1·95 को अनुबन्ध किया गया, परन्तु विभाग को जब यह जानकारी मे आया कि इस मामले मे विराम खण्ड-5 के स्थान पर विराम खण्ड-1 किया गया है तो दिनांक 3·11·95 को उपाध्यक्ष द्वारा मे0 रोमित बिल्डर्स के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया जिसके विपरीत बिल्डर्स ने माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका दायर कर दी । यह रिट याचिका निरस्तीकरण के आदेश को समाप्त करने की थी । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि आवंटन निरस्त करने के पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस नही दिया गया है । उपरोक्त व्यवसाय भूखण्ड को उपभोग मे लाये जाने हेतु विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11·4·96 को प्रस्तुत किया गया जिस पर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । चूँकि माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका लम्बित थी । अतः कोई कार्यवाही उपरोक्त भूखण्ड पर नही की गयी । पूरे मामले की जाँच करके अपनी संस्तुति देने हेतु उपाध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य सचिव, अपर सचिव, मुख्य नगर नियोजक, कास्ट एकाउन्टेन्ट एवम् इकोनामिक प्लानर थे इस समिति ने निम्न संस्तुति दी है :-

1- यद्यपि प्रश्नगत भूखण्ड हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11·4·96 मे व्यवसायिक से आवासीय मे परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है परन्तु सी0डी0पी0 द्वारा शासन को भूभाग को परिवर्तन हेतु विषय नही भेजा गया । अतः भू-उपयोग परिवर्तित नही हुआ ।

....

2. विराम खण्ड-1 के दो भूखण्ड को नीलाम किये जाने की अभिलेखो से पुष्टि होती है और मै0 रोमित बिल्डर्स द्वारा की गयी हेरा-फेरी किये जाने की पुष्टि नही होती है ।

3- मै0 रोमित बिल्डर्स ने अपने पत्र दिनांक 4.12.98 द्वारा यह सहमति दी है कि उक्त फर्म प्रश्नगत भूखण्ड मे इस प्रावधान के साथ निर्माण कार्य करेगी कि पार्क की ओर फेस करते हुए कोई दुकान नही खोलेगी तथा प्रथम तल के फ्रण्ट मे रोड साइट को फेस करते हुए दुकान बनेगी । द्वितीय तल पर दुकाने एवम् कार्यालय बनेगा । अतः समिति का अभिमत है कि उक्त फर्म 24 मीटर सड़क की ओर ही दुकानो का रुख रखे तथा पार्क की ओर पूरी ऊँचाई मे किसी भी दुकान/कार्यालय का रुख न रखा जाय ।

4- मै0 रोमित बिल्डर्स ने अपने प्रत्यावेदन मे उल्लेख किया है कि उनके द्वारा जमा 25 प्रतिशत धनराशि पर ब्याज दिया जाय क्योकि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक पक्षीय आवंटन निरस्त किया गया । समिति का अभिमत है कि ठोस कारणो के आधार पर आवंटन निरस्त नही किया गया है और न ही कारण बताओ नोटिस दिया गया जो आवंटन निरस्त करने से पूर्व अनिवार्य था अतः समिति का अभिमत है कि उनकी जमा धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दे दिया जाय और अनुबन्ध के अनुसार देय किश्तो पर विलय की दशा मानते हुए अनुबन्ध के आधार पर ब्याज ले लिया जाय । इसके आधार पर देय ब्याज रु0 9,18,314.75 और लिया जाने वाला ब्याज रु0 21,84,850.33 आता है । इस प्रकार उपरोक्त फर्म द्वारा देय धनराशि (मूलधन + ब्याज) रु0 53,91,025.83 आता है जबकि उक्त फर्म की जमा धनराशि ब्याज सहित रु0 19,86,373.25 आती है । इस प्रकार अन्तर धनराशि रु0 34,04,652.58 उक्त फर्म द्वारा देय है । इस धनराशि को आठ समान त्रैमासिक किश्ते ली जाय । एक त्रैमासिक किस्त अभी ले ली जाय

और फिर सात त्रैमासिक किस्ते ली जाय । पुनरीक्षित अनुबन्ध निष्पादित किया और प्रथम त्रैमासिक किस्त अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से तीन-तीन माह की तिथि से पूर्व देय होगी । इसी प्रकार शेष छः त्रैमासिक किस्ते तीन-तीन माह के अन्तराल से देय होगी । विलय की दशा मे 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा जो वार्षिक कम्पाउण्ड किया जाय ।

5- उपरोक्त फर्म को माननीय उच्च न्यायालय से अपना वाद वापस लेना होगा और पुनरीक्षित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा । पुनरीक्षित अनुबन्ध के निष्पादन के पश्चात भूखण्ड का कब्जा दे दिया जाय ।

उपरोक्त संस्तुति प्राधिकरण हित मे प्रतीत होती है । अतः प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करे ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 जुलाई,99 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा प्रकरण कर परीक्षण कर समिति की संस्तुतियों पर सहमति दे दी गई है।

**विषय:–** **श्रीमती बीना अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या:4/2/बी, प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड) के सम्बन्ध में।**

**प्रस्ताव:–** श्रीमती बीना अग्रवाल को वर्ष 1998 में प्रियदर्शिनी योजना में "बी" प्रकार भूखण्ड संख्या:4/2/बी, के ऊपर से हाई टेन्शन लाईन है, जिसके कारण श्रीमती अग्रवाल के पक्ष में निबन्धन, कब्जे की कार्यवाही अभी तक नहीं की जा सकी है। श्रीमती अग्रवाल द्वारा भूखण्ड के मद में पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और अब यह अनुरोध किया है कि प्रार्थिनी को गोमती नगर योजना के विकसित खण्ड में भूखण्ड का परिवर्तन कर दिया जाये। चूँकि वर्तमान में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। अतः श्रीमती बीना अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या: 4/2/बी, को प्रियदर्शिनी योजना के स्थान पर गोमती नगर योजना के विकसित खण्ड में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– **श्री मुकेश सरन को आवंटित भूखण्ड संख्याः4/3/बी, प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड) के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावः– श्री मुकेश सरन को वर्ष 1998 में प्रियदर्शिनी योजना में "बी" प्रकार भूखण्ड संख्याः4/3/बी, आवंटित किया गया था परन्तु अर्जन सम्बन्धी विवाद के कारण श्री सरन के पक्ष में निबन्धन/कब्जे की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। श्री सरन द्वारा भूखण्ड के मद में पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और अब यह अनुरोध किया है कि मुझे गोमती नगर के विकसित खण्ड में भूखण्ड का परिवर्तन कर दिया जाये। चूँकि वर्तमान में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। अतः श्री मुकेश सरन को आवंटित भूखण्ड संख्याः 4/3/बी, को प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड) के स्थान पर गोमती नगर योजना के विकसित खण्ड में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– **कुमारी आंसमा खान को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित भवन संख्याःएम–11/24, सेक्टर सेक्टर "सी" सीतापुर रोड योजना के विरुद्ध आरोपित ब्याज/दण्ड ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावः–

1– कुमारी आंसमा खान के पक्ष में भवन संख्याःएम–11/24,सेक्टर "सी" सी0रो0यो0 दिनांक 17.3.88 को नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित किया गया था,जिसका विक्रय मूल्य रुपयाः86,400.00 है।

2– कुमार खान द्वारा दिनांक 02.8.88 को इस आशय से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवंटित भवन किश्तों पर कर दिया जाय। तत्कालीन संयुक्त सचिव के आदेश दिनांक 27.9.89 के द्वारा भवन 12 वर्षो की किश्तों पर कर दिया गया तथा दिनांक 28.11.89 को अनुबंध निष्पादित कर दिया गया एवं भवन का कब्जा दिया गया,जिसमें आवंटी वर्तमान में रह रही है।

3– कुमारी आंसमा खान द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र के क्रम में भवन की अन्तिम गणना कराई गई। अन्तिम गणना के उपरान्त कुमार खान को इस आशय का मांग–पत्र प्रेषित किया गया कि वे रुपयाः19,259.00 दिनांक 15.7.91 तक जमा कर दें अन्यथा दण्ड ब्याज देय होगा।

4– कुमारी आंसमा खान द्वारा निबन्धन हेतु मांगी गई धनराशि जमा नहीं की गई,अपितु मा0उचच न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष याचिका संख्याः4096/एमबी/91 आंसमा खान बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से दाखिल की गई कि मांग–पत्र दिनांक 16.5.91 निरस्त कर दिया जाये। परन्तु मा0उच्च न्यायालय,लखनऊ द्वारा पक्षकारों की बहस सुनने के उपरांत दि0 12.1.04 को कुमार आंसमा खान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया।

5– वर्तमान में कुमारी खान के विरुद्ध दिनांक 30.6.2000 तक दण्ड ब्याज की धनराशि रुपयाः41,540.86 पैसा तथा मूल धनराशि रु0:19,259.12 पैसा अवशेष है। कुल बकाया धनराशि रुपयाः60,800.00

6– किराया क्रय पद्धति के आधार पर आवंटित भवनों में भवन एवं भूमि के निबन्धन का प्राविधान है।

**कुमारी आंसमा खान द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया है:–**

(क) भवन का निबन्धन केवल भूमि की दर पर किया जाय।

(ख) भवन के विरुद्ध किश्तों में आरोपित ब्याज तथा दण्ड ब्याज की धनराशि न वसूल की जाय बल्कि भवन की मूल लागत ली जाय।

–––––0–––––

विषय:-<u>जनपथ मार्केट स्थित दुकान सं0-बी-51 के बगल में स्थित 84.42 वर्गमी0 भूमि ग्राम विकास विभाग को आवंटित करने से सम्बन्धित।</u>

आयुक्त ग्राम विकास विभाग लखनऊ की मांग के क्रम में आर्थिक रूप से विपन्न ग्राम विकास की स्थिति सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती स्व-रोजगार योजना के संचालन हेतु पूर्व में उक्त भूमि का आवंटन आयुक्त ग्राम विकास विभाग को किया गया था,जिस पर कतिपय शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् गत बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के समक्ष यह विषय रखा गया था और विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया था कि"जनपथ मार्केट स्थित दुकान सं0-51 के बगल में स्थित 84.43 वर्गमी0 भूमि के विक्रय हेतु सील्ड आफर व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरांत मांग लिये जाय और यदि रू0-11,030332/=से अधिक का आफर प्राप्त होता है तो प्राप्त उच्चतम दर पर ग्राम विकास विभाग को आफर दिया जाय और यदि वे सहमत न हों तो उच्चतम आफर दाता को विक्रय किया जाय"। प्राधिकरण के निर्णय के अनुपालन में इस व्यवसायिक भूमि की नीलामी दि0 24.3.2000 को लगायी गयी थी किन्तु त्रुटिवश प्रकाशित सूचना में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि प्राप्त दर पर सर्वप्रथम ग्राम विकास विभाग को आफर दिया जाना है। इसी बीच श्री हरीश कुमार छावड़ा वास्ते राम प्रकाश गुप्ता एण्ड ब्रदर्स का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह कहा गया है कि वह हजरतगंज के विस्थापित हैं और इन्हें विस्थापित कोटे में अन्य विस्थापितों की भांति वैकल्पिक व्यवस्था दिये जाने का निर्णय मान्नीय न्यायालय ने दिया है अतएव उक्त भूमि जिसकी नीलामी प्राधिकरण कर रहा है,पहले उन्हें आवंटित की जाय। अवगत कराना है कि वर्ष 1975 में तत्कालीन उप नगर अधिकारी द्वारा अध्यक्ष स्टार एशोसिएशन हजरतगंज लखनऊ को अवगत कराया गया था कि आपके प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शेष 37 दुकानदारों को ओल्ड पोस्ट आफिस कम्पाउण्ड में स्थान देना स्वीकार कर लिया गया है,जिनमें से 36 दुकानदारों द्वारा जिनके पास स्टे था,केस वापस लेते हुए वैधानिक कार्यवाही न करने व वैकल्पिक स्थान के दिये जाने का लिखित पत्र ददिया गया और उन्हें समायोजित करते हुए वैकल्पिक स्थान दिये जाने का लिखित पत्र दिया गया,परन्तु श्री राम प्रकाश गुप्ता पुत्र बाल मुकुन्द ने केस वापस नहीं लिया और दुकान गिराये जाने के विरूद्ध न्यायालय में अदालत की मान-हानि का दावा दायर किया। इस सम्बन्ध में रेगुलर सूट के निर्णय पैरा-2 एवं 3 उल्लेखनीय हैं,कालान्तर में जनपथ मार्केट के पूर्ण होने पर इन विस्थापितों को विभिन्न साइज की दुकानें आवंटित कर दी गयी है,किन्तु श्री राम प्रकाश गुप्ता एण्ड ब्रदर्स द्वारा दायर रेगुलर सूट व अदालत की अवमानना का मुकदमा चलतर रहा। अदालत की अवमानना व न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध तत्कालीन प्रशासक श्री राजीव रतन शाह व अन्य को दोषी मानते हुए जुर्माना एवं सजा का निर्णय हुआ।

रेगुलर सूट में साउथ जज जूनियर डिवीजन लखनऊ द्वारा लिये गये निर्णय में वादी श्री राम प्रकाश गुप्ता एण्ड ब्रदर्स का ध्वस्तीकरण अनुचित मानते हुए उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्णय दिया गया। इस प्रकार वादी श्री राम प्रकाश गुप्ता एण्ड ब्रदर्स को भी वही अनुतोष मिलना है जो उनके जैसे अन्य दुकानदारों को पूर्व में मिल चुका है। इस लम्बे अन्तराल में अधिकांश दुकाने निस्तारित हो चुकी हैं

क्रमशः-2

तथा जो दुकानें रिक्त हैं वह राज्य सम्पत्ति विभाग के कब्जे में हैं और कुछ गोदामों के नीचे रिजर्वायर(पानी का टैंक) स्थित होने की दशा में उनका आवंटन किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत उपाध्यक्ष द्वारा फिलहाल उक्त भूखण्ड की नीलामी रोक दी गयी थी जिस पर पुनः प्राधिकरण से निम्न निर्णय अपेक्षित है:-

1. उपलब्ध 84.42 वर्गमी0 भूमि में से 26.87 वर्गमीटर भूमि ( जो अन्य विस्थापितों को दी गयी है) श्री राम प्रकाश गुप्ता वास्ते राम प्रकाश एण्ड ब्रदर्स को आवंटित कर दी जाय तथा यह आवंटन किन दरों पर किया जाय इसके सम्बन्ध में भी निर्णय ले लिया जाय।

2. अवशेष 57.56 वर्गमीटर भूमि की नीलामी प्राधिकरण द्वारा लिये गये पूर्व निर्णयों के क्रम में कर दिया जाय। यदि ग्राम विकासा विभाग इन दरों पर सहमत न हो तो उच्चतम आफर दाता को इस भूखण्ड का विक्रय कर दिया जाय।

**भगवान दास गुप्ता को शारदा नगर योजना में आवंटित भवन संख्याः एच0आई0जी0–1/73 रुचि खण्ड के बदले गोमती नगर योजना में भवन संख्याः एच0आई0जी0–4/310 विनीत खण्ड में भवन का आवंटन।**

श्री भगवान दास गुप्ता को शारदा नगर योजना में भवन संख्याः एच0आई0जी0 1/73 रुचि खण्ड आवंटित है। इन्होंने इस भवन के मद में फरवरी,1991 से जून,1999 तक रु0 6,52,870/= जमा किया है। इनका कथन है कि शारदा नगर योजना जिस स्थल पर यह भवन उपलब्ध है वहां पर विकास कार्य अपूर्ण है और आस–पास के एक भी भवन में कोई भी आवंटी नहीं निवास कर रहे है अतएवं यदि इन्हें प्राधिकरण द्वारा इस भवन का कब्जा दे दिया जाता है तो भी वे इस भवन में निवास नहीं कर सकते है। इन्होंने प्रार्थना की है कि गोमती नगर योजना के विराम खण्ड–5 में अथवा विनीत खण्ड में जहां आवादी है एक एच0आई0जी0 भवन आवंटित कर दिया जाय। चूंकि एक योजना से दूसरी योजना में भवन/भूखण्ड परिवर्तित करने की स्वीकृति का अधिकार प्राधिकरण को है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 4.5.2000 के अनुपालन में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है। जहाँ तक भवनों की उपलब्धता का प्रश्न है प्राधिकरण की सहमति की दशा में इन्हें गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड में भवन संख्याः एच0आई0जी0 4/310 जो रिफण्ड से रिक्त है, इन्हें आवंटित किया जा सकता है।

विषय संख्याः 16 पृष्ठ संख्याः 69

गोमती नगर योजना भाग–2 के अन्तर्गत हरविलास कोल्ड स्टोरेज एवं मोटर सेल्स लि0 की भूमि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकः 19.3.99 के क्रम में समायोजित करने पर विचार :–

आख्याः

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उजरियॉव आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत तहसील व जिला लखनऊ के ग्राम उजरियॉव ,विजईपुर, तकवा कठौता, कमता, चिनहट, भरवारा व हुसड़िया की 1776 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके लिये भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/17 तथा 6/17 की विज्ञाप्तियॉ दिनांक 8.12.84 को शासन द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अधिग्रहीत भूमि में से ग्राम कमता की खसरा संख्याः 366, 368, 369, 373, 372, 370, 364,365, 371,355,350,354,355,356,362,374,357,363 कुल क्षेत्रफलः 21–14–13–0 भूमि भी सम्मिलित थी, जिस यपर भू–स्वामी का हरविलास कोल्ड स्टोरेज एवं मोटर सेल्स के नाम से पक्का निर्माण है जो कि स्थल पर अभी भी स्थित है। इसका क्षेत्रफल 131650 वर्ग फिट है।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण भूमि के साथ–साथ उक्त भूमे तथा उस पर स्थित निर्माण का अभिनिर्णय दिनांक 25.2.87 को घोषित किया गया था, जिसके अनुसार भूमि के प्रतिकर का दर रुपयाः 1.21 पैसे प्रति वर्ग फिट तथा निर्माण प्रतिकर का रुपयाः 14,88,662.00 घोषित किया गया था। अभी तक भूस्वामी द्वारा उक्त खसरा नम्बरों की भूमि तथा उस पर स्थित निर्माणों का प्रतिकर नही लिया गया है। यदि प्रतिकर दिया जायेगा तो सोलेसियम,अतिरिक्त प्रतिकर तथा आज तक का व्याज आदि देना होगा ।

हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बिरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी जो दिनांक 20.3.98 को प्राधिकरण के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के बिरुद्ध हितबद्ध व्यक्ति द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 3162/98 प्रताप गृह निर्माण समिति बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य दायर किया गया था। इस रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालच द्वारा अन्तिम रुप से सुनवाई करते हुए दिनांक 19.3.99 को निम्न आदेश पारित किये ।

In all these matters stay is refused. However, if any of the appellants/petitioners is even now runing an industry or carrying on any other industrial activity on the acquired land then the authorities may consider permitting them to continue their activities so long as they do not require those lands for development,.

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त खसरा नम्बर अर्जन के समय अभिलेखों में श्री गुन्जन गुप्ता, राकेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, अजय गुप्ता पुत्रगण हुकुम चन्द्र गुप्ता तथा कुछ भूमि हरविलास कोल्ड स्टोरेज के नाम अंकित था एवं अभिनिर्णय में भी उन्ही को प्रतिकर देय बताया गया है। उक्त खसरा नम्बरों पर भी प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति, हरविलास कोल्ड स्टोरेज एवं मोटर सेल्स लि0 स्थित है।

हितबद्ध व्यक्तियों ने मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के उपरान्त दिनांक 23.4.99 को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें जितनी भूमि पर निर्माण स्थित है वह तथा उसके साथ कुछ परटीनेन्ट भूमि को योजना के अन्तर्गत समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

यह उल्लेख करना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरविलास कोल्ड स्टोरेज व मोटर सेल्स लि0 के निर्माणों एवं कुछ परटीनेन्ट भूमि को छोड़कर शेष भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा विकास कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। हरविलास कोल्ड स्टोरेज व मोटर सेल्स का निर्माण काफी बड़ा निर्माण है एंव यह 1,31,650.00 व0 फिट में हैं। सम्बन्धित पत्रावली संख्या: 2118/ए.सी. के नोट शीट पृष्ठ संख्या-5 पर अंकित टिप्पणी दिनांक: 5.6.86 में यह अंकित पाया गया है कि हरविलास कोल्ड स्टोरेज 15 वर्ष पुराना अर्थात 1971 का है। मोटर सेल्स लि0 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के साथ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा संलग्न किये गये पत्रों की फोटो प्रतियों से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह उद्योग वर्ष 1982-83 में स्थापित हुआ था। उद्योग निदेशालय द्वारा दिनांक 1.6.83 को इसका पंजीकरण प्रमाण- पत्र जारी किया गया था। विद्युत वितरण खण्ड द्वारा माह अक्टूबर-82 में विद्युत बिल भेजा गया था। इससे मोटर सेल्स की स्थापना वर्ष 82-83 में होने की पुष्टि होती है। दिनांक 1 मार्च, 1996 को उप निदेशक, कारखाना, उत्तर प्रदेश द्वारा 31 जनवरी, 1999 तक इस उद्योग के लाइसेन्स का नवीनीकरण जारी किया गया । इससे यह स्पष्ट होता है कि हितबद्ध व्यक्ति द्वारा हरविलास कोल्ड स्टोरेज में वर्ष 1971 से तथा मोटर सेल्स लि0 में वर्ष 1982-83 से कारोबार किया जा रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु 4/17 व 6/17 की विज्ञाप्तियाँ दिनांक 8.12.84 को प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार ये निर्माण अधिसूचना जारी होने से पूर्व के हैं।

निर्माण पुराना, काफी बड़ा होने एवं कारोबार होने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय से दिनांक 19.3.99 को निर्णय हो जाने के उपरान्त भी ध्वस्तीकरण नही किया जा सका है।

जहाँ तक योजना के अन्तर्गत इन दो निर्माणों तथा इससे सम्बन्धित कुछ भूमि ( परटीनेन्ट भूमि ) के समायोजन का प्रश्न है, उल्लेख करना है कि उजरियाँव आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत वर्ष 82-83 में ग्राम विजईपुर की अर्जित भूमि में मेसर्स टेक्निकल एसोशिऐश प्रा0 लि0 तथा श्रीराम इण्डस्ट्रीज की भूमि को नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या: 1427/11-5-21डब्लू/83 दिनांक 25.1.85 द्वारा अर्जन से छोड़ने का निर्णय लिया गया था एवं यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि याचीगण उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पिटीशन वापस ले ली जायेगी एवं विकास शुल्क का भुगतान किया जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कंम्पनी की कुल 17 बीघा 13 विश्वा 8 विश्वांसी भूमि को अर्जन से छोड़ा गया था, यद्यपि इस भूमि का कब्जा प्राधिकरण को नही प्राप्त हुआ था। इसके उपरान्त उक्त भूमि को योजना के ले-आऊट में समायोजित किया गया था, क्यों कि अर्जन से मुक्त करने के लिये इस डिनोटीफाई किया जाना था, जो कि

नही किया गया था।

स्थल पर हरविलास कोल्ड स्टोरेज व मोटर सेल्स लि0 द्वारा बाउन्ड्रीवाल बनाकर लगभग 3,66,482 वर्ग फिट भूमि पर कब्जा किया गया है, इसमें से निर्माण 1,31,500 वर्ग फिट पर है। निर्माणों के मध्य स्थित खुली पट्टी समायोजना के उपरान्त भी प्राधिकरण के प्रयोग में नही आ सकेगी तथा निर्माण के पीछे (दक्षिण) की ओर 6 मी0 चौड़ी पट्टी वाहनों के आवागमन के लिए आवश्यक होगी एवं प्रकार निर्माणों के मध्य स्थित खुली भूमि/पट्टी जिसका उपयोग प्राधिकरण नही कर सकेगा तथा निर्माण के पीछे 6 मीटर चौड़ी पट्टी को मिलाकर कुल पर्टीनेन्ट भूमि लगभग 1,20,000 वर्ग फिट होती है। अतः यदि समायोजन पर विचार किया जाए तो निर्माण तथा पर्टीनेन्ट भूमि को मिलाकर कुल लगभग 2,51,000 वर्ग फीट भूमि निर्माण का समायोजन करना होगा ।

यहॉ यह उल्लेख करना है कि निर्माण काफी बड़ा है एवं इसमें कारोबार वर्तमान में हो रहा है तथा इसको ध्वस्त करने में काफी कठिनाई होगी एवं यह भी सम्भावना है कि हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ध्वस्तीकरण के बिरुद्ध न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न किया जाये । यदि ध्वस्तीकरण सफलता पूर्वक हो सके तो प्राधिकरण को तत्काल ही भूमि व निर्माण का प्रतिकर, नियमानुसार सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व आज तक व्याज आदि भुगतान करना पड़ेगा। एवार्ड में घोषित दर के अनुसार वह भूमि जो उक्त दोनों कंम्पनी द्वारा कब्जा की गई है एवं जिस पर निर्माण है के लिए कुल लगभग रुपयाः 80.00 लाख का भुगतान प्रतिकर के रुप में प्राधिकरण द्वारा करना होगा ।

गोमती नगर योजना भाग–2 के अन्तर्गत लगभग 18.75 करोड़ का भुगतान प्रतिकर के लिये किया जाना था जिसमें से अब तक प्राधिकरण द्वारा 15.00 करोड़ का ही भुगतान किया जा सका है तथा 3.75 करोड़ प्रतिकर का भुगतान किया जाना अवशेष है एवं समय समय पर न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई धनराशि भी प्राधिकरण पर वित्तीय भार के रुप में बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में जब कि उक्त भूमि पर निर्माण स्थित है तथा व्यवसाय भी किया जा रहा है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार भू–स्वामी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकता है जिससे प्राधिकरण पर वित्तीय भार कम पड़े ।

यह उल्लेख करना है कि यदि हरविलास कोल्ड स्टोरेज व मोटर सेल्स की उक्त 3,21,350 वर्ग फीट भूमि व निर्माण का समायोजन ले–आऊट में किया जाता है तो प्राधिकरण को वाह्य विकास के मद में धनराशि प्राप्त होगी तथा भू–स्वामी को फैजाबाद रोड़ के वाइडिनिंग के लिये भविष्य में निःशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी ।

यह उल्लेख करना है कि गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड का जो ले–आऊट प्लान है उसमें प्रश्नगत क्षेत्र पर निर्माण आदि दर्शाया गया है एवं भूखण्ड आदि नही बनाये गये हैं। इस प्रकार समायोजन के फलस्वरुप विक्रान्त खण्ड का ले–आऊट प्लान नही प्रभावित होगा ।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.3.99 जिसे उपरोक्तानुसार अंकित किया गया है में उल्लेख है कि जब तक प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता विकास के लिये न हो तब तक याची को अपना

कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत निर्माण व पर्टीनेन्ट भूमि के समायोजन से इस क्षेत्र (विक्रान्त खण्ड) का ले–आऊट / नियोजन प्रभावित नही होता है, जिसके कारण उक्त भूमि की विकास के लिये आवश्यकता की बाध्यता नही प्रतीत होती है।

प्रस्तावः–

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.3.99 के क्रम में विकास के लिये प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न शर्तो के साथ समायोजन/निर्णय पर विचार करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

1. प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि, जो लगभग 3,66,482 वर्ग फीट है, का प्रतिकर प्राधिकरण से प्राप्त नही किया जायेगा ।
2. प्रार्थी की भूमि पर स्थित निर्माणों के साथ परटेनिंग लैण्ड का ही समायोजन किया जायेगा ।
3. प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण को वाह्य विकास शुल्क भुगतान करना होगा । प्रार्थी द्वारा यदि भूमि विक्रय की जायेगी तो उसकी लीज डीड/रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा सम्पादित की जायेगी ।
4. भविष्य में फैजाबाद रोड़ को चौड़ा करने के लिये यदि रोड़ वाइडिनिंग की भूमि की आवश्यकता होगी तो उसे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये ।

कु0 रेखा गुप्ता
सचिव

(दिवाकर त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

S20(1)/AA/82
19/12

149

पृष्ठ संख्या: 73

From:

Rahul Gupta
23, Ashok Marg
Lucknow.

To:

Vice Chairman
Lucknow Development Authority
Lucknow.

Sir,

The applicant alongwith his brothers and M/s Motorsales Limited and Harbilas Cold Storage & Food Products owned land at village Kamta and Bijaipur at Faizabad Road, Lucknow. The said land was acquired vide notification dated 4/12/1984 which was published in the official gazette on 8.12.1984 and the scheme was known as Ujariaon Avasiya Yojna - Phase-II.

That the total land is approximately 60 Acres which means 26 lacs Sq.ft.,approximately in the following manner.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Motor Sales Ltd.(Body Building) | 12.50 Acres |
| 2. | Gunjan Gupta | 12.50 Acres |
| 3. | Rakesh Gupta | 12.50 Acres |
| 4. | Rahul Gupta | 12.50 Acres |
| 5. | Ajay Gupta | 2.50 Acres |
| 6. | Harbilas Cold Storage | 7.50 Acres |

13/12/82
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

That the undersigned had a discussion with you in which it was proposed that the existing structures such as Harbilas Cold Storage who is in possession of 2 Lacs Sq.ft., of land, Motor Sales Ltd., (Body Building division) has 1.50 Lacs Sq.ft., of land in his possession. 2.00 Lacs Sq.ft., of land in godown and other structures like administrative blocks and sheds in possession of The Commercial Motors Ltd., shall be maintained as such.

14/12

Besides this, it is proposed in addition to what has been stated in the above para. 1.00 Lacs Sq.ft., of land in favour of Sri Gunjan Gupta, 1.00 Lacs Sq.ft., of land in favour of Sri Rahul Gupta and 50,000 Sq.ft., of land in favour of Sri Ajay Gupta be released since they own considerable amount of land.

लखनऊ विकास प्राधिकरण
पत्रांक 2631/S12
दिनांक 13-12-82

It may not be out of place to mention that this entire land was purchased by my father late Sri Hukum Chand Gupta and who had created a trust in the name of his father, which is known as HARBILAS TRUST and it is proposed to construct either a Charitable Hospital or an Educational School in his memory. Therefore 1.00 Lacs Sq.ft. of land shall be required for the said purpose.

We have got a plane table survey in which all our suggestions are incorporated, the copy of which is enclosed herewith.

The Pratap Shahkari Avas Samiti Ltd., has filed a Civil Appeal No. 3415 of 1998 against the orders of Hon'ble High Court which has been admitted by the Hon'ble Supreme Court of India. Besides this, the society had also filed Writ Petition No. 923 of 1989 which was admitted by the Lucknow Bench of the High Court on 2.2.1989 in which time has been sought by the Counsel for the Lucknow Development Authority to file the Counter Affidavit, which is pending for adjudication before the High Court. The list of proceeding is annexed herewith.

That the Board of the Lucknow Development Authority in its meeting dated 8.6.1987 and 15.1.1988 had agreed in principle of alloting 48 Acres of land to the Society.

That without prejudice to our rights, we are now putting a proposal of exempting 9 Lacs Sq.ft., of land as mentioned above against 26 Lacs Sq.ft., of land as per the plane table survey which is being annexed herewith on the condition that no amount of under any head be charged from us and we undertake that no compensation of the remaining land shall be claimed by us.

In view of the foregoing proposals the matter can be settled amicably.

Thanking you,

Yours faithfully

RAHUL GUPTA.

Place: Lucknow

Dated: 23/04/1999

W.P No. 923 OF 1989

Justice S.S. Ahmed

Justice S.N. Sahai 02.02.1989

Admit issue notice on behalf of O.P. has been accepted by Mr. Umesh Chandra. He is allowed time till 22.02.1989 to file a counter affidavit. Rejoinder Affidavit may be filed by 24.02.1989. List this petition for hearing on 07.03.1989. It will be open to the O.P., to raise objection about the maintainability of this petition on 07.03.1989.

07.03.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

22.03.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

07.04.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

18.04.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

03.05.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

28.07.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

04.08.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

11.08.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

25.08.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

08.09.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

22.09.1989 Mr. Umesh Chandra sought time to file Counter Affidavit.

MSL:00-01:248

The Vice Chairman
**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY**
Lucknow

Dear Sir,

**Re: Release of land of our Body Fabrication Workshop and Harbilas Cold Storage and Food Products situated at Chinhat, Faizabad Road, Lucknow**

Further to our request for exemption of the aforesaid Units from land acquisition, we would like to inform you that during the past 4 years, these Companies have paid to the government **Excise Duty** to the tune of Rs.370.00 lacs, **U.P.Salestax/Trade Tax** to the tune of Rs.221.00 lacs totalling to Rs.591.00 lacs i.e. approx. Rs.6.00 Crores and **Labour** payment director / indirect to the tune of Rs.275.00 lacs.

On the basis of the above figures a total sum of more than Rs.18.00 Crores have been paid to the Government during the past 10 years in the form of Trade Tax / Excise Duty. The aforesaid Units are providing employment to at least 600 persons (direct / indirect) and in turn assisting approximately 600 families who will be rendered job-less, if these Units are not exempted from land acquisition.

Further our Body Fabrication Division is one of the Ancillary Units to M/s TATA ENGG. & LOCOMOTIVE CO.LTD.. LUCKNOW PLANT supplying over 100 items, which are used in their assembly line and any disturbance in our supplies will effect the production line of M/s Telco and obviously take time for them to find alternate supply source.

The two units are having loan limit of more than Rs.2.00 Crores from banks and similar amount from outside depositors, which will be brought into fix due to non-functioning of these said Units.

In order to protect the interest of all including the State Exchequer , employment generation scheme and industrial growth, which is the prime concern for the Government of U.P. and is one of the priority areas being framed by the Government as well as the Industrial Policy of the Government, we would request you to kindly exempt the land belonging to MOTORSALES LIMITED(Body Fabrication Workshop) HARBILAS COLD STORAGE & FOOD PRODUCTS.

Thanking you,

Yours faithfully

DIRECTOR/PARTNER
MOTORSALES LTD/HARBILAS COLD STORAGE
& FOOD PRODUCTS

# MOTORSALES LIMITED

TATA DIESEL VEHICLES

11 MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW-226001

6-4-1985

District Magistrate
(Land Acquisition Section),
LUCKNOW.

Through -

General Manager,
District Industires Centre,
Lucknow.

Sir,

Sub: Exemption of Land from land Acquisition for Industrial use -

We draw your kind attention to the notices for acquisition of land occupied by our Body Building Division in Village Kamta of Pargana, Lucknow, issued to us by the special Land Acquisition Officer, Lucknow, persuant to the gazette notification dated 8-12-84 for the Ujariyon Housing Scheme part 2 (photocopy enclosed).

We would like to submit that the entire area of land under occupation of our Body Building Division should be fully exempted from acquisition proceedings for reasons given below -

1) That we are a Public Limited Company of which our Body Building Division is a part. The Board of Directors of the company comprises of the following -

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Sh. Gunjan Gupta S/o Late Sh. HC Gupta | Managing Director |
| 2. | Sh. Rakesh Gupta S/o Shri (Late) HC Gupta | Director |
| 3. | Sh. Ajai Gupta S/o Shri (Late) HC Gupta | Director |
| 4. | Sh. Y.P. Nanda | Director |
| 5. | Sh. K.N. Saraogi | Director |
| 6. | Sh. A.K. Ghai | Director |

2. That our Body Building Division is a SSI unit duly registered with the Director of Industries vide registration No. 20/84/03662/PMT/SSI/07 dated 1-6-83 (photostat copy enclosed). We are also registered with the following -

| | |
|---|---|
| State Salestax | Regn. No. LK 8795 |
| Central Salestax | Regn. No. LK 5323 |
| Income-tax | A/c No. CY 0158 |
| Under Factory Act | Regn. No. (Licence still awaited ) |

Contd..p2

3. That the Body Building Division has been operating since 1981 and a modern facility for constructing bodies on vehicles was established at Village Kamta, Faizabad Road involving huge capital investment.

4. That the Body Building Division is engaged in an important industrial activity of constructing truck and bus bodies among others for -

(a) U.P.State Road Transport Corporation
(b) State and Central Government departments and Undertakings
(c) Tipper Bodies for M/s. TATA Engineering and Locomotive Company Limited, on Tipper chassis manufactured at their Pune and Jamshedpur Works.

5. That after the construction of the proposed factory of Telco in village Goila/Dhawan of Lucknow District the demand on our Body Building Division for constructing Tipper Bodies for marketting by Telco, would appreciably increase. U.P.S.R.T.C. is also pressing us hard to increase our productive capacity for fabricating Bus bodies for them.

6. That we have drawn realistic plans for expanding the Body Building Division with further addition of machinery and equipment and shop floor area to increase the productive capacity from the existing one body to five bodies daily. The increase in the floor area is expected to be 2352 sq.meters.

7. That with the envisaged expansion a large covered area would also be required for storage of stores and inventory and open yard for angle Iron and beems etc.

8. That a large open area is required for parking of approximately 100 truck Bus and Tipper chassis and as many as sixty completed vehicles at a times. This requirement of parking space would appreciably increase after the proposed expansion when as many as 300 chassis and 100 finished vehicles are expected to be parked at any given time, since one chassis occupies between 25 to 30 sq. meters of space the total area required for parking the vehicles would be in the Region of 10,000 sq. meters after expansion, the present requirement being about 4,000 sq. meters.

9. That the plots of land in our possession are as under :-

| | Plot No. | Area B-B-B | Owner | Relation with Body Building Division |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 353 | 1-07-0 | M/s. Motorsales | Parent body |
| 2. | 364 | 0-07-33 | - do - | - do - |
| 3. | 365 | 1-01-00 | - do - | - do - |

Contd ..p3

| | Plot No. | Area B-B-B | Owner | Relation with Body Building Division |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 366. | 1-12-00 | Late Sh.HC Gupta | FormerManaging Director of M/s Motorsales Ltd. |
| 5. | 368 | 1-01-00 | - do - | - do - |
| 6. | 369 | 4-11-00 | - do - | - do - |
| 7. | 370 | 1-14-0 | M/s.Motorsales Ltd. | Parent Body |
| 8. | 371 | 1-02-0 | Shri Rakesh Gupta | Director of M/s. Motorsales Limited. |
| 9. | 372 | 1-06-00 | M/s. Motorsales Ltd. | Parent Body |
| 10. | 373 | 0-19-00 | Sh. Ajai Gupta | Director of M/s. Motorsales Limited |
| | | 15-10-13 = | 39300 sq. mtrs. | |

10. That we have further plans for providing housing to our staff and employees and the area to be utilised for housing colony is estimated to be around 5,200 sq. meters.

11. That the existing utilisation of area by our Body Building Division is approximately 11,500 sq. meters. That another 2,700 sq. meters is occupied on lease by M/s. Commercial Gas Service ( A division of M/s. The Commercial Motors Limited), our Associates, for their LPG Cooking Gas Godown, which is duly licensed by Dy. Controller of Explosives Agra, under the Cooking Gas Cylinder Regulation Rules and the Explosives Act.

12. That with the expansion and housing construction as noted above the entire area available to us will be fully utilised as per details given below and as shown in the enclosed drawing -

| | Existing Area in Sq. Mtrs. | Area of Proposed Expansion in Sq. Mtrs | Total Area in Sq. Mtrs. |
|---|---|---|---|
| 1. Workshop Floor | 2,000 | 2,552 | 5,132 |
| 2. Administrative Block | 100 | 622 | 722 |
| 3. Utility Service | 250 | 150 | 400 |
| 4. Covered Godowns | 200 | 600 | 800 |
| 5. Raw Material Yard | 1,200 | 1,725 | 2,925 |
| 6. Car, Scooter Cycles stand | 350 | 354 | 704 |
| 7. Parking space for built vehicles | 1,800 | 2,409 | 4,209 |
| 8. Parking space for unbuilt vehicle | 2,000 | 3,200 | 5,200 |
| 9. Internal Roads | 1,800 | 5,663 | 7,463 |
| 10. Housing Colony | - | 5,135 | 5,135 |
| 11. Lawns and Parks | 1,000 | 2,890 | 3,890 |
| 12. Gas Godown incl. open land | 2,700 | - | 2,700 |
| | 14,200 | 25,100 | 39,300 |

Contd ...

MOTORSALES LTD.
LUCKNOW



13. That the other relevant details of the Body Building division are as under ;-

| | Existing | Total after proposed expansion |
|---|---|---|
| Employment potential - | | |
| (a) Permanent | 28 | 45 |
| (b) Contractual Labour | 200 | 400 |
| Production Capacity | 1 Body daily | 5 Bodies daily |

14. That the contribution of this SSI unit in collecting Salestax revenues for the State Exchequer is also substantial which would be greatly enhanced after the proposed expansion. The total collection of Sales-tax by M/s. Motorsales Limited, amounted to nearly Rs. 1.5 crores in the year 1984-85.

15. That in view of the above submission and further in view of the employment opportunities provided by this SSI unit, we request you that the entire area of 15-10-13 (39,300) sq.meters in possession of our Body Building Division should be fully exempted from the acquisition proceedings.

Thanking you

Yours faithfully
for MOTORSALES LIMITED
(Body Building Division)

DIRECTOR.

पृष्ठ संख्या: 81

Gram: COMMOTORS

PHONES { Office 5-48333
Cold Storage 1-74443

# HAR BILAS COLD STORAGE & FOOD PRODUCTS

COMMERCIAL MOTORS BUILDING POST BOX 140,
HAZRATGANJ, LUCKNOW

Dt. 6-4-1985

District Magistrate,
(Special Land Acquisition Officer),
L U C K N O W.

Through -

General Manager,
District Industries Centre,
Lucknow.

Sir,

Sub : Exemption of land from Land Acquisition for Industrial use -

We draw your kind attention to the notices for acquisition of land occupied by our Cold Storage in Villave Kamta Tehsil, Pargana, Lucknow, issued to us by the Special Land Acquisition Officer, Lucknow persuant to gazette notification dated 8-12-1984 for the Ujariyon Housing Scheme Part 2.

We would like to submit that the entire area of land under occupation of our Cold Storage should be fully exempted from the acquisition proceedings for reasons given below -

1. That we are a partnership concern and the names of the partners are as under -

a) Shri Gundan Gupta,
b) Shri Rakesh Gupta,
c) Shri Ajay Gupta,
d) Shri Rahul Gupta.

contd...P3

पृष्ठ संख्या: 82

Gram : COMMOTORS

PHONES : Office : 48333
Cold Storage : 74448

# HAR BILAS COLD STORAGE & FOOD PRODUCTS

COMMERCIAL MOTORS BUILDING [illegible] BOX [illegible]
HAZRATGANJ LUCKNOW



2. That we are a SSI unit, duly registered with Director of Industries vide registration No.20/34/03283/PMT/SSI/07 dated 4-2-81 (photostat copy enclosed).

3. That we are further registered with the following -

(a) Under UPST Regn.No.State LK 14357
Central LK 11173

(b) With Horticulture department vide Licence No.CSO/LW-16 (photostat copy enclosed).

4. That the Cold Storage is an important industrial unit for preservation of potatoes.

5. That our Cold Storage is operating since 1969 and has been expanded a few years back with the addition of two chambers at considerable financial investment.

6. That the existing capacity of the Cold Storage is approximately one lac quintals and thus its contribution in preserving potato produce around Lucknow is substantial.

7. That we have further plans for expanding the capacity of the Cold Storage tomeet the increasing demand with the addition of two more chambers of 30,000 quintals each and installation of Ice plant to meet the requirement of the new colonies around the Cold Storage.

8. That we have further plans for providing housing to our staff and employees.

9. That a large open covered area is required for drying the potatoes and for parking of goods truck.

contd....p3

Gram : "HAR-BILAS"

Phone : { Office : 40333
Cold Storage : 24448

# HAR-BILAS COLD STORAGE & FOOD PRODUCTS

COMMERCIAL MOTORS - BUILDING POST BOX 140,
VIBHAGANI, LUCKNOW



10. That the plots of land in our possession are as under -

| | PLOT NO. | Area B-B-B-K | Owner | Relation with Cold Storage |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 350 | 0-13-0-0 | Sh. Bikash Gupta | Partner |
| 2. | 354 | 1-03-0-0 | -do- | -do- |
| 3. | 355 | 0-08-0-0 | -do- | -do- |
| 4. | 356 | 0-13-0-0 | -do- | -do- |
| 5. | 357 | 0-01-0-0 | -do- | -do- |
| 6. | 362 | 1-02-0-0 | -do- | -do- |
| 7. | 363 | 0-11-0-0 | -do- | -do- |
| 8. | 374 | 0-09-10-0 | -do- | -do- |
| | | 6-00-10-0 | | |

= 15245 Sq.Mtrs.

11. That the existing utilisation of area is around 7786 sq.mtrs.

12. That with the envisaged expansion and housing construction as stated above the entire area available to us will be fully utilised as per details given below and shown in the enclosed drawing.

| | Existing Area in Sq.Mtrs. | Area of proposed expansion | Total area in Sq.Mtrs. |
|---|---|---|---|
| (a) Storage Area of Chambers | 2,890 | 1,728 | 4,618 |
| (b) Covered area for Potato drying | 1,460 | 876 | 2,336 |
| (c) Open area for potato drying | 520 | 313 | 833 |
| (d) Pumps and compressors | 175 | 115 | 290 |
| (e) Area for truck parking | 300 | 200 | 500 |

contd..4

Gram : "COMMOTOR"

PHONES : Office : 48
Cold Storage : 74443

# HAR BILAS COLD STORAGE & FOOD PRODUCTS

COMMERCIAL MOTORS BUILDING, POST BOX 140
HAZRATGANJ LUCKNOW

Date : 4

| | | Existing area in Sq.Mtrs | Area of porposed Expansion. | Total area in Sq.Mtrs. |
|---|---|---|---|---|
| (f) | Area for Scooter/ Car/Cycle park | 290 | – | 298 |
| (g) | Area of Ice Plant | – | 600 | 600 |
| (h) | Area of Internal Roads | 1,650 | 1,525 | 3,175 |
| (i) | Area of housing colony | – | 1,718 | 1,718 |
| (j) | Lawns and Parks | 493 | 384 | 877 |
| | | 7,706 | 7,459 | 15,245 |

| | Existing | After Expansion |
|---|---|---|
| No.of Storage Chambers | 5 | 7 |
| Employment potential | | |
| (a) Permanent | 24 | 36 |
| (b) Casual | 200 | 325 |
| Connected Load | 350 KVA | 560 KVA |
| Storage Capacity | 1 Lac Qtls | 1.6 Lac Qtls. |

14. That in view of the above submission and further in view of the employment opportunities provided by this SSI unit, we request that the entire area of 6-00-10 i.e. 15245 sq.mtrs in possession of the Cold Storage should be fully exempted from the acquisition proceedings.

Thanking you,

Yours faithfully,
For HARBILAS COLD STORAGE & FOOD PRODUCTS,

( RAHUL GUPTA )
PARTNER.

बिक्रीकर अधिनियम की धारा 4-ब के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिये बिक्रीकर से छूट हेतु सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र की ओर से दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

( आवेदन पत्र 4 प्रतियों में प्रेषित किया जाये )

सामान्य प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

महोदय,

निवेदन है कि हमारी इकाई मेसर्स मीटर सेल्स लिमिटेड वाटी जिला डिवीजन उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के साथ राज्य स्तरीय उद्योग के रूप में अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग, उ0प्र0 अथवा असिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा डायरेक्टर एवं अथवा डायरेक्टर जनरल आफ टैक्निकल डेवेलपमेन्ट अथवा भारत सरकार द्वारा साक्षेप प्राप्त अथवा भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत है । ( जो लागू न हो उसे काट दें ) तथा हमारी इकाई शासनादेश संख्या 8244 भा0उ0-11-231(ए)/77-10/80, दिनांक 30 सितम्बर, 1982 के अनुसार बिक्रीकर अधिनियम-4-ब के अन्तर्गत बिक्री कर/वस्तु क्रय-विक्रय कर से छूट प्राप्त करने के लिये पात्र है । अतः हम अपनी इकाई के निम्न विवरण सहित अपना आवेदन-पत्र चार प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर रहे हैं कि हमारी औद्योगिक इकाई को उक्त शासनादेश अनुसार 5-6-7 वर्षों ( जैसी भी स्थिति हो ) के लिए बिक्रीकर से छूट प्रदान किये जाने की संस्तुति करने का कष्ट करें ।

इकाई सम्बन्धी विवरण

1- आवेदकों का नाम व पूरा पता :- सुरेश गुप्ता, 23, अशोक मार्ग, लखनऊ
मीटर सेल्स लिमिटेड वाटी जिला डिवीजन

(अ) कार्यालय :- 11, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ ।
(ब) फैक्ट्री :- ग्राम कामता, पोस्ट ऑफिस, बारावंकी रोड, लखनऊ ।

2- इकाई का संक्षिप्त परिचय
(पूर्ण स्वामित्व, साझेदारी, लिमिटेड : पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा कोआपरेटिव सोसायटी)

4- स्वामी/साझेदारी/डिरेक्टरों के नाम व पूरे पते : (यदि कोई साझेदारी फर्म है तो साझेदारी चुनौती के पूर्ण नाम पाकिस्तान हिन्दुस्तान पुरोहित यदि लिमिटेड कम्पनी है तो डायरेक्टरों के नाम व पूरे पते, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन तथा आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के साथ संलग्न करें । कोआपरेटिव सोसायटी के पदाधिकारियों के नाम व पूरे पते)

3- निम्न में से इकाई के लिये जो लागू हो उसे भरें ।

(अ) भूमि (यदि भूमि किराये पर ली गयी है तो किराये की धनराशि)
(ब) बिल्डिंग/शेड (यदि किराये पर ली गयी है तो किराये की धनराशि)
(स) प्लान्ट एवं मशीनरी (यदि किराये पर ली गयी है तो किराये की धनराशि)
(द) किराये अथवा पट्टे पर ली गयी भूमि, बिल्डिंग, प्लान्ट एवं मशीनरी की पंजीकृत मुख्तारनामा/पट्टा विलेख की फोटो प्रतियां संलग्न करें ।

१- वित्त-सत परीक्षण संख्या :- यू०पी०एफ०टी०-एफ०वी०१४ वित्त :-१-१-७३
सी०एफ०टी०- पत्री ३३३

(परीक्षण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

२- पूंजी विनियोजन :-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | भूमि एवं भवन - | ३० लाख |
| (ख) | अचल आभरण एवं संयंत्र | ७.५ लाख |
| (ग) | कार्यशील पूंजी | ४.५ लाख |

३- वित्त भार की प्राप्ति प्राप्त करने की वास्तविक तिथि २०-३-७३
(वित्त भार की स्वीकृति पत्र एवं प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

४- उत्पादन कार्य हेतु वित्त का वास्तविक उपयोग किस तिथि से किया गया। १ जनवरी, १९७३

५- उत्पादन अवधि में कितने प्रतिशत वित्त शक्ति का उपयोग हुआ। १० केवीए०/घंटा/दिन

६- उत्पादन प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि (इकाई की स्थापना से तात्पर्य इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से होगा। १ जनवरी, १९७३

७- इकाई की निर्धारित (एकल/बहुलक) ६००० बाटीमीवाहन वाहीन प्रति वर्ष वार्षिक उत्पादन क्षमता।

८- इकाई द्वारा जांच की तिथि तक किया गया वास्तविक उत्पादन

| वस्तु का नाम | मात्रा | मूल्य |
|---|---|---|
| १- बाटीमीवाहन वाहीन (ट्रिपर्ड एवं बस वाहीन | ४३ नं० | १४ लाख |

९- क्या इकाई ने निर्धारित उत्पादन क्षमता के अन्तर्गत ही उत्पादन किया है अथवा उससे अधिक। आदेशानुसार

१०- वार्षिक प्रबन्ध :-
(यदि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण लिया हो तो ऋण स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जाय। नहीं

११- क्या कारखाने में लगाई गई मशीनें नई खरीदी गई हैं अथवा पुरानी। नई मशीनें

१२- क्या नई अथवा पुरानी मशीनें क्रय करने हेतु किसी वित्तीय संस्था से ऋण/वित्तीय सहायता ली गई है, यदि हाँ तो उस संस्था के नाम का उल्लेख करें एवं प्रमाण-पत्र संलग्न करें। नई मशीनें ₹ स्वयं खरीदी हुई।

१३- कोई अन्य सूचना, यदि हो। नहीं

कृपया :— ३

## सत्यापन प्रमाण-पत्र

मैं गुंजन गुप्ता पुत्र श्री सुकुल चन्द्र गुप्ता, निदेशक यह प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र तथा संलग्नकों में जो सूचना / विवरण प्रस्तुत किया गया है वह जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूर्ण सत्य है एवं कोई तथ्य न तो गलत है और न ही छुपाया गया है।

(2) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि जिन वस्तुओं पर बिक्री-कर छूट की माँग की गई वह मेरे कारखाने में हि निर्मित की गई हैं और मैंने उत्पादन सम्बन्धी रिटर्न सम्बन्धी बिक्री कर अधिकारी को प्रेषित कर दिये हैं अथवा भविष्य में करता रहूँगा।

For MOTOR SALES LIMITED
( Body Building Division )

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 2-6-1983

Works Manager

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम तथा स्टेटस फर्म की मुहर सहित

## सामान्य प्रबन्धक की संस्तुति

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इकाई द्वारा इस आवेदन-पत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं तथ्यों की जाँच एवं सत्यापन इकाई के अभिलेखों से कर ली है। मैंने विद्युत शक्ति के उपयोग एवं अन्य श्रोतों से इस बात की जाँच कर ली है कि इकाई ने वास्तविक उत्पादन दिनांक - - - - - - - - से प्रारम्भ किया है और जो उत्पादन हुआ है वह स्वनिर्मित है और निर्धारित उत्पादन क्षमता के अन्तर्गत ही हुआ है। इकाई द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ और ये संस्तुति करता हूँ कि यह इकाई बिक्री-कर/ अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर छूट प्राप्त करने के लिए पात्र है अतः इकाई को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5-6-7 वर्ष (जैसी भी स्थिति हो) के लिये शासनादेश संख्या 6244-भाउ/18-11-231(ए)भा/80, दिनांक 30 सितम्बर, 1982 के अनुसार बिक्री-कर अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत छूट प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर
सामान्य प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ।

पृ०सं० 88

# MOTORSALES LIMITED

TATA
DIESEL VEHICLES

MSH/6073

22.2.1983.

The Assistant Commissioner Assessment,
Sales Tax-U.P.,
Lucknow.

Re: Our Regn No.LK-8795.

Dear Sir,

This is to inform you that we have also opened a body fabrication Unit at Chinhat, near Harbilas Cold Storage, Baranbanki Road, Lucknow. In this connection, we are enclosing herewith, Sales-tax Registration certificate Form No.15 bearing registration No. LK-8795 and would request you to kindly make necessary amendment by adding our above branch in the said registration certificate.

Thanking you

Yours faithfully,
for Motorsales Limited,

Director.
encl: as above.

38824

कार्यालय, बिक्री-कर अधिकारी
पत्रावली स्वीकृति की रसीद B
दिनांक 24-2-83
निम्नांकित कागजात आज सर्वश्री
मोटर सेल्स लि०
से द्वारा
लखनऊ
प्राप्त हुए।
प्रार्थनापत्र No LK-8795-
बान्य बढ़ाने के संबंध में
अध्यक्ष 15-
24/2/83
(सील)
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

PHONES 48333, 48334, 4
REGISTERED OFFICE 11-MAHATM

89

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Original
Duplicate
Triplicate

DIRECTORATE OF INDUSTRIES
Registration As A Small Scale Industrial Unit
CERTIFICATE

This is to certify that M/s... MOTOR SALES LIMITED (BODY BLDG.DIVISION)

.....11-Mahatma Gandhi Marg, Lucknow..... (Office address)

a ~~Proprietorship/Partnership/Private Limited~~/Public Limited Concern is a Small Scale Industrial Unit registered with this Directorate and is allotted the following Registration Number :—

| No. | | | | | | Dated | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 34 | 03662 | PMT | SSI | 07 | 04 | 06 | 1983 |

for the Factory located at...Vill...Kamta, P.O.Chinhat, Distt.Lucknow.....

for manufacturing/processing/job works of the following items :—

| Sl. No. | Name of item(s) Mfd. | Sl No. | Name of item(s) Mfd. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Body Fabrication of Auto | 6 | 3. Steel Fabrication Job Work. |
| 2 | Vehicles viz. Tipper, Dumper, | 7 | |
| 3 | Truck, Bus. | 8 | |
| 4 | 2. Sheet Metal Pressed Components | 9 | |
| 5 | such as Door frames. | 10 | |

Date of commencement of production : Ist. January 1983

Place: Lucknow

Office Seal

General Manager
Signature
GENERAL MANAGER
District Industries Centre
For Director of Industries, U.P.

Subsequent Addition or Deletion of Items :

| Date | Name of Item(s) | Addition/Deletion |
|---|---|---|
| | | ... of Regn. Authority. |

No. 1061 / DI Regn. Dated

MOTORSALES LIMITED
(BODY BUILDING DIVISION)
BARABANKI ROAD LUCKNOW

MASTER FILE COPY

REF:NO:MSB/233. Dated 28th May, 1983.

The Deputy Transport Commissioner (Technical),
Uttar Pradesh,
LUCKNOW.

Dear Sir,

Sub: Registration as an approved Fabricator of vehicle bodies.

We wish to bring to your kind notice that we have commenced fabrication of various types of vehicle bodies, at our factory on Barabanki Road, Lucknow since 1st January 1983.

Our activities consists of the following:-

1. Fabrication of Tipper and Dumper Bodies;
2. Fabrication of Truck Bodies;
3. Fabrication of Bus Bodies;
4. Fabrication of Mini Bus Bodies and Wagonette Van Bodies.

We shall be grateful if you kindly register us as an approved fabricator of vehicles bodies and grant us the necessary certificate for the same.

Thanking you,

Yours faithfully,
For MOTORSALES LIMITED;
(Body Building Division)

DIRECTOR

cc: to the General Manager,
District Industries Centre,
Lucknow

for information.

File
G.M. M.C
27/1/83

91

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION
U. P. STATE ELECTRICITY BOARD
426—Birbal Sahani Marg, LUCKNOW.

No 830 [illegible] dated 14/12 1982

Electric Bill for large and Heavy Power Consumers
(Rate Schedule H V-2 A)

BILL FOR THE MONTH OF 10/1982

1. Name and address of consumer M/s [illegible] Farzabad Road 400

2. S. C. No. 1/2/[illegible]

3. Date of connection 6-10-82 Supply Voltage 400

4. Reading, Multiplying Factor 12

| | Present | Previous | Consumption |
|---|---|---|---|
| (i) KWHr | 1397 | 718 | 679 x 12 |
| (ii) KVAHr | | " | = 8,148 |
| (iii) KVAr Hr | | | |
| (iv) [illegible] | | | |

5. Actual Max. Demand during the Month : KW 5x12 = 60 kVA KVA HP

6. Contracted demand (Sanctioned load) 244 kVA

7. 75% of the contracted demand. 183 kVA

8. Billable demand (Highest amongst (5 & 7) 183 kVA

9. (A) Demand charges :— All KW of billable demand 183 @ Rs [illegible] per KW Rs 4026 [illegible]

(B) Energy charges :— (Subject to coal price variation adjustment)

(i) First 200 Units per Kwh of billable demand. [illegible] @ 0.12 Paisa per Unit Rs [illegible] 28 5180

(ii) Next 200 Units per Kwh of billable demand. @ 0.10 Paisa per Unit Rs 6,877 = 80

(iii) All in excess of 340 Units per Kwh of the billable demand @ 6.75 Paisa per Unit Rs [illegible]

(iv) If residential Connected extra Charges for [illegible] Units @ 2.5 Paisa per Unit Rs [illegible]

[illegible]

P.T.O.

92

TELEPHONE : 47666
TELEGRAM : HYDRAULICS

# AUTO SERVICE EQUIPMENT
7, NEWAL KISHORE ROAD,

LUCKNOW-226001.

## INVOICE

M/S. Motor Sales Limited,
Body Building Division,
Chinhat,
Lucknow.

NO. 589/82-83
DATE 4.3.83.
ORIGINAL
YOUR ORDER NO.
DELIVERY NOTE NO.

SHIP TO Lucknow.
CHARGES TO above
DOCUMENTS THROUGH Direct.
GR/RR NO. N-85238 Dt. 28.2.83.

| S. No. | DESCRIPTION | RATE Rs. | RATE P. | QTY. | TOTAL Rs. | TOTAL P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELGI 80-50 Air Compressor | 10250. | 00 | 1 No. | 10250. | 00 |
| | Less 5% discount | | | | 512. | 50 |
| | | | | | 9737. | 50 |
| | Plus Excise-duty SC @ 8% | | | | 779. | 00 |
| | | | | | 10516. | 50 |
| | Plus CST 3% @ 4% | | | | 420. | 66 |
| | | | | | 10937. | 16 |

(Rupees ten thousand nine hundred thirty seven and paise sixteen only)

E. & O. E. Goods once sold will not be taken back or exchanged.

U.P.S.T. No. : LK 15874 Dt. 1-4-77
C. E. T. No. : LK 9978 Dt. 29-4-77

Subject to Lucknow Jurisdiction

for AUTO SERVICE EQUIPMENT

PARTNER

93

TELEPHONE : 47868

TELEGRAM : HYDRAULICS

# AUTO SERVICE EQUIPMENT

7, NEWAL KISHORE ROAD,

LUCKNOW-226001.

## INVOICE

NO. 618/82-83

DATE 18.3.1983

ORIGINAL

YOUR ORDER NO. [illegible]

DELIVERY NOTE NO. 1934 Dt. 18.3.83

M/s Motor Sales Ltd.,
Body Building Section,
Chinhat,
L U C K N O W.

SHIP TO Local delivery

CHARGES TO Local

DOCUMENTS THROUGH Direct

R/RR NO.

| S. No. | DESCRIPTION | RATE Rs. | P | QTY. | TOTAL Rs. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOLF type GQ4 100mm(4") Straight Grinder. | 1825 | 00 | 1 NO. | 1825 | 00 |
| 2. | WOLF Type HS7 180mm(7") Horizontal Sander | 2080 | 00 | 1 NO. | 2080 | 00 |
| 3. | Sanding Discs | 14 | 40 | 10 NOs | 144 | 00 |
| | | | | | 14049 | 00 |
| | Less Discount @ 5% | | | | 202 | 45 |
| | | | | | 13846 | 55 |
| | Add UPST @ 6% | | | | 230 | 73 |
| | | | | | 14077 | 28 |

(Rupees four thousand seventy seven & Paise twenty eight only)

Entered in Register [illegible]

E. & O. E. Goods once sold will not be taken back or exchanged.

U.P.S.T. No : LK 18874 Dt. 1-4-77

C. S. T. No. : LK 9278 Dt. 29-4-77

Subject to Lucknow Jurisdiction

For AUTO SERVICE EQUIPMENT

PARTNER

TELEPHONE : 47666
TELEGRAM: HYDRAULICS

# AUTO SERVICE EQUIPMENT

7, NEWAL KISHORE ROAD,
LUCKNOW-226001.

## INVOICE

NO. 81/83-84

DATE 27.5.1983

ORIGINAL

YOUR ORDER NO. PUR/[illegible]/[illegible]/32 Dt.27.5.83

DELIVERY NOTE NO 2075 Dt. 27. 5.83

M/s Motor Sales Ltd.,
Body Building Divn.,
Faizabad Road,
LUCKNOW.

SHIP TO Local delivery

CHARGES TO

DOCUMENTS THROUGH Direct

GR/RR NO. Delivered to your Mr. Sharma

| S. No. | DESCRIPTION | RATE Rs. | RATE P. | QTY. | TOTAL Rs. | TOTAL P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOLF type GQ4 100mm Straight Grinder | 1900 | 00 | 2 NOs | 3800 | 00 |
| | ~~Add [illegible]~~ Less Discount @ 5% | | | | 190 | 00 |
| | | | | | 3610 | 00 |
| | UPST @ 6% | | | | 216 | 60 |
| | | | | | 3826 | 60 |
| 2. | Grinding Stone for WOLF GQ4 | 30 | 00 | 12 NOs | 360 | 00 |
| | | | | | 4186 | 60 |

(Rupees four thousand one hundred eighty six & Paise sixty only)

Entered in Register [illegible]
[illegible] 116, 117, 298
[illegible]

E. & O. E. Goods once sold will not be taken back or exchanged.

U. P. S. T. No. : LK 18874 Dt. 1-4-77
C. S. T. No. : LK 9278 Dt. 29-4-77

Subject to Lucknow Jurisdiction

For AUTO SERVICE EQUIPMENT

PARTNER

TELEPHONE : 47566
TELEGRAM : HYDRAULICS

# AUTO SERVICE EQUIPMENT

7, NEWAL KISHORE ROAD,

LUCKNOW-226001.

## INVOICE

NO. 647/82-83

DATE 30.3.1983

ORIGINAL

YOUR ORDER NO.

DELIVERY NOTE NO.

Messrs Motor Sales Ltd.,
Body Building Divn.,
Chinhat,
L U C K N O W.

SHIP TO

CHARGES TO

DOCUMENTS THROUGH Direct

GR/RR NO. GR No.2984695 Dt. 18.3.83

| S. No. | DESCRIPTION | RATE Rs. | RATE P | QTY. | TOTAL Rs. | TOTAL P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRACTEL, Self Erecting Gantry, Capacity 2 Tonnes with Pulling & Lifting Machine 1 Boom, size 300x140 with standard accessories complete. | 18700 | 00 | 1 NO. | 18700 | 00 |
| | Add SC towards Excise duty actually prepaid. @ 9% | | | | 1683 | 00 |
| | | | | | 20383 | 00 |
| | Add CST @ 4% against Form 'C' | | | | 740 | 32 |
| | | | | | 21123 | 32 |

(Rupees twenty one thousand one hundred twenty three & Paise fifty two only)

E. & O. E. Goods once sold will not be taken back or exchanged

U.P.S.T. No. : LK 15874 Dt. 1-4-77
C. S. T. No. : LK 9978 Dt. 29-4-77

Subject to Lucknow Jurisdiction

For AUTO SERVICE EQUIPMENT

PARTNER

पृष्ठ संख्या : 96

In Continuation of Previous Licence No. LKO-542 dated enforced from 22.10.91 and renewed up to 31.12.1994

# FORM No. 3

[RULE 7 (1)]

(Registration and Licence to Work a Factory)

006150

Registration No. LKO-542

Serial No. 542

Fee Rs. 2567=00

Licence is hereby granted to श्री राहुल गुप्ता (डाइरेक्टर) valid only for the premises described below for use as a factory employing not more than 150 persons on any one day during the year and using motive power not exceeding 500 H.P. subject to the provisions of the Factories Act, 1948, and the rules made thereunder.

This licence shall remain in force till 31.12.1995 unless further renewed.

The March 1, 1996.

Chief Inspector of Factories, U. P.
उप निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश,

Description of the Licensed Premises

The licensed Premises shown on plan no. अनु० प० सं० 219 एकरेखन dated 14-2-96 are situated in मेसर्स मोटर एण्ड जनरल सेल्स लिमिटेड (फैक्ट्रिकेशन यूनिट) फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, and consist of

| Date of renewal | Date of expiry | Fee | Signature of Licensing Authority |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 जनवरी 1996 | 31 दिसम्बर 1996 | 3000/- | उप निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश, |
| 1 जनवरी 1997 | 31 दिसम्बर 1997 | 3000/- | उप निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश, |
| 1 जनवरी 1998 | 31 दिसम्बर 1998 | 3000/- | उप निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश |
| 1 जनवरी 1999 | 31 दिसम्बर 1999 | 3000/- | उप निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश |

Printed at Government Press, U. P., Allahabad.

PSUP—1 Karkhana—4-6-'93 Misc. Form no. 250-R—500 Books. (J)

[P. T. O.

पृष्ठ संख्या : 97

पत्र सं0-पंजीयन कोड-85-86 /
U P.S.T. No. LK 0167696 w.e.f. 16-11-77
G. S. T. No. LK 5095868 w.e.f. 30-11-77
Motor & General Sales Ltd.
11, Mahatma Gaudhi Road
LUCKNOW

/वि0क0अ0/

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) विक्रीकर/
विक्रीकर अधिकारी, खंड/मंडल . . . .

दिनांक 26-8-85

सर्वश्री मोटर एण्ड जनरल सेल्स लि0
. . . . . एम. जी. मार्ग लखनऊ
. . . . . .

उत्तर प्रदेश विक्रीकर अधिनियम/केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम के अर्न्तगत आपको आवंटित पंजीयन क्रमांक 1.67.69. | 95.86 के स्थान पर नया प्रान्तीय /केन्द्रीय पंजीयन ~~क्रमांक~~ LK 0167696 LK 5095868 आवंटित कर दिया गया है । दिनांक 1-9-85 के बाद आप अपने समस्त अधिलेखों में एवं कार्यालय द्वारा माँगी गई सूचना के संदर्भ में इसी पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें । दिनांक 1-9-85 के पश्चात् पुराने पंजीयन क्रमांकों का उपयोग अवैध माना जायेगा ।

सहायक आयुक्त (क0नि0) विक्रीकर/
विक्रीकर अधिकारी, खंड-मंडल

X-20

डाक प्राप्ति रजिस्टर

कार्यालय विक्रीकर अधिकारी
क्रमांक _____ दिनांक 31.3.95
निम्नलिखित कागजात
(संख्या कागजात शब्दों में) 638834
आज सर्वश्री मोटर एण्ड जनरल सेल्स लि0 से
द्वारा _____ प्राप्त हुए
1 प्रार्थना पत्र व चालान
2
3 Rs. 500/- पंजीयन शुल्क
4 93.94 आगपर्ड्स
5

(सील)

प्राप्तकर्ता 31.3.95

पृष्ठ संख्या: 98

FORM NO. 4
See Rule 10 -
...tion for Renewal of Licence under ...
...ion of Cold Storage ...

Recd
24/2/83

निदेशालय उद्यान एवं फल उपयोग, उ०प्र० (मैदानी क्षेत्र)
18-बी० अशोक मार्ग लखनऊ ।

पत्रांक आलू 7142-44 / सी०एस० दिनांक लखनऊ 24/2/83 मई 1982

मे० हरविलास कोल्ड स्टोरेज
लखनऊ

प्रिय महोदय,

आपके कोल्ड स्टोरेज लाइसेंन्स पुस्तिका सं० सी०एस०ए०/ 1-1-16 भेजी जा रही है कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करें । इसको शीतगृह पर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें तथा अधिकारियों द्वारा जांच के समय मांगे जाने पर उपलब्ध करायें ।

भवदीय,

लाइसेन्सिंग अधिकारी,
कोल्ड स्टोरेज एवं निदेशक उद्यान,
एवं फल उपयोग, उ०प्र०
लखनऊ ।

पृष्ठांकन सं० आलू _____ / सी० उक्त दिनांक लखनऊ

प्रतिलिपि :-

उप निदेशक उद्यान ---- लखनऊ ---- और जिला उद्यान अधिकारी ---- लखनऊ ---- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

लाइसेंन्सिंग अधिकारी,
कोल्ड स्टोरेज एवं निदेशक उद्यान,
एवं फल उपयोग, उ०प्र०,
लखनऊ ।

पृष्ठ संख्या : ११

Regd. A.D.

NOTICE OF DEMAND

APPENDIX

FORM NO. EPF CP. 1

Notice of demand to defaulter

कार्यालय वसूली अधिकारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उ०प्र०
वसूली प्रकोष्ठ
निधि भवन, सर्वोदय नगर,
कानपुर

Office of the Recovery Officer,

Dated 26-8-90

To M/s. Harbilas Cold Storage & Food Products, Commercial Motor Buildings Hazratganj - Lucknow.

* Please take notice that certificate No. 11.61131/UP/STA Enf-II dated 22-7-86 has been forwarded by the Authorised Officer R.P.F.C. U.P. Kanpur for the recovery of an amount of Rs. 31511- (Rs. Thirty one thousand five hundred eleven only) details of which are given on the reverse.

* Please take notice that certificate no..... dated ..... had been forwarded by the Recovery Officer, , for the recovery of an amount of Rs. (Rs.. ) details of which are given on the reverse and the said Recovery Officer has sent a certified copy of the said certificate to the undersigned under Section 8B(2) of the EPF & MP Act, 1952, specifying that an amount of Rs. (Rs. is to be recovered from.)

2. You are hereby required to pay the amount aforesaid within fifteen days from the date of service of this notice to Manager, State Bank of India at Lucknow to the credit of the respective E.P.F. accounts.

A set of Blank Challans is enclosed for the purpose.

3. You are informed that in case of default, steps would be taken to realise the amount in accordance with the Provisions of Sec. 8 B to Sec. 8 C of the E.P.F. & M.P. Act.

Contd...

पृष्ठ संख्या : 100



In addition to the amount aforesaid, you will also be liable for :-

( a) Such interest as is payable in accordance with section 7-Q of the said Act for the period commencing immediately after the date ~~of the~~ of the issue of the said certificate, and

( b ) all costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and of warrants and other processes and of all other proceedings taken for realising the arrears.

(C) Such damages as may be levied by the authorised officer way of penalty under section 14-B of the Act.

( Recovery Officer) 12.9.90

RECOVERY OFFICER

DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE RECOVERY CERTIFICATE ISSUED BY THE AUTHORISED OFFICER

Details of the amount mentioned in certificate Issued by the Authorised Officer.

| | Contributions 1 | Adm. Charges 2 | Damages 3 | Period 4 |
|---|---|---|---|---|
| E.P.F. | 29290- | — | — | 4/76 to 12/85 |
| F.P.F. | — | — | — | |
| E.D.L.I. | 1130- | — | — | |
| EDF Admcharge | 865 | — | — | |
| DLI. " | 226- | | — | |
| Total | Rs 31511- (Rs Thirty-one thousand five hundred - eleven only -) | | | |

* Score out whichever is not applicable.

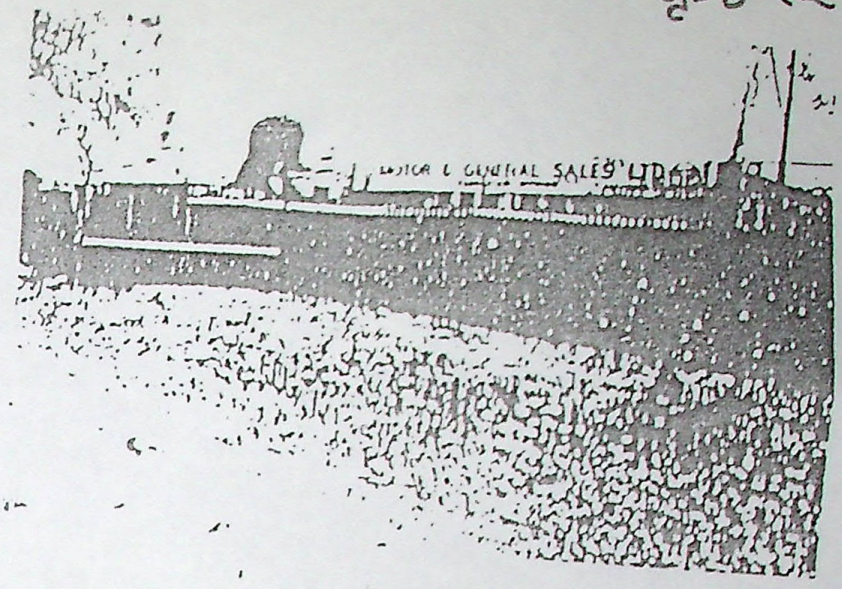
GENERAL SALES

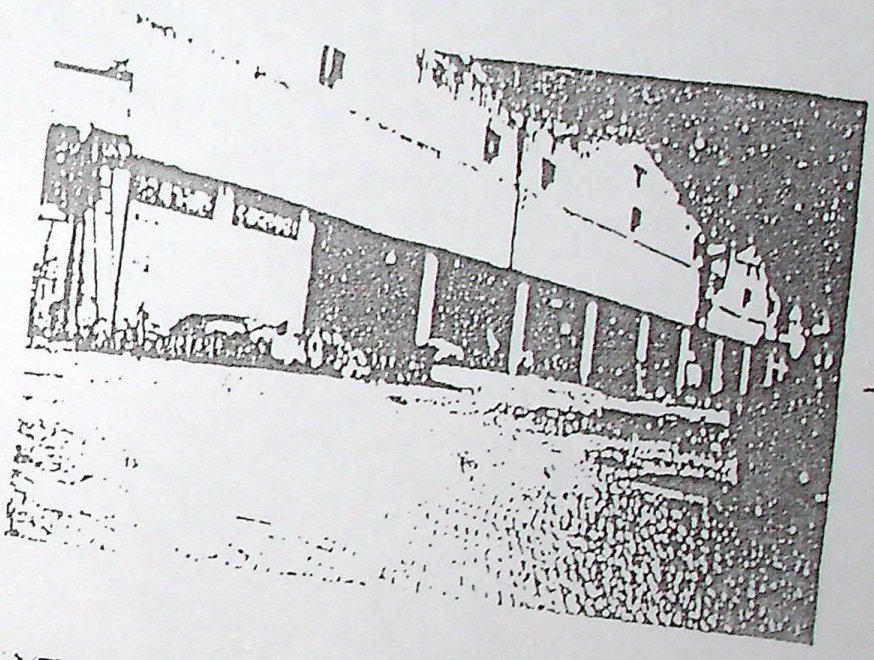

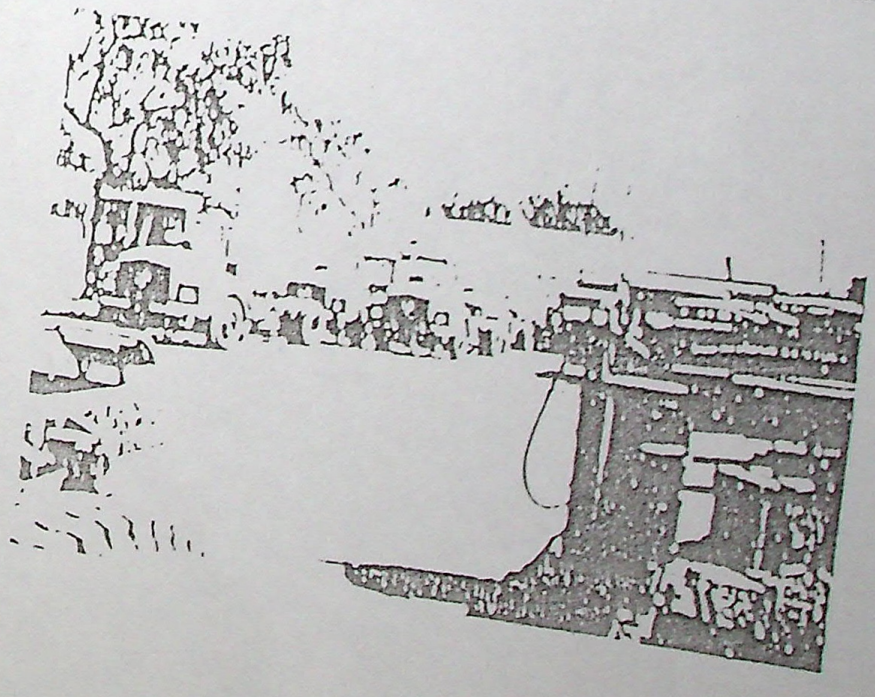

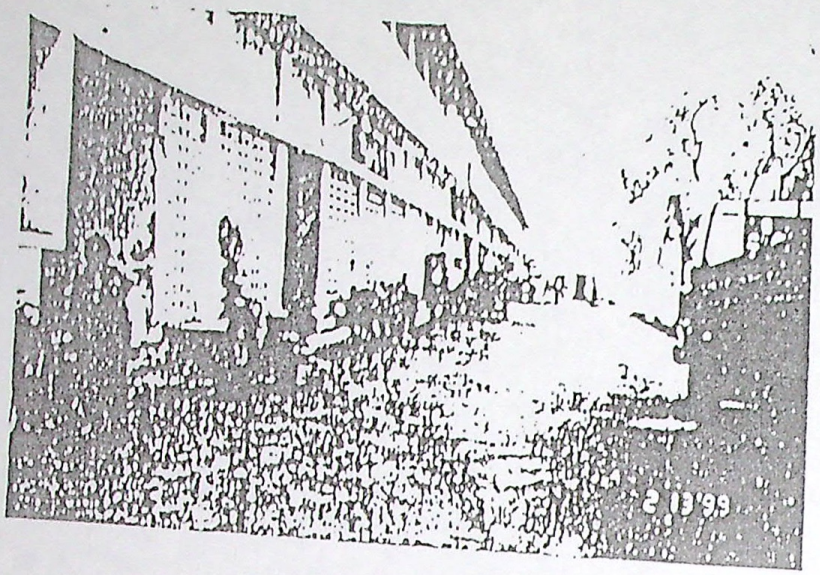

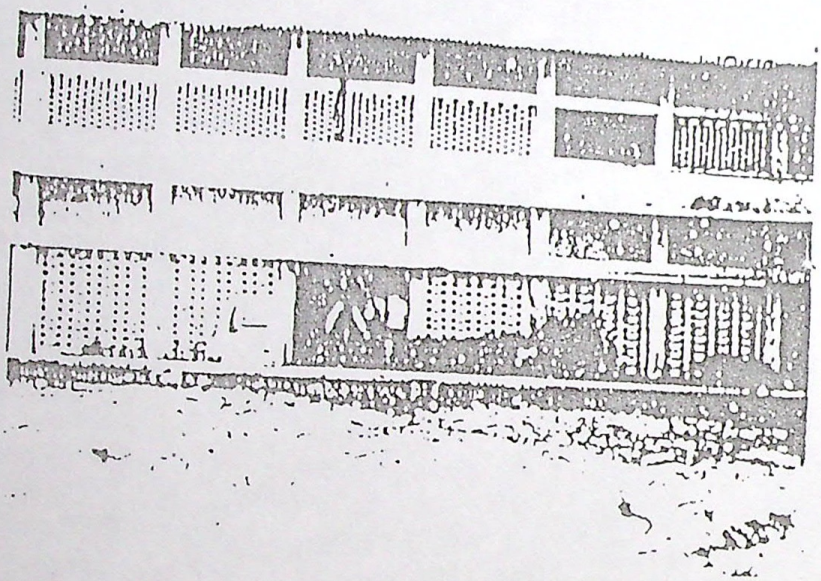

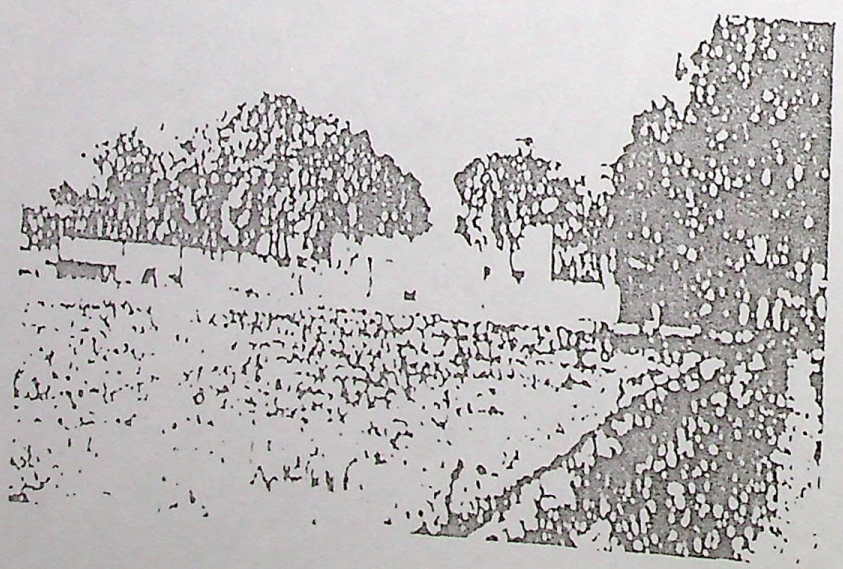

विषय सं0: 17 पृष्ठ सं0 : 103

विषय: राम नगर जल निकासी योजना।

राम नगर योजना में जल भराव की समस्या विगत कई वर्षो से चली आ रही है। वर्षाकाल में इस कालोनी में लगभग 4फिट से 5 मिट तक पानी घरों में घुस जाता है। राम नगर में लगभग 225 हेक्टेयर क्षेत्र का पानी विभिन्न मोहल्लों का आता है जिसके लिए एक जनहित याचिका मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 30.4.96 के क्रम में निम्न समिति गठित की गयी थी:-

1. प्रमुख अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
3. अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

समिति ने जल निकासी हेतु कई सुझाव दिये, तदुपरान्त मा0 नगर विकास मंत्री महोदय द्वारा क्षेत्र का दौरा करने के बाद तत्काल प्रभाव से जल निकासी योजना बनाने हेतु श्री ए0के0 खन्ना, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को जल निकासी हेतु सुझाव दिये जोन का कार्य सौंपा गया। प्रारम्भिक रिपोर्ट एवं विकल्पों पर प्राधिकरण की निम्न समिति द्वारा दिनॉक 27.8.99 को स्थलीय निरीक्षण किया गया:-

1. श्री आर0पी0 शुक्ल, मुख्य अभियंता, ल0वि0प्रा0।
2. श्री ए0के0 खन्ना,सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एवं 4 अधिशासी अभियंता एवं 3 सहायक अभियंता, ल0वि0प्रा0 भी निरीक्षण में उपस्थित थे।

समिति ने सभी प्रस्तावों का विश्लेषण करने के पश्चात राम नगर से गुड शेड रोड होते हुए गाजीउद्दीन हैदर कैनाल(मवैया के पास तक) बन्द नाला बनाये जाने के विकल्प को उचित पाया गया। मेसर्स स्तम्भ से जी0एच0 कैनाल तक 2000एम0एम0 से 2200 एम0एम0 ह्यूम पाईप डालने की परियोजना धनॉक रू0:367.246 लाख की प्रस्तुत की गयी। इस कार्य में जल संस्थान का बैक वास वाटर का पानी नाले में ले लिया गया। इस बन्द नाले के बनने के पश्चात राम नगर का पानी राजेन्द्र नगर, गौष नगर न जाने से उस क्षेत्र का काफी जल भराव की समस्या का निदान हो जायेगा।

रामनगर जल निकासी योजना की स्वीकृति निवेदित है।

# REORGANISATION/ RENOVATION OF DRAINAGE SYSTEM FOR RAM NAGAR L.D.A. SCHEME, LUCKNOW

# PROJECT REPORT

## INTRODUCTORY

The task of "Reorganising/ Renovation of Drainage System of Ram Nagar Scheme, Lucknow" was entrusted to Stambh Consultants on 3 July '99. A Feasibility Report was accordingly prepared and submitted on 16.8.99 after substantial survey of the area assessment of catchment and study of various alternatives namely Disposal into (i) G.H. Canal (ii) Wazirganj Nala (iii) Moti Jheel (Appendix 2)

A Sub-Committee was constituted by Vice Chairman, L.D.A. to consider the Feasibility Report. The committee included the Chief Engineer and Superintending Engineer, L.D.A. who made spot inspection on 27.8.99. The Committee was of the view that the course of Wazirganj Nala was prone with cronic problems of garbage dumping, encroachments etc. and that maintenance of this alternative would be too problematical.

The Committee thus unanimously decided in favour of adopting the alternative of Disposal into G.H. Canal. After considerable lapse of time, we were ultimately assigned the job of Preparation of Detailed Project based on this decision vide Chief Engineer, L.D.A. letter No. 966/ Mu-Aa/2000 dated 22.2.2000. It was also directed the Project include the 'Back Wash' discharge of Aish Bagh Water Works.

## SURVEY & INVESTIGATIONS

Detailed survey of the catchment area commanded by the system was accordingly conducted in the back ground of above decisions. As the manholes of Back Wash sewer were not traceable, being covered by road surface with passage of time, trial pits has to be dug at a number of spots and then only the sewer could be spotted at one of these trial pits enabling measurement of Invert level of Back Wash Sewer. This process obviously took time. The results of Detailed Survey of entire Catchment have been marked on the Plan. Nadan Mahal Road on the north side of the catchment area, Railway line as eastern side. Aish bagh Flyover Road in the South and Water warks road in the West form the ridge lines around the alignment with slopes towards Ram Nagar Catchment and thus form the boundaries of the catchment.

The drainage of the catchment is done through two separate drains namely (i) Khajua underground Nala and (ii) Ram Nagar Scheme Nala both joining at the same spot on Railway culvert. On the basis of spot survey the individual command area of these two drains has been marked on the enclosed plan. While conducting the survey, the direction of Dry Weather Flow of the various drains in the area has also been studied in detail.

As per alignment proposed in the feasibility report on the G.H. canal route, soil tests have been got conducted through Arun soil Lab at three spots on the alignment to assess the Bearing Capacity and Sub-soil conditions (Soil Test Report Appendix-1). This process too consumed sufficient time. However, the results are quite encouraging in as much as

the bearing capacity ranges from 13-18 Tonnes/ sqm. and sub-soil water is over 10 m deep. Considering 2m rise during post mansoon period, it would still be 8m deep.

PROPOSALS

Thus sub-soil water is not likely to be encountered during execution of the scheme. Still, as a matter of abundant caution, token provision of laying sewer under sub-soil water condition has been made for 80 m length to meet eventualities like seepages from adjoining Nala. The Soil Testing Lab has praposed 30 cm bedding for the sewer on the basis of soil test. Accordingly sewer bedding consisting of 20 cm. 1:2:4 concrete over 10 cm 1:6:12 mud mat has been proposed.

As a result of Detailed Survey, the total discharge at point B works out to 3276 lps including Back Wash Water verbally intimated as 347 lps by the G.M., Lucknow Jal Sansthan. The total discharge further increases to 4413 lps near G.H. Canal (As against 3158 lps taken in Feasibility Report on the basis of spot levels and proposal of 1800 mm R.C.C. pipe Drain). Accordingly as per enclosed Design Chart, 2000 mm $NP_3$ R.C.C. Hume Pipe has been proposed from point B to point C in a length of 250 m and 2300 mm $NP_3$ R.C.C. pipe from point C to G.H. Canal in a length of 1566 M.

For storm water discharge, the Rain Fall Record of Lucknow for 17 years has been considered, based on which the British Consultants, Binnie Thames Water had prepared the Duration intensity, duration - weighted.

Average co-efficient and duration run off curves for Gomti River Pollution Control Project (Enclosed witn Design Part of Project). These curves have been adopted for storm water assessment. Taking into consideration the open grounds of Parks, Schools, Ram Lila Ground etc. Imperviousness has been designed at 60%.

## CURVE FOR 2 YEARS RAINFALL INTENSITY

As mentioned above $NP_3$ R.C.C. Hume Pipes of 2000 mm and 2200 mm have been proposed in lengths of 250 m and 1566 m respectively. The depth of excavation ranges from 2.79 m to 6.5 m. All apertenant works such as construction of Manholes, digging and restoration of road surfaces, protective measures for trenches etc. have been duly included in this Detailed Estimate.

## CONCLUSIVE

The Detailed Project amounting to Rs. 367.246 Lacs is submitted for L.D.A's consideration and approval.

for STAMBH CONSULTANTS

निर्णय संख्या: 18



विषय: इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान से संलग्न भूमि के भू-प्रयोग को इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान से अस्पताल भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या: इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान हेतु 25 एकड़ भूमि आरक्षित किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर हुई बैठक दिनांक: 19.12.97 के अन्तर्गत लिया गया है। अभियन्त्रण खण्ड-2 द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वे क आधार पर सम्पूर्ण भूमि का क्षेत्रफल 32.56 एकड़ सूचित किया गया है। इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान की 25 एकड़ भूमि में से 3 एकड़ भूमि शाफ्ट वेयर टैक्नालाजी पार्क को शासन द्वारा आवंटित की गयी है, उक्त 3 एकड़ भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु पूर्व में ही विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 22 जनवरी,2000 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है । शासन को भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव पत्र संख्या: 437/सी0टी0पी0/वी0सी0/कैम्प, दिनांक: 24.4.2000 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है ।

2. वर्तमान में स्थल पर इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान हेतु आरक्षित 25.0 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 7.56 एकड़ भूमि उपलब्ध है । उक्त भूमि में से 3.0 एकड़ भूमि (न्यूरो साइंस रिसर्च सेन्टर) तथा एस्कार्ट हार्ट सेन्टर हेतु प्रस्तावित है जोकि "अस्पताल" भू-प्रयोग के अन्तर्गत आते हैं । न्यूरो साइंस रिसर्च इन्स्टीट्यूट के भू-प्रयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या: 169/सीटीपी/वीसी/कैम्प, दिनांक: 06.1.2000 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है ।

अत: न्यूरो साइंस रिसर्च सेन्टर का प्रस्ताव सूचनार्थ तथा एस्कार्ट हार्ट सेन्टर हेतु शेष 4.56 एकड़ भूमि के भू-प्रयोग को इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान से अस्पताल में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: मानचित्र स्वीकृत के समय तथा मानचित्रकारों/वास्तुविदों को अनुज्ञाप्ति के समय ली जाने वाली अम्बार फीस, पर्यवेक्षण शुल्क, सुदृढ़ीकरण शुल्क, मानचित्र शुल्क, जल शुल्क तथा अनुज्ञाप्ति शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव:-

प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत के समय तथा मानचित्रकारों/वास्तुविदों को अनुज्ञाप्ति देते समय उपरोक्त विभिन्न शुल्क आरोपित किया जाता है एवं उपरोक्त शुल्क पक्ष द्वारा जमा करने के बाद ही मानचित्र निर्गत किया जाता है। उपरोक्त शुल्कों में से अम्बार फीस, पर्यवेक्षण शुल्क तथा सुदृढ़ीकरण शुल्क शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 175/9-आ-3-98-33 काम्प/98 दिनांक: 05.2.98, शासनादेश संख्या: 146/9-आ-3-98-7वि0/98 दिनांक: 22.1.98 तथा शासनादेश संख्या: 4554/9-आ-1 दिनांक: 20.11.98 के क्रम में लिया जाता है। उक्त शासनादेशों में स्पष्ट रुप से लिखा है कि विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ही प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित कास्ट इण्डेक्स के आधार पर उक्त दर को अद्यावधिक करेगा। मानचित्र शुल्क, जलशुल्क तथा मानचित्रकारों/वास्तुविदों से लिए जाने वाले अनुज्ञाप्ति शुल्क क्रमश: सन् 1983, 1988 तथा 1993 में निर्धारित दरों के आधार पर लिया जाता है, जो बहुत समय पहले की दरें हैं इस लिए उक्त दरों में वृद्धि किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। वर्तमान भारत सरकार के कास्ट इण्डेक्स एवं बढ़ी हुई खर्च के आधार पर उपरोक्त दरों में संशोधन प्रस्तावित कर दिया गया है।

अत: उपरोक्त शुल्कों में प्रस्तावित की गई आवश्यक वृद्धि की सूँची साथ में संलग्न की जा रही है, जो प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

पृष्ठ संख्या 11०

## प्रस्तावित जल व्यय शुल्क की दर

1. दुर्बल आय वर्ग — रुपया: 40/=प्रति माह

2. (अ) अल्प आय वर्ग भवन जिसका कुर्सी क्षे0–30 व.मी. तक है = रुपया: 60/= प्रति माह

   (ब) अल्प आय वर्ग भवन जिसका कुर्सी क्षे0–30व.मी.से अधिक है =रुपया: 100/= प्रति माह

3. (अ) मध्य आय वर्ग भवन जिसका कुर्सी क्षे0–50व.मी. तक है =रुपया: 120/= प्रति प्रति माह

   (ब) मध्य आय वर्ग जिसका कुर्सी क्षे0–51व.मी.से 75व.मी.तक =रुपया: 160/=प्रति माह

   (स) " " " " 75व.मी० से अधिक =रुपया: 200/- प्रति माह

4. (अ) उच्च आय वर्ग भवन जिसका कुर्सी क्षे0–75व.मी. तक है =रुपया: 240/=प्रति माह

   (ब) उच्च आय वर्ग भवन जिसका कुसी क्षे0–75व.मी.से अधिक है =रुपया: 300/=प्रति माह

5. (अ) भूखण्ड –300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक — रुपया: 160.00 प्रति माह

   (ब) भूखण्ड–300 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक — रुपया: 200.00 प्रतिमाह

   (स) भूखण्ड 500 से 1000 वर्ग मी0 क्षे0 तक — रुपया: 300.00 प्रति माह

   (द) भूखण्ड 1000 से 3000 वर्ग मी0 क्षे0 तक — रुपया: 500.00 प्रति माह

   (य) भूखण्ड 3000 से ऊपर क्षेत्रफल तक — रुपया: 1000.00 प्रति माह

6. व्यवसायिक भूखण्ड का जलशुल्क आवासीय हेतु निर्धारित दर का दो गुना होगा।

7. दुकानों पर — रुपया: 150.००प्रतिमाह

**नोटः** उपरोक्त शुल्क मानचित्र स्वीकृत के समय एक मुश्त छः माह हेतु लिया जाएगा ।

पृष्ठ संख्या : 111

**प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के वास्तुविदों/मानचित्रकारों से लिये जाने वाले अनुज्ञप्ति शुल्क में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में।**

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा जो मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं, की ड्राईंग बनाने हेतु लाइसेन्सी आर्कीटेक्ट्स आदि को प्रतिवर्ष प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्स प्रदत्त किए जाते है।

उपरोक्त अनुज्ञा जारी किए यजाने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा–59(1) के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.4.93 में लाइसेन्स शुल्क की दरें स्वीकृत की गयी थी, जो निम्नवत् है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रेणी–ए | रुपया: 2500.00 |
| 2. | श्रेणी–बी | रुपया: 1000.00 |
| 3. | श्रेणी– सी | रुपया: 500.00 |

प्रस्तावित लाईसेन्स शुल्क की दर निम्नवत् है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रेणी–ए | रुपया: 6000.00 |
| 2. | श्रेणी–बी | रुपया: 2500.00 |
| 3. | श्रेणी–सी | रुपया: 1500.00 |

पृष्ठ संख्या : 112

## वर्तमान में मानचित्र स्वीकृत के समय ली जाने वाली शुल्कों की सूँची

1. मानचित्र फार्म शुल्क – रुपया: 30.00
2. अम्बार फीस: –शासनादेश संख्या:175/9–आ–3–98–33काम्प/98 दिनांक:05.2.98 के अनुसार कुल कवर्ड क्षेत्रफल हेतु रुपया: 11/= प्रति वर्ग मीटर है।
3. पर्यवेक्षण शुल्क: शासनादेश संख्या: 146/9–आ–3–98–7वि0/98 दिनांक:22.1.98 के अनुसार रुपया: 5/=प्रति वर्ग मी0 कुल कवर्ड क्षेत्रफल हेतु है।
4. शुद्धीकरण शुल्क: **शासनादेश के अनुसार(4554/9–आ–1–98 दिनांक: 20.11.98) रुपया: 26/= प्रति वर्ग मी0 कुल कवर्ड क्षेत्रफल हेतु निर्धारित है।**
5. जल शुल्क: उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक:07.7.88 के अनुसार/रेटलिस्ट साथ में संलग्न है।
6. सब डिवीजन शुल्क: साथ में संलग्न प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार।
7. शमन शुल्क: शासनादेश सं0:242/9–आ–1–96–डी0ए0/91 दि0–10.1.97के अनुसार
8. लेवी शुल्क: शासनादेश संख्या:3192/9–आ–1–98 दिनांक:22.8.98 के अनुसार वर्तमान भूमि लागत का 2 प्रतिशत निर्धारित है।

## मानचित्र स्वीकृत के समय ली जाने वाली प्रस्तावित शुल्कों की सूँची

मानचित्र फार्म शुल्क : रुपया: 40/=

अम्बार फीस:शासनादेश जारी के समय भारत सरकार का कास्ट इन्डेक्स–167 था। सन् 2000 का कास्ट इन्डेक्स–192 है। अर्थात–25 प्रतिकशन की बृद्धि हुई है। अत: रुपया: 11/= में 25 प्रतिशत बृद्धि जोड़ने पर अम्बार फीस की दर–रुपया:13.75 प्रति वर्ग मी0 आता है।

पर्यवेक्षण शुल्क:कास्ट इन्डेक्स में 25 प्रतिशत की बृद्धि के कारण पर्यवेक्षण शुल्क की दर– रुपया:6.25 प्रति वर्ग मीटर आता है।

शुद्धरीकरण शुल्क: कास्ट इन्डेक्स में 25 प्रतिशत् की बृद्धि के कारण शुद्धरीकरण शुल्क की दर: रुपया–32.50 प्रति वर्ग मी0 आता है।

जल शुल्क: साथ में संलग्न प्रस्ताव के अनुसार ।

सब डिवीजन शुल्क: कोई भी बृद्धि/परिवर्तन प्रस्तावित नही है,क्यों कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन शासन स्तर से सम्भव है।

शमन शुल्क: कोई भी बृद्धि/परिवर्तन प्रस्तावित नही है,क्यों कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन शासन स्तर से सम्भव है।

लेवी शुल्क :– कोई भी परिवर्तन/बृद्धि प्रस्तावित नही है,क्यों कि जो लेवी शुल्क की गणना की जाती है ,उसमें वर्तमान भूमि दर लगाया जाता है। अर्थात जो भी परिवर्तन/बृद्धि की जाएगी वह शासन द्वारा की जाएगी ।

# The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for Permission and on appeal) Rules 1983

## Proposed Rates of fee on application

| Sl. No. | Nature of Proposed development | Description of its constructions | Fee payable from 1983 | Proposed Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Rs.) | 5 (Rs.) |
| 1. | Residential Building | (a) For a buillding having a total covered area of all floors up to 60 square meters. | 25.00 | 100.00 |
| | | (b) For a building having a total covered area of all the floors above 60 square meters but not exceeding 120 sq.mt. | 40.00 | 160.00 |
| | | (c) For a building having a total covered area of all the floors above 120 square meters but not exceeding 180 sq.mt. | 55.00 | 220.00 |
| | | (d) For a building having a total covered of all the floors above 180 sq.mt. | 100.00 | 400.00 |
| 2. | Commerical Building | (a) For a building having a total covered area of all the floors upto 20 sqaure meters. | 100.00 | 400.000 |
| | | (b) For a building having a total covered area of all the floors above 20 sq.mt. but not exceeding 50 sq.mt. | 150.00 | 600.00 |
| | | (c) For a building having a total covered area of all the floors above 50 sq.mt. but not exceeding 100 sq.mt. | 200.00 | 800.00 |

Contd....2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | (d) For a building having a total covered area of all the floors above 100 sq.mt.(upto 100 sq.mt.) as in the above clause (c) and for every additonal 50 sq.mt. or part | 100.00 | 400.00 |
| 3. | Residential-cum-Commerical Building. | For such a building, the fee shall be determined according to the rates prescribed in Items (1) and (2) above, on the basis of the area proposed to be used for any of the two purposes. | | |
| 4. | Building to be used for religious educational or chartiable purposes. | (a) For a building having a total covered area of all the floors utpo 100 sq.mt. | 25.00 | 100.00 |
| | | (b) For a building having a total covered area of all the floors above 100 sq.mt. but not exceeding 200 sq.mt. | 50.00 | 200.00 |
| | | (c) For a building having a total covered area of all the floors above 200 sq.mt. | 75.00 | 300.00 |
| 5. | Industrial Building. | (a) For a building having a total covered area of all the floors upto 200 sq.mt. | 200.00 | 800.00 |
| | | (b) For a building having a total covered area of all the floors above 200 sq.mt.(upto 200 sq.mt.) as in the above clause (a) & for every additional 100 sq.mt. or part. | 100.00 | 400.00 |

Contd.....3

पृष्ठ संख्या 1.15



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Alteration in part of the building. | For any alteration in any part of the buildings, the proportionate fee shall be charged according to the area covered by such alteration and at the rates provided for the type of building specilficed above but not less than the rates prescribed in clause (a) of sub-rule (1), clause (a) of sub-rule (2), clause (a) of sub-rule (4), clause (a) of sub-rule (5) and sub-rule(3) of this rule for the type of the building in which alteration is proposed. | | |
| 7. | Plan for development of site. | (a) For an area upto 20 hectares or part of it. | 250.00 | 2000.00 |
| | | (b) For every additional 20 hectares or part of it. | 125.00 | 1000.00 |

Note :-

1. The rate of fee on appeal preferred to the development Authority under sub-section (5) of section 15 and sub-section (2) of Section 27 of the Act, shall be half of the rates prescribed above.

2. No fee shall be charged on application for permission of the Government Departments and the local authorities.

**अनार्जित भूमि को योजनान्तर्गत शासन की नीति के अनुसार समायोजित करने के सम्बन्ध में।**

**सन्दर्भः अनार्जित भूमि खसरा संख्या:422/1194 ग्राम भरवारा रकबा 1–8–6–0 बीघा के समायोजन के सम्बन्ध में।**

**भूमि खसरा संख्या:422/1194 ग्राम भरवारा का अर्जन प्राधिकरण द्वारा किसी योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है। अर्जित न होने के कारण भू–स्वामी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया गया है कि उसकी भूमि को छोड़ दिया जाये या भूमि के बदले भूमि अन्यत्र कहीं उपलब्ध करायी जाये।**

यहाँ यह अवगत कराना है कि उक्त भूमि को अर्जित करने हेतु प्रस्ताव उजरियांव आवासीय योजना भाग–4 के नाम से प्रस्तावित की गई है, जो जिलाधिकारी/शासन स्तर पर इस लिये लम्बित है कि राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जब तक प्रतिकर हेतु बकाया धनराशि का भुगतान अर्जन विभाग द्वारा नहीं कर दिया जाता है तब तक किसी नई योजना का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। चूँकि प्राधिकरण पर प्रतिकर मद धनराशि भुगतान हेतु अवशेष है जिसके कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया है।

समय–समय पर शासन द्वारा अनार्जित भूमि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। शासनादेश संख्या:1678/9–आ–3–97–50 एल0ए0/1997 दिनांक 20.10.97 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भूमि के भू–अर्जन प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिये जाने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर यदि भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना न जारी की गई हो तो उस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले मानचित्रों पर इस आधार पर आपत्ति न की जाये कि यह भूमि भू–अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है तथा ऐसे मानचित्रों पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाये (संलग्नक–1)

शासन द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः 3698/9–आ–3–99–75वि/99 दिनांक 28.10.99 द्वारा अनार्जित भूमि के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की है,जो निम्न प्रकार हैः–

1. यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समिति की भूमि का अधिग्रहण प्राधिकरण/परिषद आदि द्वारा नहीं किया गया है।

2. समिति द्वारा प्रस्तुत ले–आउट में रोड पैटर्न तथा सरकुलेशन पैटर्न प्राधिकरण के ले–आउट मैच करता हो, भूखण्ड हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल शासन की नीति के अनुसार समिति की की कुल भूमि का 60 प्रतिशत हो। शेष क्षेत्रफल का उपयोग सेवाओं हेतु, यथा सड़क,नाले आदि हेतु होगा। परन्तु 10 प्रतिशत तक का क्षेत्रफल प्राधिकरण

को भूखण्ड के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा जो प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले ट्रंक विकास के एवज् में उपलब्ध होगा। समिति द्वारा जो क्षेत्र सेवाओं एवं खुले रुप में छोड़ा जायेगा, उस पर कोई क्लेम/प्रतिकर मान्य नहीं होगा।

3. समिति से उस सेक्टर का वाहय विकास व्यय जमा कराया जाये। आन्तरिक विकास समिति द्वारा निर्माण विभाग तथा उ0प्र0 जल निगम के मानकों के अनुसार स्वयं किया जायेगा, जिसे आवास निर्धारित व्यवस्था अनुसार सुनिश्चित करायेगा।

4. बैठक में यह बिन्दु प्रकाश में आया कि किसी योजना के विकसित हो जाने के उपरान्त खसरा का डिमार्केशन स्थल पर करने में कठिनाई होती है। भूमि के राजस्व अभिलेख, सजरा प्लान आदि का रख-रखाव तहसील के राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अतः तहसील में किसी भूमि विर्शेष की सीमाएँ एवं स्थल पर चिन्हांकन को पर्याप्त माना जाना चाहिए।

5. जहाँ पर मास्टर प्लान की सड़क पूर्व से निर्मित हो वहां पर समिति द्वारा सड़क चौड़ा करने में आवश्यक भूमि अपने खर्चे पर छोड़ी जायेगी तथा ऐसी भूमि को ट्रंक सेवाओं एवं खुले क्षेत्र हेतु छोड़ी जाने वाली 40 प्रतिशत् में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक"2)

उपरोक्त दिशा निर्देश सहकारी आवास समितियों को अनार्जित भूमि के लिये शर्तो सहित जारी किये गये है कि जिन समितियों द्वारा दिनांक 1.4.99 से पूर्व भूमि क्रय कर ली हो उनके सम्बन्ध में नीति अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु इन्डीविज्युवल (एकल) मामलों में समायोजन की [illegible]ति का निर्धारण नहीं है। उपरोक्तानुसार ही जिन प्रकरण में भूस्वामी द्वारा वाद विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा मा0 न्यायालयों में वाद दायर किये जाते है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समायोजन हेतु निर्णय 50 प्रतिशत् भूमि विकास शुल्क लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि भूमि अर्जित न होने के कारण काश्तकारों (भू-स्वामियों) द्वारा निरन्तर दबाव एवं मा0 न्यायालयों में वाद दायर किये जा रहे हैं जिससे अनावश्यक विवाद उतन्न हो रहा है, क्योंकि योजना की बीच बीच भूमि अनार्जित रह गयी है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा नियोजन की कार्यवाही कर भूमि पर भूखण्डों, सड़को एवं पार्को आदि का विकास कर लिया है। ऐसी स्थिति में या तो भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाये या फिर आपसी समझौते पर भूमि प्राप्त कर ली जाये, जिससे योजना का सुनियोजित विकास हो सके तथा कोई व्यवधान भी उत्पन्न न हो।

चूँकि विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत भूमि अनार्जित है जिसके सम्बन्ध में अनेको विवाद भी मा0 न्यायालयों में दायर है तथा शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्याः 1678/9-आ-3-97-50एफ0ए0/1997 दिनांक 20.10.97 में अनार्जित भूमि पर मानचित्र स्वीकृति करने की

अनुमति प्रदान की है। ऐसी स्थिति में भूस्वामियों से आपसी समझौता करने हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः 3698/9–आ–3–99–75वि/99 दिनांक 28.10.99 के अनुसार योजनान्तर्गत अनार्जित भूमि के सम्बन्ध में भूस्वामियों से समझौता करने हेतु अनुमोदन देना चाहें।

अतः उपरोक्तानुसार शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः3698/9–आ–3–99–75वि /99 दिनांक 28.10.99 में की गई व्यवस्था की नीतिगत रुप में अनार्जित भूमि के प्रकरणों में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पृष्ठसंख्या : 119



संख्याः 1678/9-आ-3-97-50 एल०ए०/1997

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

[1] अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरणए
उत्तर प्रदेश।

[2] अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 1997

विषयः भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्राधिकरणों में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये गये भवन मानचित्र इस कारण से स्वीकृत नहीं किये जा रहे है कि प्राधिकरणों की आवासीय/व्यवसायिक योजना हेतु उक्त भूमि उनके भू-अधिग्रहण प्रस्ताव में सम्मिलित है। प्राधिकरणों की योजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं परन्तु कतिपय कारणों से लम्बे समय तक इन प्रस्तावों पर कोई कायवाही नहीं हो पाती है तथा धारा-4 की अधिसूचना भी लम्बे समय तक जारी नहीं हो पाती है। इस बीच ऐसे क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले भवन मानचित्रों को इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि यह भूमि भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा किसी भूमि के भू-अर्जन प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिये जाने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर यदि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना न जारी की गयी हो तो उस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले मानचित्रों पर इस आधार पर आपत्ति न की जाय कि यह भूमि भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है तथा ऐसे मानचित्रों पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाय। उक्त आदेशों का अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृ० संख्याः 1678(1)/9-आ-3-97-50 एल०ए०/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 आवास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/अधिकारी।
2 आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

पी०एन० सिंह
अनुभागीय

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव ।

अ0शा0पत्र सं0 3698/9-आ-3-99-15वि0/99

आवास अनुभाग-3
बापू भवन
लखनऊः दिनांकः 28 अक्तूबर, 1999

पृष्ठ 1.120

प्रिय महोदय,

कृपया बसारा संख्या-211/1 से 211/5, 211/8, ग्राम-कासिमपुर पकरी की 2.55 एकड़ भूमि, बसारा संख्या-211/212, 216 से 220, 240 ग्राम-गदरूख की 3.15 एकड़ भूमि तथा बसारा संख्या-678/1, ग्राम-बेहसा की 1.09 एकड़ भूमि पर सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये तलपट मानचित्र स्वीकृत करने विषयक सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर दिनांक 24-9-99 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो शासन के अ0शा0पत्र संख्या-3698/9-आ-3-99-75वि0/99, दिनांक 14 अक्तूबर, 1999 द्वारा आपको भेजा जा चुका है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 24-9-99 को सम्पन्न उक्त बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त सुझाये गये प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु पुनः सचिव, आवासविभाग, उत्तर प्रदेश शासन, के स्तर पर दिनांक 15-10-99 को एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ, भी उपस्थित थे । उक्त बैठक/दिनांक 24-9-99 को सम्पन्न बैठक में सुझाये गये पूर्व प्रस्ताव पर सहमति थी । इस बैठक में यह भी निश्चित हुआ कि यह सुविधा उन्हीं समिति को उपलब्ध होगी जो दिनांक 01-4-99 से पूर्व भूमि क्रय कर चुके हों ।

3- अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त लिये गये निर्णय/सहमति के अनुसार सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये तलपट मानचित्र (ले-आउट प्लान) को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(यज्ञवीर सिंह चौहान)

1-श्री विनोद शंकर चौबे,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

2-श्री प्रेम शंकर,
अपर निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी आवास संघ, लखनऊ ।

पृष्ठ संख्या : 121

पी.एम. 5/जी.एम.टी. 10

दिनाँक 24.09.99 को सचिव, आवास के कक्ष में लखनऊ की सहकारी आवास समितियों द्वारा स्वीकृत हेतु आवास संघ में प्रस्तुत किये गये ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में सचिव, आवास के साथ निम्न उपस्थित हुए :-

1. श्री मुदित वर्मा, अध्यक्ष, आवास संघ, लखनऊ।
2. श्री जे.पी. भार्गव, तकनीकी सलाहकार, आवास संघ, लखनऊ।
3. श्री एस.बी. मिश्र, महाप्रबन्धक(तकनीकी), आवास संघ, लखनऊ।
4. श्री एस.के. वर्मा अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. श्री बी.एम. गोयल, सहायक अभियन्ता, आवास संघ, लखनऊ।
6. श्री एस.के. त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता(अर्जन), लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

दिनाँक 24.08.99 को इस सम्बन्ध में सम्पन्न हुई बैठक के क्रम में दिनाँक 14.09.99 को लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा आवास संघ के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया था तथा प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार किया गया।'

ऐसे ले-आउट जो किसी सहकारी आवास समिति द्वारा विकास प्राधिकरण अथवा आवास एवं विकास परिषद की योजना की सीमा के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हों तथा समिति की भूमि का अधिग्रहण प्राधिकरण/परिषद द्वारा न किया गया हो, के निस्तारण हेतु विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न सिद्धान्त उचित प्रतीत हुए :-

1. यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समिति की भूमि का अधिग्रहण प्राधिकरण/परिषद आदि द्वारा नहीं किया गया है।
2. समिति द्वारा प्रस्तुत ले-आउट में रोड पैटर्न तथा सरकुलेशन पैटर्न प्राधिकरण के ले-आउट से मैच करता हो, भूखण्ड हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल शासन की नीति के अनुसार समिति की कुल भूमि का 60 प्रतिशत हो। शेष क्षेत्रफल का उपयोग सेवाओं हेतु, यथा, सड़क, नाले आदि हेतु होगा। परन्तु 10 प्रतिशत तक का क्षेत्रफल प्राधिकरण को भूखण्ड के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा, जो प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले ट्रॅक विकास के एवज़ में उपलब्ध होगा। समिति द्वारा जो क्षेत्र सेवाओं एवं खुले रूप में छोड़ा जाएगा, उस पर उसका कोई क्लेम/प्रतिकर मान्य नहीं होगा।
3. समिति से उस सेक्टर का बाह्य विकास व्यय जमा कराया जाये। आन्तरिक विकास समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग तथा उ.प्र. जल निगम के मानकों के अनुसार स्वयं किया जायेगा, जिसे आवास संघ निर्धारित व्यवस्था अनुसार सुनिश्चित करायेगा।
4. बैठक में यह बिन्दु प्रकाश में आया कि किसी योजना के विकसित हो जाने के उपरान्त खसरा का हिस्सा-बोशन स्थल पर करने में कठिनाई होती है। भूमि के राजस्व अभिलेख, खसरा प्लान आदि का रख-रखाव तहसील के राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अतः तहसील से किसी भूमि विशेष की सीमाए एवं स्थल पर चिन्हाकंन को पर्याप्त माना जाना चाहिए।
5. जहां पर मास्टर प्लान की सड़क पूर्व से निर्मित हो वहां पर समिति द्वारा सड़क चौड़ा करने में आवश्यक भूमि अपने खर्चे पर छोड़ी जायेगी तथा ऐसी भूमि को ट्रॅक सेवाओं एवं खुले क्षेत्र हेतु छोड़ी जाने वाली 40 प्रतिशत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श कर अन्तिम रूप दिया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव, आवास

विषय संख्याः 21 पृष्ठ संख्याः 122

विषयः **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों को शक्ति का प्रतिनिधायन।**

**प्रस्तावः** शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 2909/9–आ–2–1999, दिनांक 24.12.1999 के अन्तर्गत उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 22.01.2000 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके फलस्वरूप उ0 प्र0 विकास एवं नगर योजना अधिनियम– 1973 की धारा 26–क का प्रतिनिधायन सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों को किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिकारियों की सूची प्रेषित करते हुए यह संस्तुति की गयी है कि प्रतिनिधायन सूची में अंकित अधिकारियों को किया जाय।

अतः प्राधिकरण बैठक के पूर्व निर्णय के अनुसार सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों के स्थान पर संलग्न सूची के अनुसार "26–क" का प्रतिनिधायन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

————0————

## लखनऊ में वृत्तों/निर्माण खंडों में तैनात अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंताओं की सूची

1– अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

2– अधीक्षण अभियंता,प्रथम वृत्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

3– अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड–2,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

4– अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड–3,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

5– अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड–12,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

6– अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड–13,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

7– अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड–15,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

8– अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड–19,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 27 मई, 2000

की

अनुपूरक कार्य-सूची


## लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.05.2000 में विचारणीय

अनुपूरक विषयों की कार्य–सूची

| क्रमांक | विषय | विषय संख्या |
|---|---|---|
| 1– | लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य एवं विकास कार्यो के लिए भूमि बन्धक रखकर हुडको से ऋण लिये जाने का प्रस्ताव। | 01 |
| 2– | गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराम खण्ड में मा0 उच्च न्यायालयके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण एवं विकास हेतु निजी वास्तुविद मेसर्स– स्काई लाईन को अनुबन्धित करने के सम्बंध में। | 2–9 |
| 3– | विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 22.1.2000 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समिति की बैठक की अनुशंसा। | 10–13 |
| 4– | यू.पी.आई.एल. कैम्पस ऐशबाग, लखनऊ में विधायक आवासीय योजना हेतु डी.ए.वी. कालेज के सामने ऐशबाग रोड पर स्थित 3000 वर्गमी0 की भूमि के भू–प्रयोग को आवासीय से (आर–3) व्यवसायिक, वाणिज्यिक, खण्डीय विपणन केन्द्र में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। | 14 |
| 5– | मो0आरिफ, अवर वर्ग सहायक की पत्नी को किडनी कैंसर रोग की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। | 15 |
| 6– | गौतम बुद्ध मार्ग स्थित पुराने आर.टी.ओ. पर टू टियर पार्किंग का निर्माण कार्य। | 16 |

| | | |
|---|---|---|
| 7- | श्री डी0सी0 मिश्र को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित "अ" श्रेणी के अर्द्धनिर्मित भवन संख्या:ए-4/59 के स्थान पर गोमती नगर योजना में ही भूखण्ड परिवर्तित/ समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में। | 17 |
| 8- | अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में। | 18-21 |
| 9- | श्री आर.डी.शर्मा सेवा निवृत्त,सहायक अभियंता को कानपुर रोड योजना में आवंटित दुकान के स्थान पर महानगर योजना गोल मार्केट में व्यवसायिक भूखण्ड का परिवर्तन/ समायोजन। | 22 |
| 10- | गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भवन संख्या: बी-2/195 विराट खण्ड में लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में। | 23 |
| 11. | श्रीमती प्रेमलता निगम को आवंटित भूखण्ड संख्या:ए-1/35 सेक्टर "आई" सीतापुर रोड योजना को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। | 24 |
| 12. | अलीगंज योजना के सेक्टर "जी" के अर्न्तगत पुरो हनुमान मन्दिर के पास पार्क के निर्माण के संबंध में। | 25 |
| 13. | भूमि खसरा संख्या: 605/1 ग्राम चिनहट का समायोजन के सम्बन्ध में। | 26-28 |

विषयः **प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य एवं विकास कार्यो के लिए भूमि बन्धक रखकर हडको से ऋण लिए जाने का प्रस्ताव**

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यो के लिए कार्यशील पूँजी की व्यवस्था किये जाने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं हडको से ऋण लिया जाता है। हडको से ऋण लिए जाने हेतु योजनाओं की स्वीकृति एवं ऋण आहरण के प्रस्ताव पारित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनॉक 25.11.1993 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया था, जिसके क्रम में इन परियोजनाओं की स्वीकृति एवं प्रस्ताव उपाध्यक्ष द्वारा पारित करके परियोजनाएं हडको को प्रस्तुत की जाती रहीं हैं। प्राधिकरण द्वारा संचालित की गयी आवासीय योजनाओं में लगभग 40,000 भवनों के निर्माण एवं लगभग 15,000 भूखण्डों के विकास कार्यो के लिए वित्त पोषण हेतु मार्च,1998 तक कुल 176 योजनाओं के अन्तर्गत रू0:252.00करोड़ का ऋण हडको द्वारा स्वीकृत किया गया है। हडको द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण की प्रतिभूति के रूप में कुल रू0:186.0करोड़ की शासकीय गारन्टी तथा रू0:29.0करोड़ की बैंक गारन्टी हडको को प्रस्तुत की गयी थी जबकि रू0:36.5 करोड़ का ऋण "निगेटिव लियन" के आधार पर स्वीकृत किया गया था। बैंक गारन्टी के आधार पर स्वीकृत अधिकॉश योजनाओं में ऋण एवं ब्याज का प्रतिदान पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप रू0:20.0करोड़ की बैंक गारन्टी अवमुक्त कराई जा चुकी है। शासकीय गारन्टी के आधार पर स्वीकृत योजनाओं के पूर्ण हो जाने अथवा आहरित ऋण एवं ब्याज का पूर्ण प्रतिदान कर दिये जाने के फलस्वरूप लगभग रू0:34.0करोड़ की शासकीय गारन्टी डिस्चार्ज हो चुकी है। अवशेष योजनाओं में हडको ऋण एवं ब्याज का नियमित प्रतिदान किया जा रहा है तथा इसमें किसी प्रकार की कोई वितथि अथवा डिफाल्ट नहीं हुआ है।

वर्ष 1998–1999 में अवस्थापना सुविधाओं एवं बाह्य विकास की योजनाएं तथा आश्रय भवनों के निर्माण हेतु योजनाएं हडको को प्रस्तुत की गयी थी, जिनके लिए हडको द्वारा कुल रू0:77.80 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासन द्वारा इन योजनाओं के लिए शासकीय गारन्टी उपलब्ध न कराये जाने के कारण इन योजनाओं का ऋण आहरित नहीं किया जा सका, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है।

वर्ष 1999–2000 में भूखण्ड विकास एवं अन्य कार्यो की योजनाएं हडको को "लैण्ड मारगेज" के आधार पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल रू0:23.82 करोड़ का ऋण हडको द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत ऋण की प्रतिभूति के रूप में प्राधिकरण द्वारा "लैण्ड बैंक मारगेज" किये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में अधिग्रहीत की गयी लगभग 1350 एकड़ भूमि में से लगभग 700एकड़ भूमि अगले कुछ वर्ष बाद ही उपयोग किये जाने की स्थिति में होगी। भूमि के मूल्यॉकन के आधार पर इस "लैण्ड बैंक" को लगभग रू0:150.00करोड़ के ऋण की प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:

**विभिन्न परियोजनाओं में "लैण्ड मारगेज" के आधार पर हडको से वित्त पोषण प्राप्त करने का अनुमोदन एवं इस हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं प्रस्ताव पारित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाना।**

विषय: **प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य एवं विकास कार्यों के लिए भूमि बन्धक रखकर हडको से ऋण लिए जाने का प्रस्ताव**

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए कार्यशील पूँजी की व्यवस्था किये जाने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं हडको से ऋण लिया जाता है। हडको से ऋण लिए जाने हेतु योजनाओं की स्वीकृति एवं ऋण आहरण के प्रस्ताव पारित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनॉक 25.11.1993 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया था, जिसके क्रम में इन परियोजनाओं की स्वीकृति एवं प्रस्ताव उपाध्यक्ष द्वारा पारित करके परियोजनाएं हडको को प्रस्तुत की जाती रहीं हैं। प्राधिकरण द्वारा संचालित की गयी आवासीय योजनाओं में लगभग 40,000 भवनों के निर्माण एवं लगभग 15,000 भूखण्डों के विकास कार्यो के लिए वित्त पोषण हेतु मार्च,1998 तक कुल 176 योजनाओं के अन्तर्गत रू0:252.00करोड़ का ऋण हडको द्वारा स्वीकृत किया गया है। हडको द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण की प्रतिभूति के रूप में कुल रू0:186.0करोड़ की शासकीय गारन्टी तथा रू0:29.0करोड़ की बैंक गारन्टी हडको को प्रस्तुत की गयी थी जबकि रू0:36.5 करोड़ का ऋण "निगेटिव लियन" के आधार पर स्वीकृत किया गया था। बैंक गारन्टी के आधार पर स्वीकृत अधिकॉश योजनाओं में ऋण एवं ब्याज का प्रतिदान पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप रू0:20.0करोड़ की बैंक गारन्टी अवमुक्त कराई जा चुकी है। शासकीय गारन्टी के आधार पर स्वीकृत योजनाओं के पूर्ण हो जाने अथवा आहरित ऋण एवं ब्याज का पूर्ण प्रतिदान कर दिये जाने के फलस्वरूप लगभग रू0:34.0करोड़ की शासकीय गारन्टी डिस्चार्ज हो चुकी है। अवशेष योजनाओं में हडको ऋण एवं ब्याज का नियमित प्रतिदान किया जा रहा है तथा इसमें किसी प्रकार की कोई वितथि अथवा डिफाल्ट नहीं हुआ है।

वर्ष 1998-1999 में अवस्थापना सुविधाओं एवं बाह्य विकास की योजनाएं तथा आश्रय भवनों के निर्माण हेतु योजनाएं हडको को प्रस्तुत की गयी थी, जिनके लिए हडको द्वारा कुल रू0:77.80 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासन द्वारा इन योजनाओं के लिए शासकीय गारन्टी उपलब्ध न कराये जाने के कारण इन योजनाओं का ऋण आहरित नहीं किया जा सका, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है।

वर्ष 1999-2000 में भूखण्ड विकास एवं अन्य कार्यो की योजनाएं हडको को "लैण्ड मारगेज" के आधार पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल रू0:23.82 करोड़ का ऋण हडको द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत ऋण की प्रतिभूति के रूप में प्राधिकरण द्वारा "लैण्ड बैंक मारगेज" किये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में अधिग्रहीत की गयी लगभग 1350 एकड़ भूमि में से लगभग 700एकड़ भूमि अगले कुछ वर्ष बाद ही उपयोग किये जाने की स्थिति में होगी। भूमि के मूल्यॉकन के आधार पर इस "लैण्ड बैंक" को लगभग रू0:150.00करोड़ के ऋण की प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:

**विभिन्न परियोजनाओं में "लैण्ड मारगेज" के आधार पर हडको से वित्त पोषण प्राप्त करने का अनुमोदन एवं इस हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं प्रस्ताव पारित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को** अधिकृत किया जाना।

विषय :– गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण एवं विकास हेतु निजी वास्तुविद् मैसर्स स्काई लाइन को अनुबन्धित करने के सम्बन्ध में।

माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च लखनऊ के डी॰ओ॰ सं॰ 1048888/2000 दिनांक : 24/02/2000 मा॰ उच्च न्यायालय परिसर में दिनांक : 28/03/2000 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में "ए" प्रकार के 56, "सी" प्रकार के 88 एवं श्रेणी–1 के 96 भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है । टाइप–ए एवं टाइप–सी के आठ–आठ भवनों का निमार्ण भविष्य में किया जा सकता है । इस प्रकार कुल 240 भवनों कि निर्माण लागत एवम् 5.5 एकड़ भूमि की लागत सम्मिलित करते हुए अनुमानित लागत रू॰ 20,94,80,000 का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। विस्तृत आगणन आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किये जाने के उपरान्त वास्तविक धनराशि की गणना की जायेगी।

चूँकि यह परियोजना विशिष्ट प्रकार का है तथा उच्च कोटि का नियोजन वॉछनीय है ताकि माननीय उच्च न्यायालय के अभिलाषा के अनुसार भवन निमार्ण हो सके। अतः माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च के अधिकारियों एवम् स्टाफ हेतु उपरोक्त भवनों के निर्माण हेतु डिजाइनिंग एवम् नियोजन निजी वास्तुविद से कराये जाने का प्रस्ताव है।

शासन द्वारा प्राधिकरण की आवासीय एवम् अन्य योजनाओं के नियोजन एवम् अभिकल्प (डिजाइन) का कार्य प्राइवेट वास्तुविदों से न कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं॰ 2/9–आ–5–92–23डी॰ए॰/91 दिनांक : 22 जनवरी 1992 निर्गत किया गया था। इसी दिशा में मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी आदेश सं॰ ई–5/1495/ग–95–4 (ई–5/95) दिनांक : 31 मई 1995 निर्गत किये गये थे। दोनों ही शासनादेशों कि छायाप्रतियॉ संलग्न हैं।

शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में यह उल्लेख है कि यदि किसी विशिष्ट योजना के लिए बाहरी वास्तुविदों से कार्य करायाजाना आवश्यक समझा जाये तो इसके लिए प्रस्तावों को सम्बन्धित कार्य का विवरण एवम् निर्धारित की गई शर्तो का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्राधिकरण की बैठक में रखा जाना चाहिये और कार्य प्राधिकरण के अनुमोदन से ही कराया जाना चाहिये।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5/3/98 में वास्तुविदों को कार्य देने हेतु पैनल गठन करने का निर्णय लिया गया था, जिसके अर्न्तगत प्रस्तावित पैनल की अवधि 2 बर्ष रखी गई थी जो मार्च 2000 में पूर्ण हो चुकी है। इस पैनल में मेसर्स स्काई लाइन का नाम "बी श्रेणी" के वास्तुविदों में अंकित है ।

उक्त परियोजना हेतु मैसर्स स्काई लाइन द्वारा तैयार किये गये प्रारम्भिक डिजाइन एवम् नियोजन का अनुमोदन माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों द्वारा किया गया है। अतः मैसर्स स्काई लाइन को अनुबंधित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की डिजाइन, ड्राइंग, नियोजन एवम् कन्सल्टेन्सी कार्य हेतु मेसर्स स्काई लाइन को प्रत्येक प्रकार के 10 भवनों की परियोजना लागत का 2 प्रतिशत तथा शेष भवनों हेतु 1.5 प्रतिशत धन राशि भुगतान की जायेगी ।

अतः निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है : –

1. गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड में 5.5एकड़ भूमि स्वीकृत दरों पर माननीय उच्च न्यायालय को भवन निर्माण हेतु दिये जाने की स्वीकृति ।

2. माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए उनके अनुरोध पर "ए" प्रकार के 56, सी–प्रकार के 88 एवं श्रेणी–1 के 96 कुल 240 भवनों का निर्माण डिपाजिट कार्य के रूप में करने की अनुमति।

3. मैसर्स स्काई लाइन से उक्त परियोजना की डिजाइनिंग एवम् नियोजन कराने की स्वीकृति तथा उपरोक्तानुसार फीस भुगतान की अनुमति ।

EXTRACT OF CONDITION OF ENGAGEMENT
THE INDIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS.

5.5 SCHEDULE E



For Housing Schemes, the charge shall be as follows :

(i) For the design and working drawings of each house type the charge is three times the percentage fee listed under schedule D, based on the total cost of the works calculated as if only one structure will be built.

(ii) For the design and working drawings of each type of Block of Apartments the charge is the percentage fee listed in schedule B, based on the total cost of the works calculated as if only one structure will be built.

(iii) For repeating designs and working drawings the charge is a Royalty of ½ percent on the total cost of each additional house or apartment type.

(iv) For the design of site layouts upto 100 acres, the charge is Rs. 500/- per acre. Above 100 acres, the Scale of Fees of the Town Planning Institute shall apply.

(v) For coordinating site works inclusive of roads, water mains, electrical system, sewers, etc. the charge for design, working drawings and supervisions is 2% on the total cost of such works in addition to the fee charged for the Civil, Electrical, Sanitary, Mechanical and other consultants work.

(vi) For the Supervision of structures the fees shall be in accordance with the following schedule.

| | | |
|---|---|---|
| For the first | 10 UNITS | 2 per cent |
| For the next | 90 " | 1½ " |
| For the next | 900 " | 1 " |
| Above | 1000 " | ½ " |

# CONDITIONS OF ENGAGEMENT AND SCALE OF PROFESSIONAL FEES AND CHARGES

## THE INDIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

EXTRACT OF GONDITION OF ENGAGEMENT
THE INDIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS.

5.5 SCHEDULE E



For Housing Schemes, the charge shall be as follows :

(i) For the design and working drawings of each house type the charge is three times the percentage fee listed under schedule D, based on the total cost of the works calculated as if only one structure will be built.

(ii) For the design and working drawings of each type of Block of Apartments the charge is the percentage fee listed in schedule B, based on the total cost of the works calculated as if only one structure will be built.

(iii) For repeating designs and working drawings the charge is a Royalty of ½ percent on the total cost of each additional house or apartment type.

(iv) For the design of site layouts upto 100 acres, the charge is Rs. 500/- per acre. Above 100 acres, the Scale of Fees of the Town Planning Institute shall apply.

(v) For coordinating site works inclusive of roads, water mains, electrical system, sewers, etc. the charge for design, working drawings and supervisions is 2% on the total cost of such works in addition to the fee charged for the Civil, Electrical, Sanitary, Mechanical and other consultants work.

(vi) For the Supervision of structures the fees shall be in accordance with the following schedule.

| | | |
|---|---|---|
| For the first | 10 UNITS | 2 per cent |
| For the next | 90 " | 1½ " |
| For the next | 900 " | 1 " |
| Above | 1000 " | ½ " |

# CONDITIONS OF ENGAGEMENT AND SCALE OF PROFESSIONAL FEES AND CHARGES

THE INDIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

महत्वपूर्ण

सं0-2/9-आ-5-92-623डी0ए0/91

प्रेषक,

श्री रवीन्द्र शंकर माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1- उपाध्यक्ष,
झमहत विकास प्राधिकरण,
उत्तरप्रदेश ।

2- अध्यक्ष,
तमहत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 ।

आवास अनुभाग -5.

लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 92,

विषय:- प्राधिकरण की आवासीय एवं अन्य योजनाओं के नियोजन एवं अभिकल्प (डिजाइन) का कार्य प्राइवेट वास्तुविदों से न कराया जाना

महोदय,

शासन के संज्ञान में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें कतिपय विकास - प्राधिकरणों ने बड़े पैमाने पर आवासीय एवं अन्य योजनाओं के नियोजन और डिजाइन का कार्य प्राइवेट वास्तुविदों से कराया है । यही नहीं यह कार्य लागत के निर्धारित प्रतिशत के आधार पर कराया गया है जबकि बहुत सी इमारतें बिल्कुल एक सी ही हैं और किसी तरह की डिजाइन के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी ।

2- यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर बाहरी वास्तुविदों से डिजाइन कराये जाने पर सिद्धान्ततः आपत्ति नहीं होनी चाहिये परन्तु यह कार्य इतने बड़े पैमाने पर किया जाना , जबकि इसके लिये प्राधिकरण में स्टाफ उपलब्ध है, आपत्तिजनक प्रतीत होता है । अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरणों की योजनाओं के नियोजन एवं अभिकल्प का कार्य यदि उसमें कोई विशिष्ट प्रकृति का कार्य निहित न हो तो सामान्यतः प्राधिकरण के स्टाफ के माध्यम से ही कराया जाना चाहिये । फिर भी यदि किसी विशिष्ट योजना के लिये बाहरी वास्तुविदों से कार्य कराया जाना आवश्यक समझा जाय तो इसके लिये प्रस्तावों को संबंधित कार्य के वि एवं निर्धारित की गयी शर्तों आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्राधिकरण की बैठक में रखा जाना चाहिये और कार्य प्राधिकरण के अनुमोदन से ही

---2--

मुख्य वाचा एवम् नगर निर्माण

-----2-----

जाना चाहिये । उचित होगा कि संबंधित प्राधिकरण इस बारे में एक विस्तृत प्रक्रिया भी निर्धारित कर लें जिसमें यह उल्लेख हो कि किन परिस्थितियों में कार्य प्राइवेट वास्तुविदों से कराया जायगा, किस तरह की इमारतों का कार्य इनसे कराया जायेगा तथा ऐसा कार्य कराये जाने की क्या शर्तें आदि होगी । साथ ही ऐसी दशा में जबकि प्राइवेट वास्तुविदों से कार्य कराया जाना प्रस्तावित हो तो उनके चयन की भी स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिये और यह चयन भी उच्चतम स्तर पर ही किया जाना चाहिये क्योंकि जिन प्रकरणों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें यह भी पाया गया कि प्राइवेट वास्तुविदों के चयन की भी कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई ।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय,

। रवीन्द्र शंकर माथुर ।
प्रमुख सचिव ।

संख्या:2111/9-आ-5-92-623डी0ए/92 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि आवास विभाग के समस्त अधिकारियों/अनुभागों को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

। एस0 के0 बनर्जी ।
संयुक्त सचिव,

मुख्य सचिव।

शासकीय पत्र सं० E-5/1445/X-15
4(E-5)/15

मुख्य सचिव शाखा,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 1995

प्रिय

पृष्ठ संख्या: 08

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों द्वारा शासकीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु निजी वास्तुविदों की सेवायें ली गयीं। यह उल्लेखनीय है कि यह निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग एवं राजकीय निर्माण-निगम जैसी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे थे जिनके पास स्वयं का वास्तुविद से सम्बन्धित पूरा ढांचा उपलब्ध है। यही नहीं सामान्य तौर पर निर्माण कार्य एक मानक नक्शे के अनुसार कराया जाता है, इस लिए प्रत्येक भवन के लिए एक वास्तुविद रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

२- इस प्रकरण पर गहनतापूर्वक विचार किया गया है और मा० मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों द्वारा भवनों के निर्माण के लिए निजी वास्तुविदों की सेवायें लेने का कोई औचित्य नहीं है। यदि किसी प्रकरण में मानक निर्धारण हेतु अथवा विशिष्ट प्रकृति के भवन निर्माण के कारण वास्तुविदों की सेवाओं की आवश्यकता प्रतीत होती है तो सर्वप्रथम यह प्रयास किया जाना चाहिए कि लोक निर्माण विभाग अथवा राजकीय निर्माण निगम इत्यादि में उपलब्ध वास्तुविद संगठन से कार्य कराया जाय। यदि किसी कारण से लोक निर्माण विभाग अथवा राजकीय निर्माण निगम इत्यादि उपरोक्त सेवायें देने में समर्थ न हों तब उसी दशा में पर्याप्त औचित्य प्रदर्शित करते हुए वित्त विभाग की सहमति से निजी वास्तुविदों की सेवायें ली जा सकती हैं। इसके लिए निर्धारित शासकीय क्रय प्रक्रिया का पालन भी अनिवार्य होगा। यदि इस सम्बन्ध में वास्तुविदों की सेवाओं के कोई आदेश पारित किए गये हों तो तत्काल निरस्त किए जायें।

३- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए अपने अधीनस्थ सम्बन्धित कार्यालयों को भी आवश्यक निर्देश दे दें।

भवदीय,

31.5.95

(मृजेन्द्र सहाय)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

5.3.92



यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बैलेन्स-शीट को शीघ्र ही निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग एवं तदुपरान्त महालेखाकार आडिट को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : ५

विकास प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन के कार्यों में प्राइवेट वास्तुविदों की भागीदारी।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये-

१. नगर नियोजक/वास्तुविदों के प्रस्तावित पैनल का अनुमोदन दो वर्ष की अवधि के लिये किया गया।

२. हरदोई रोड योजना, सीतापुर रोड योजना एवं अनुपूरक विषय संख्या १० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रयाग नारायण रोड योजना के नियोजन हेतु चयनित आर्कीटेक्ट के पैनल से आर्कीटेक्ट का चयन कर कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

३. भविष्य में किसी परियोजना हेतु निजी वास्तुविद से कार्य कराये जाने की आवश्यकता होने पर परियोजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर, निजी वास्तुविद से कार्य कराये जाने की आवश्यकता का अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया जाये। तदुपरान्त वास्तुविद का चयन उपर्युक्त पैनल से उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा नियमानुसार किया जा सकेगा।

४. आर्कीटेक्ट को भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन के अनुपात में ही आर्किटेक्ट को चरणबद्ध रूप से भुगतान किया जाये।

५. अन्य दायित्व एवं कन्डीशन्स हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें सम्बन्ध नियोजक, ज.अ. एक सदस्य होंगे तथा अन्य सदस्यों का मनोनयन उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं किया जायेगा।

अनुपूरक विषय संख्याः 3 पृष्ठ संख्याः 10

विकास प्राधिकरण की गत् बैठक दिनांकः 22 जनवरी, 2000 में बिषय संख्या–25 पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में समिति की बैठक दिनांकः 28.4.2000 , 2.5.2000 , 8.5.2000 तथा 22.5.2000 को आयोजित की गई । परिक्षण उपरान्त संलग्न सूँची के अनुसार बिषयों के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई ।

स्वैच्छिक शमन योजना–98 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा स्वीकृत प्रकरणों (जो शासन को सन्दर्भित किये जाने हैं) की सूची:–

| क्रम सं0 | पक्ष का नाम | स्थल का पता |
|---|---|---|
| 1. | के0के0नागर | 1/33, विनय खण्ड, गोमती नगर । |
| 2. | नरेश चन्द्र गुप्ता | 1/1030, विशाल खण्ड, गोमती नगर |
| 3. | सुलोचना लाडवानी | 5/27, विशाल खण्ड, गोमती नगर |
| 4. | सुबोध चौधरी | 2/1, विनय खण्ड, गोमती नगर |
| 5. | अर्चना मेहरोत्रा | 4/2, विराम खण्ड, गोमती नगर |
| 6. | सुलोचना | 2/242, विशाल खण्ड, गोमती नगर |
| 7. | विजय कुमार तिवारी | 3/12, विजय खण्ड, गोमती नगर |
| 8. | मनोज कुमार | 1/677, विशाल खण्ड, गोमती नगर |
| 9. | राम अचल शुक्ला | 2/16, विराम खण्ड, गोमती नगर |
| 10. | चन्द्र प्रकाश | 5/29, विराम खण्ड, गोमती नगर |
| 11. | शकुन प्रकाश | 1/10, विवेक खण्ड, गोमती नगर |
| 12. | एन0के0भाटिया | 1/73, विजय खण्ड, गोमती नगर |
| 13. | सुभाष चन्द्र गर्ग | 3/34, विराम खण्ड, गोमती नगर |
| 14. | सुधीर मिश्रा | 1/6, विराम खण्ड, गोमती नगर |
| 15. | राम चन्द्र हेमकर | 5/1259, विराम खण्ड, गोमती नगर |
| 16. | ललित कुमार सिंह | 2/340, विकास खण्ड, गोमती नगर |
| 17. | राम प्रकाश साहू | 2/22, विवेक खण्ड, गोमती नगर |
| 18. | ए0 एस0 खान | 3/198, विवेक खण्ड, गोमती नगर |
| 19. | सुशीला देवी | 4/39, विराम खण्ड, गोमती नगर |
| 20. | डा0 अतुल अग्रवाल | 2257, विजय खण्ड, गोमती नगर |
| 21. | उपसग गोयल | 5/37, विनय खण्ड, गोमती नगर |
| 22. | सविता मेहरोत्रा जलोटे | 4/486, विवेक खण्ड, गोमती नगर |
| 23. | संजीव कुमार गुरूनानी | 22469, विवेक खण्ड, गोमती नगर |
| 24. | डा0 विजय कुमार पुरी | 1/24, से0–ए, अलीगंज |
| 25. | अनिल कुमार गुप्ता | बी–1/73, से0–के, अलीगंज |
| 26. | बी0पी0खन्ना व अन्य | बी–1/18, से0–के, अलीगंज |
| 27. | कमल नारायन | 1/10, से0–ए, सीतापुर रोड योजना |
| 28. | सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव | 2/301, से0–एफ, सीतापुर रोड योजना |
| 29. | फहीम अब्बासी | 1/251, से0–जी, सीतापुर रोड योजना |
| 30. | चन्द्र भानु गुप्ता | 205–सी, महानगर |
| 31. | आर0के0वशिष्ठ | बी–49, मन्दिर मार्ग, महानगर |
| 32. | प्रभाकर त्रिपाठी | 1/6, महानगर विस्तार |

दिनांक: 2.5.2000, 8.5.2000 तथा 22.5.2000 को स्वैच्छिक शमन योजना 1998 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा स्वीकृत प्रकरणों (जो शासन को सन्दर्भित किये जाने हैं) की सूँची।

| क्र.सं0 | पक्ष का नाम | स्थल का पता |
|---|---|---|
| 33. | श्रीमती हरजीत कौर | सी–10/डी कानपुर रोड़ योजना। |
| 34. | श्रीमती रमा श्रीवास्तव | एल–11/96 सेक्टर–जी ,, |
| 35. | श्री अतुल कुमार गुप्ता | एम,एम./571/डी ,, ,, |
| 36. | श्रीमती स्नेहलता | एल–29/डी ,, ,, |
| 37. | श्री सुनील कुमार शुक्ला | ई–738/2 ,, ,, |
| 38. | श्री राजकुमार | एल–11/345 जी का.रो.यो. |
| 39. | श्री अशोक कुमार सचदेव | एच–39 सेक्टर–जी, का0 रो0 यो. |
| 40. | श्री छविनाथ दुबे | ई–2/7 सेक्टर एच, का0 रो0 यो. |
| 41. | श्रीमती लखविन्दर कौर | 264/डी का. रो. यो. |
| 42. | श्री सुरेन्द्र कुमार | एम.डी–25 सेक्टर जी, का0 रो0 यो0, |
| 43. | श्री चन्द्र शेखर | सी–34 सेक्टर–एफ,का0रो0यो0। |
| 44. | श्रीमती रुकमणी देवी | एल–11/120 सेक्टर–जी, का.रो.यो.। |
| 45. | श्री राजेश कुमार गुप्ता | एम0आई0जी0–780 सो0एन0–आथियाना, |
| 46. | श्रीमती शाहीन वानू | ई–281/एम सेक्टर–आई, का.रो.यो.। |
| 47. | श्रीमती पुष्पा दिक्षित | सी–1/360 सेक्टर–एच, का.रो.यो.। |
| 48. | श्री लोहरी लाल | एम.डी.एस.–1 सेक्टर–जी, का.रो.यो.। |
| 49. | श्री ऋषि कुमार पाल | ई–287/एफ, का0 रो0 यो0। |
| 50. | श्री राम प्रताप शर्मा | डी.एस./438 सेक्टर–एच का.रो.यो.। |
| 51. | श्री कालेश्वर सिंह | एम.डी.–42 सेक्टर–डी का.रो. यो.। |
| 52. | श्री दीपक | एस.एस/1897 सेक्टर–एच का. रो. यो. |
| 53. | श्री धीरज कपूर | एम.डी.एस–79, सेक्टयर–जी का0 रो0 |
| 54. | श्रीमती विश्ना देवी | एल–11/214 सेक्टर–जी का.रो.. |
| 55. | श्री प्रवीण कुमार तिवारी | सी–30 सेक्टर–एफ का.रो.यो.। |
| 56. | श्री रवीन्द्र कुमार भाटिया | एम.डी.–1/310 का0 रो0 यो0। |
| 57. | श्री प्रदीप कुमार गुप्ता | ई–1/328 सेक्टर–एच का. रो. यो.। |
| 58. | श्री अशोक कुमार गुप्ता | एम./307 सेक्टर–डी–1 का. रो. यो.। |
| 59. | श्रीमती सीमा सिंह | एम–3/458 सेक्टर–एच, का0 रो0 यो.। |
| 60. | श्री अनिल कुमार तिवारी | एम0डी0–1/379 सेक्टर–डी–1 का0 रो0 |

| | | |
|---|---|---|
| 61. | श्री गनपति राग | बी–112 सेक्टर–डी का0 रो0 यो0, |
| 62. | श्रीमती सीमा अरोड़ा | एम–3/461/एच का. रो. यो., |
| 63. | श्री दिलीप कुमार | एल–181 सेक्टर–एल, का0 रो0 यो0। |
| 64. | श्रीमती कुसुम मिश्रा | सी–27 सेक्टर–एफ का0 रो0 यो0, |
| 65. | श्रीमती मनोरमा शाह | एम–3/891 सेक्टर–एच का0 रो0 यो0, |
| 66. | श्री चन्द्रभान शर्मा | सी–38 सेक्टर–डी का0 रो0 यो0, |
| 67. | श्री विद्यासागर गुलाटी | एल.आई.जी–1533 सेक्टर–आई,का.रो |
| 68. | श्री एन0 एम0 सरकार | एम.डी.–1/19 सेक्टर–डी–1 का.रो. |
| 69. | श्री उत्तमजीत कौर | बी–1/6 सेक्टर–डी का0 रो0 यो0। |
| 70. | श्रीमती अजीत कौर | डी–78 सेक्टर–डी–1 का0 रो0 यो0। |
| 71. | श्री आत्मजीत कौर | डी–255 सेक्टर–डी का0 रो0 यो0। |
| 72. | श्री देसराज सिंह | एमडी–31 सेक्टर–जी। |
| 73. | श्री दीना सिंह | एस.एस./1923 सेक्टर–एच का0 रो0 यो0 |
| 74. | श्रीमती मनोरमा देवी | एस.एस.928,सेक्टर–एच का0 रो0 यो0, |
| 75. | श्री नन्द लाल | ई–3/835 सेक्टर– का0 रो0 यो0, |
| 76. | श्रीमती अनीता मिश्रा | एल0डी0–1 सेक्टर–डी, का0 रो0 यो. |
| 77. | श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, | डी–113 का0 रो0 योजना, |
| 78. | श्री भगौती प्रसाद | एल–।।/220 सेक्टर–डी, का0 रो0 यो0, |
| 79. | श्रीमती विमला देवी | ई.डी–1/181 सेक्टर–डी–1 का0 रो0, |
| 80. | श्रीमती रमा यादव | ई–752 सेक्टर–आई, का0 रो0 यो0, |
| 81. | श्रीमती संध्या सिन्हा | सी–39 सेक्टर–एफ, का0 रो0 यो0, |
| 82. | श्रीमती अंजू | एसएस/911 सेक्टर–एच, का0 रो0 यो0, |
| 83. | श्रीमती सविता | एसएस–1258 सेक्टर–एच, का0 रो0 |
| 84. | श्री राजेन्द्र सिंह | एसएस/1898 सेक्टर–एच, का0 रो0 यो0, |
| 85. | श्री राजकुमार व अन्य | एम–687 सेक्टर–एफ का0 रो0 यो, |
| 86. | श्री सुन्दर लाल | सी–22, सेक्टर–एफ का0 रो0 यो0, |
| 87. | श्री रामायण सिंह | ई–3/831 सेक्टर–एच. का0 रो0 यो0 |
| 88. | श्री एस0 डी0 शर्मा | एन–598 आशियाना का0 रो0, |
| 89. | श्री राजेन्द्र कुमार कन्धारी | एल–[J/20 सेक्टर–एफ का0 रो0 यो., |
| 90. | श्री रामसजीवन | एस/1255 सेक्टर–एच, का0 रो0 यो0 |

**विषयः** **यू०पी०आई०एल० कैम्पस ऐशबाग, लखनऊ में विधायक आवासीय योजना हेतु डी०ए०वी० कालेज के सामने ऐशबाग रोड पर स्थिति ३०००व०मी० की भूमि के भू-प्रयोग को आवासीय (आर-३) से व्यवसायिक, वाणिज्यिक, खण्डीय विपणन केन्द्र में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में,**

शासन के पत्र सं०२२८३/९-आ-१-२००० दि०२०.५.२००० द्वारा यू० पी० आई० एल० कैम्पस ऐशबाग रोड लखनऊ में विधायक आवास योजना के लिये खसरा सं०१७ भ, ग्राम दुगॉवा, लखनऊ शहर डी०ए०वी० कालेज के सामने ऐशबाग रोड पर स्थिति ३०००व०मी० भूमि का भू-प्रयोग आवासीय (आर-३) को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण को अनापत्ति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । स्थल पर नाका हिंडोला चौराहे से रेलवे ओवरब्रिज तक लगभग १००मी० के लंबाई में मार्ग के दोनो ओर ४.५मी० से ९मी० तक की गहराई में व्यवसायिक गतिविधियॉ चल रही हैं । अतः शासन को उर्पयुक्त प्रस्ताव पर अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

C.P.

विषय:– **मोहम्मद आरिफ, अवर वर्ग सहायक की पत्नी की किडनी कैंसर रोग की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।**

मोहम्मद आरिफ, अवर वर्ग सहायक की पत्नी की किडनी कैंसर रोग की चिकित्सा संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में वर्ष 1994 में चल रही थी, जहाँ चिकित्सा के दौरान ही दिनांक 02.08.99 को उनका आकस्मिक निधन हो गया। मोहम्मद आरिफ की पत्नी की चिकित्सा एवं आपरेशन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के मद में अब तक कुल रुपया:37,072.24 पैसे का भुगतान किया जा चुका है। अचानक तबियत खराब होने के कारण दिनांक 29.07.99 को इन्होंने अपनी पत्नी को संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में पुन: भर्ती कराया,जहाँ अल्पकाल में ही दो आपरेशन हुए परन्तु इनकी पत्नी का दिनांक 02.08.99 को निधन हो गया। चिकित्सा के दौरान हुए व्यय रुपया:40,644.00 मात्र की प्रतिपूर्ति मूल बाउचर्स विभागीय चिकित्सक डा0 बोगरा द्वारा सत्यापित किये गये हैं।

चूँकि मोहम्मद आरिफ, अवर वर्ग सहायक की पत्नी की चिकित्सा नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा मान्य चिकित्सा संस्थान संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में करायी गयी है तथा इनकी पत्नी गम्भीर किडनी कैंसर रोग से पीड़ित थी और अन्तत: उनका निधन भी हो गया है। अतएव इनकी चिकित्सा पर हुए व्यय रुपया: 40,644.00 (रुपया:चालीस हजार छह सौ चौवालिस) मात्र की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकारार्थ प्रस्तुत है।

विषय :– गौतम बुद्ध मार्ग स्थित पुराने आर0टी0ओ0 पर ट्रू टियर पार्किंग का निर्माण ।

लखनऊ नगर के मध्य केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र अमीनाबाद, लाटूश रोड, गौतम बुद्ध मार्ग पर कोई पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण आने वाले नागरिकों के वाहन मार्गो के दोनों ओर पार्क किये जाने के कारण सड़क के सामान्य यातायात में बाधा उत्पन्न होती है । इस क्षेत्र में नगर निगम व लखनऊ विकास प्राधिकरण की ऐसी कोई रिक्त भूमि नही है, जिससे नागरिकों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, अतः अनेकों वर्षों की पार्किंग व्यवस्था की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एक पब्लिक पार्किंग का निर्माण अपरिहार्य हो गया है । लाटूश रोड पर पुराने आर0टी0ओ0 काम्पलेक्स की भूमि हेतु कुछ अंश पर तलपट मानचित्र में संशोधन करते हुए पार्किंग स्थल का नियोजन किया गया है । इस स्थल पर प्राधिकरण द्वारा भूमिगत एवं भूतल (दो तलों में) वाहन पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है । तलपट मानचित्र में 1286.0 वर्गमी0 भूमि पार्किंग हेतु नियोजित की गयी है ।

अतः प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है :

1. पुराने आर0टी0ओ0 काम्पलेक्स के ले–आऊट में प्रस्तावित स्थल पर भूमिगत एवं ग्राउण्ड फ्लोर पर प्राधिकरण द्वारा पार्किंग निर्माण करने की अनुमति ।

विषयः. श्री डी0सी0मिश्र को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित "अ" श्रेणी के अर्द्धनिर्मित भवन सं0 ए.4/59 के स्थान पर गोमती नगर योजना में ही भूखण्ड परिवर्तित / समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

प्रस्तावः.

श्री डी0सी0मिश्र को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में "अ" श्रेणी का अर्द्धनिर्मित भवन सं0 ए.4/59 आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भवन के स्थान पर गोमती नगर योजना के किसी भी खण्ड में 3200 वर्ग फुट के भूखण्ड को परिवर्तित/ समायोजित किये जाने हेतु प्रार्थना.पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान सन्दर्भ में गोमती नगर योजना के फेज.2 में ही भूखण्ड का परिवर्तन/ समायोजन हो सकता है। चूँकि यह प्रस्ताव भवन सें भूखण्ड का है, जिसका अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए श्री डी0सी0मिश्र को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित "अ" श्रेणी के अर्द्ध निर्मित भवन सं0 ए.4/59 के स्थान पर गोमती नगर योजना फेज.2 में भूखण्ड सं0 बी.3/175 विक्रान्त खण्ड प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दि028.04.99 द्वारा परिवर्तित/[illegible] कर दिया गया है।

अतः कृपया प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव(एस.)

विषय:– **अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक यदि किसी भी क्षेत्र में (खेल/कला) में सर्वोत्तम राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है, तो उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप एक आवासीय भूखण्ड, आवासीय भूमि की दर की 50 प्रतिशत दर पर दिये जाने हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.3.87 में विषय संख्या–6 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था। उपरोक्त बैठक में रखा गया विषय तथा लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है (संलग्नक–1 व 2) ।

2. उपरोक्त सुविधा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.12.90 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत समाप्त कर दी गयी। प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है(संलग्नक–3 व 4) ।

3. श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय द्वारा वर्ष 1999 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया गया है। इससे पूर्व सेन्ट्रल जोन की टीम का नेतृत्व भी श्री पाण्डेय द्वारा किया जा चुका है। श्री पाण्डेय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित लखनऊ विकास प्राधिकरण स्पोर्टस स्टेडियम में खेलो के संचालन के लिये गठित की गयी समिति के सदस्य भी हैं। श्री पाण्डेय के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रत्यावेदन आवासीय भूखण्ड आवंटित करने हेतु दिये जाते रहे हैं। अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण की बैठक दिकनांक 28.3.87 में लिये गये निर्णय को पुनः बहाल कर दिया जाय तथा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाय ।

———0———

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28 मार्च, 1987

विषय संख्या: 6

विषय: अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्पियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधे दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक यदि किसी भी क्षेत्र (खेल/कला) में सर्वोत्तम राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है तो उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप एक आवासीय भूखण्ड आधी दर पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । पूर्व में विकास प्राधिकरण द्वारा श्री विशाल मोटी (बैडमिन्टन) तथा श्री गोपाल शर्मा (क्रिकेट) को आधी दर पर आवासीय भूखण्ड देने का निर्णय लिया गया था ।

इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रार्थनापत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनके निस्तारण के लिये एक नीति निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता है । अतः निम्नांकित प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है :-

चयन समिति:

ऐसे प्रार्थनापत्रों पर निर्णय लेने हेतु एक चयन समिति का गठन किया जाय जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण के दो गैर सरकारी सदस्य, सदस्य होंगे ।

उक्त चयन समिति द्वारा प्रार्थनापत्रों पर निर्णय लेने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं: जैसा से ही व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे:-

(1) जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल एवं कला में एक कीर्तिमान स्थापित किया हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हो ।

(2) खेल जगत में इनवेस्टीगेशन (अन्वेषण/खोज) एवं साहित्यिक कार्य भी सम्मिलित होंगे ।

(3) फलक का तात्पर्य संगीत, नृत्य एवं चित्रकला, शिल्प कला एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से होगा ।

(4) इस योजना में आवंटित भूखण्डों का मूल्य पाँच वर्षों में देय होगा ।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति को इस योजना का पात्रता नहीं होगी जिसके पास पहले से ही लखनऊ में कोई भवन/भूखण्ड हो अथवा किसी अन्य नगर में उसे ऐसी ही किसी प्रोत्साहन योजना के अधीन भूखण्ड आदि रियायती दर पर पूर्व में आवंटित किया जा चुका हो ।

(6) चयन समिति इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों पर विचार करने के साथ-साथ स्वतः अपने स्तर से भी यथोचित कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगी ।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
28 मार्च, 1987 का कार्यवृत्त

उपस्थित:

| | | |
|---|---|---|
| 1- | श्री बृजेश कुमार | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 2- | श्री अखण्ड प्रताप सिंह | सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग, लखनऊ । |
| 3- | श्री नरेश दयाल | जिलाधिकारी, लखनऊ । |
| 4- | श्री गोविन्दन नायर | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 5- | श्री कुंवर फतेह बहादुर | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग । |
| 6- | श्री जे० पी० भार्गव | मुख्य नगर एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश के स्थान पर । |
| 7- | श्री डी० पी० सिंहाल | मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम । |
| 8- | डा० वी०एन०खान्ना | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ । |
| 9- | श्री राम नगीना सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ । |
| 10- | श्रीमती उमा त्रिपाठी | सदस्या, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ । |

x=x=x=x=x=x=x=x

अन्य उपस्थित:

| | |
|---|---|
| श्री शैलेश कृष्ण | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ । |

x=x=x=x=x=x=x=x

| | |
|---|---|
| विषय संख्या: 1 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण । |
| निर्णय : | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया । |
| विषय संख्या: 2 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 की अनुपालन आख्या । |
| निर्णय : | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-12-1986 की अनुपालन आख्या के क्रम संख्या: 4, विषय संख्या: 8 जो श्री जीवेन्द्र-नाथ कौल के सम्बन्ध में है, में यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लेंगे । इसके अतिरिक्त अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया । |

क्रमशः ——— 2

अनु.विषय संख्याः १ गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवा के भू-प्रयोग को संस्थानों हेतु आवासीय भू-प्रयोग में परिवर्तित करने हेतु।

निर्णय : स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनरीक्षित करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अनु.विषय संख्याः २ कानपुर रोड सेक्टर "आई" स्थित भूखण्ड संख्या ए-१०९२/आई को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : वर्तमान में मेजर संजय सिंह कारगिल में नियुक्त है, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि इसे भविष्य के लिये दृष्टान्त न बनाया जाये।

अनु.विषय संख्याः ३ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव वापस लिया गया।

अनु.विषय संख्याः ४ भारत - पाक युध्द के दौरान कारगिल में शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय की माता के नाम आवन्टित भवन के निबन्धन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय की पूज्यनीय माता जी श्रीमती बृजमोहनी पान्डेय के नाम गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में आवन्टित ई.डब्लू.एस. भवन संख्या : १/७९०(एफ) के विरुध्द उनके द्वारा जमा धनराशि को समायोजित कर अवशेष तथा अन्य देय धनराशि को माफ़ करते हुए भवन की रजिस्ट्री श्रीमती बृजमोहनी पान्डेय के नाम कर दी जाये। रजिस्ट्री का व्यय भी प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाये।

अनु.विषय संख्याः ५ श्रीमती जोरेन सिंह को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-५ में आवन्टित भवन संख्या ५/२३२ एम.आई.जी. के विरुध्द आरोपित दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि आरोपित किये गये ब्याज की ५० प्रतिशत धनराशि उपाध्यक्ष द्वारा माफ़ की जा चुकी है। उसके अतिरिक्त २५ प्रतिशत ब्याज और माफ़ कर दिया जाये।

विषयः श्री आर0डी0 शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को कानपुर रोड योजना में आवंटित दुकान के स्थान पर महानगर याजना गोल मार्केट में व्यवसायिक भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन।

श्री आर0डी0 शर्मा, सहायक अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को कानपुर रोडयोजना में सार्वजनिक लाटरी दिनांक 15.9.88 द्वारा दुकान संख्याः बी–71 सेक्टर डी आवंटित की गई थी। श्री शर्मा ने दुकान हेतु पूर्व में पंजीकरण रु0 5000/= का कराया था तथा आवंटन के पश्चात दुकान की चार किश्ते रुपयाः 9,975/= प्रत्येक किश्त की दर से जमा कर दिया। श्री शर्मा ने दुकान की अन्तिम गणना अनुसार देय धनराशि रु0 4,432/= भी समय से दिनांक 31.8.91 को जमा कर दिया, तत्पश्चात् यह प्रार्थना किया कि वे निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले है तथा चूँकि निशातगंज क्षेत्र में रहते है, अतः उसके निकट महानगर गृह योजना के गोल मार्केट में दुकान संख्याः 69 व 70 के बगल में रिक्त भूमि परिवर्तन के आधार पर आवंटित कर दी जायें। ताकि यह अवकाश प्राप्ति के वाद घर से नजदीक अपना व्यवसाय कर सकें। श्री शर्मा को तत्कालीन उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 13.3.95 द्वारा बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्यशा में महानगर गोल मार्केट में दुकान संख्याः 69 व 70 के निकट उपलब्ध 200 वर्ग फुट भूमि आवंटित कर दी गई, जिसकी रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही किया जाना है, श्री आर0डी0 शर्मा सहायक अभियंता के पद से सेवा निवृत्त हो चुका है, यह उक्त भूमि की रजिस्ट्री किये जाने का अनुरोध कर रहे हैं। जहाँ तक दुकान से व्यवसायिक भूखण्ड के उपरान्त मूल्य निर्धारित किये जाने का प्रश्न है, नई गणना पद्वति के अनुसार गोल मार्केट, महानगर में आवंटित भूखण्ड के मूल्य का आंकलन वर्तमान दर परकिया जायेगा तथा श्री शर्मा, सहायक अभियंता द्वारा जमा धनराशि पर एन.पी.वी. के अर्न्तगत व्याज का निर्धारण करके, अन्तर धनराशि ली जायेगी।

चूँकि मूल रुप में श्री आर0डी0 शर्मा, को व्यवसायिक दुकान ही आवंटित थी और उसके भूमि में व्यवसायिक भूमि की रजिस्ट्री की जानी है। बोर्ड कृपया उक्त परिवर्तन को स्वीकार करने की कृपा करें, ताकि रजिस्ट्री आदि की कार्यवाही की जा सके।

विषय:– **गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भवन संख्या:बी–2/195 विराट खण्ड में लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।**

—

श्रीमती मीनू बालिया को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में "ब"–प्रकार का भवन संख्या–2/195 आवंटित है। श्रीमती मीनू बालिया द्वारा किश्तों का भुगतान समय से नहीं किया गया जिस कारण दण्ड ब्याज लगाया गया था। श्रीमती बालिया द्वारा पूर्व में दिये गये प्रार्थना–पत्र पर विचार करते हुए तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 28.11.97 को दण्ड ब्याज की धनराशि का 50 प्रतिशत रुपया:83,459.25 पैसे माफ किया जा चुका है। श्रीमती बालिया द्वारा उसके पश्चात् भी अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। श्रीमती बालिया द्वारा पूर्व में जो प्रार्थना–पत्र दिया गया था, उसके सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.01.2000 को प्रश्नगत प्रकरण विषय संख्या–19 पर दण्ड ब्याज की धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में रखा गया था। प्रश्नगत प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण विचारार्थ है। शासनादेश/नीति प्राप्त होने के उपरान्त इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किया जाय। शासन से जो शासनादेश प्राप्त हुआ, उसके अनुसार ओ0टी0एस0 के तहत् श्रीमती बालिया को आवंटित भवन की गणना की गयी ⟪अनुलग्नक–"क"⟫ संलग्न है। प्रश्नगत गणना से श्रीमती बालिया सन्तुष्ट नहीं थीं, तद्नुसार आवंटन विनियमावली के अनुसार गणना करायी गयी। इस गणना के अनुसार यदि भुगतान तिथि दिनांक 30.06.2000 मानी जाय, तो ब्याज की धनराशि रुपया:2,59,148.96 पैसे आती है, जिसे उनके द्वारा माफ किये जाने की प्रार्थना की है। चूँकि पूर्व में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 50 प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ किया जा चुका है तथा अवशेष दण्ड ब्याज माफ किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनु॰वि॰सं॰ 11

पृष्ठ संख्या : 24

विषयः- <u>श्रीमती प्रेमलता को आवंटित भूखण्ड संख्या ए–1/35 सेक्टर–आई के सम्बन्ध में।</u>

श्रीमती प्रेमलता निगम को वर्ष 1993 में सीतापुर रोड योजना के फेस–3 में गीत बिहार सरकारी आवास समिति को प्राधिकरण द्वारा दी गयी योजना में भूखण्ड का आवंटन किया गया था। गीत विहार समिति को 304 भूखण्ड 200 वर्गमीटर के आवंटन हेतु दिये गये थे, परन्तु अभी तक विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को उक्त भूखण्डों का नम्बरयुक्त प्लान नहीं उपलब्ध कराया जा सका है क्योंकि अभी मौके पर विकास कार्य नहीं हुआ है। अतः श्रीमती प्रेमलता निगम को उनके निवेदन पर सीतापुर रोड योजना में भूखण्ड संख्या ए–1/35 सेक्टर आई पर वर्ष 1999 में समायोजन कर दिया गया था परन्तु वहां पर भी लखनऊ तहसील एवं मलिहाबाद तहसील के मध्य सीमा विवाद के कारण मौके पर विकास कार्य नहीं हो सका है। जिसके कारण उक्त भूखण्ड का कब्जा तत्काल दिया जा पाना सम्भव नहीं है ।

अतः श्रीमती निगम द्वारा उक्त भूखण्ड के बदले गोमती नगर योजना के किसी विकसित खण्ड में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि वर्तमान में एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड परिवर्तन करने का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है अतएव श्रीमती निगम को आवंटित भूखण्ड संख्या ए–1/35 सेक्टर आई जानकीपुरम के स्थान पर गोमती नगर योजना के अन्तर्गत किसी विकसित खण्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 22–1–2000 को विषय संख्या 20 द्वारा प्रस्तुत किया गया । बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार श्रीमती निगम को पत्र भेज कर बुलाया गया परन्तु वह उपस्थित नहीं हुई। श्रीमती निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार उक्त आवंटन के सापेक्ष्य रूपया 21,250/– (इक्कीस हजार दो सौ पचास रूपया मात्र) जमा किया गया है। श्रीमती निगम को जमा धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देते हुए वर्तमान दर पर गोमती नगर योजना के किसी विकसित खण्ड में समायोजन किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(के0 के0 सिंह)
सहायक सम्पत्ति अधिकारी

अनु.वि.सं. 12 पृष्ठ सं. 25

विषयः अलीगंज योजना के सेक्टर 'जी' के अर्न्तगत पुराने हनुमान मंदिर के पास पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में,

अलीगंज योजना के सेक्टर 'जी' (व्यवसायिक) के अर्न्तगत स्थिति पुराने हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार के एक ओर पार्क का प्राविधान किया गया है तथा दूसरी ओर व्यवसायिक भूखण्ड स्थित है । श्री विजय शंकर बाजपेई सदस्य, वि०प्रा० लखनऊ ने अपने पत्र दि०११.४.२००० द्वारा यह अनुरोध किया है कि चूंकि उक्त मंदिर एतिहासिक है एवं नगर वासियो की भावनाओं से जुडा है , अतः इस गेट के दोनो ओर छोटे छोटे दो पार्को के स्थान रिक्त रखने की व्यवस्था की जायें ।

अलीगंज योजना का सेक्टर 'जी', जो व्यवसायिक है, के पूर्व में तैयार किये गये तलपटमानचित्र में प्रश्नगत स्थल पर व्यवसायिक ब्लाक नं०१ (दो तलो हेतु) तथा ब्लाक सं०८ (तीन तलो हेतु) नियोजित किये गयेहै । साथही साथ इस स्थल पर ४ कियास्क तथा पार्किंग स्थल का भी प्रस्ताव किया गया है । अतः उर्पयुक्त परिपेक्ष्य में मा० सदस्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

अनुलग्नक विषय सं०-13

पृष्ठ सं० 26

विषय: भूमि खसरा संख्या: 605/1 ग्राम चिनहट का समायोजन के सम्बन्ध में :-

आख्या:

श्री जे० डी० पाण्डेय द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र हेतु भूमि खसरा संख्या: 605 ग्राम चिनहट तहसील व जिला लखनऊ की भूमि का समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। भूमि खसरा संख्या:605 ग्राम चिनहट रकबा बीघा 3-3-15-0 का अर्जन उजरियॉव आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत किया गया है तथा दिनांक 25.2.87 को कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा इस भूमि का अभिनिर्णय भी घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/प्राधिकरण में निहित हो चुका है।

अपर जिलाधिकारी(सदर) के आदेश दिनांक 31.1.95 के अनुसार खसरा संख्या: 605/1 ग्राम चिनहट रकबा बीघा 3-3-15-0 पर सर्व श्री छेदा, छोटेलाल व बैजनाथ पुत्रगण गुलाब का नाम निरस्त कर सर्व श्री जे० डी० पाण्डेय पुत्र स्व० श्री कृष्ण पाण्डेय, राम निहोर त्रिपाठी पुत्र श्री रघुनाथ त्रिपाठी तथा डा० सविता सक्सेना पुत्री पी० एन० सक्सेना का नाम दर्ज किया गया है। यह भूमि चिनहट से गल्हौर जाने वाली सड़क के पूरब में स्थित है तथा श्री जे०डी० पाण्डेय आदि द्वारा उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल तथा एक कमरे का निर्माण किया गया है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की गयी है। उक्त भूमि योजना की बाऊण्ड्री पर स्थिति है तथा इसके पास मधुबन नगर भिलावॉ आवास समिति की भूमि का समायोजन किया जा चुका है अत: श्री जे०डी० पाण्डेय, रामनिहोर त्रिपाठी तथा डा० सविता सक्सेना की उक्त भूमि खसरा संख्या- 605/1 ग्राम चिनहट रकबा बीघा 3-3-15-0 अथवा 8065.03 वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत् भूमि अर्थात 4032.51 वर्ग मीटर का समायोजन प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र चलने हेतु निम्न शर्तों के साथ करने पर विचार किया जा सकता है।——×——×——×——×——×—— ,क्यों कि वर्तमान में विकास प्राधिकरण पर प्रतिकर मद में अत्यधिक धनराशि भुगतान हेतु अवशेष है जिसमें से उजरियॉव आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत प्रतिकर भुगतान हेतु अभिनिर्णय के अनुसार 18.75 करोड़ का भुगतान किया जाना था जिसमें से अब तक 15.00 करोड़ का ही भुगतान किया जा सका है जबकि अभी भी लगभग 3.75 करोड़ का भुगतान किया जाना अवशेष है, जबकि मा० न्यायालयों द्वारा भी प्रतिकर की धनराशि में निरन्तर बढोत्तरी करने से प्राधिकरण पर वित्तीय व्यय भार अधिक हो गया है।प्रार्थियों द्वारा निरन्तर वर्ष 1993 से भूमि का समायोजन जनहित में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करने हेतु प्रार्थना की जा रही है। यह भूमि योजना की सीमा पर स्थित है तथा बगल की भूमि का समायोजन किया जा चुका है। इस लिये जनहित में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में भूमि का

.....2

पृष्ठ स० 27



समायोजन करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि भूमि समायोजन से भूमि का प्रतिकर भुगतान नहीं करना होगा तथा जो 50 प्रतिशत् भूमि प्राधिकरण को प्राप्त होगी उससे भी प्राधिकरण को आय होगी ।

अतः सहमति की दशा में उपरोक्तानुसार निम्न शर्तों के अनुसार समायोजन पर विचार किया जा सकता है:-

1. श्री जे0 डी0 पाण्डेय, श्री राम निहोर त्रिपाठी तथा डा0 सविता सक्सेना को केवल 50 प्रतिशत् ही समायोजन के उपरान्त दी जायेगी ।
2. प्रार्थीगणों द्वारा अपनी पूरी भूमि का प्रतिकर प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
3. श्री जे0 डी0 पाण्डेय आदि द्वारा उन्हें समायोजित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय प्राधिकरण में जमा करना होगा ।
4. यदि प्रार्थीगणों द्वारा भूमि का विक्रय किया जायेगा तो लीज डीड/रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जायेगी ।
5. महायोजना में उल्लिखित मानसिक एवं शुभ्र भूत वाले प्रयोगों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न सुविधाओं हेतु उपयोग अनुमन्य होगा।
6. अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
भविष्य में इस क्षेत्र के अन्य समायोजन कार्यवाही पर विचार करने से पूर्व इस क्षेत्र का सर्वे कराकर निर्माण करने के उपरान्त समायोजन पर विचार किया जाये।

19/1/2000

(एस0 के0 वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता–अर्जन

19/1
(सुनीता चतुर्वेदी)
सचिव

अनुमोदित

(दिवाकर त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

## समायोजन समिति की बैठक की कार्यवृत्ति

उपस्थिति

1. कु0 रेखा गुप्ता, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण,,।
2. श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक, ल0 वि0 प्रा0।
3. श्री मन मोहन, मुख्य लेखाधिकारी, ल0 वि0 प्रा0।
4. श्री एस0 बी0 भट्नागर, इक्जीक्यूटिव सिस्टम/लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता, ल0 वि0 प्रा0।

आख्या

भूमि खासरा संख्या: 605/1 ग्राम चिनहट रकबा 03-3-15-0 बीघा के समायोजन के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ एवं यह भूमि योजना के चिनहट से मल्हौर जाने वाली सड़क के पूरब में स्थित है, जिस पर अभी तक नियोजन की कार्यवाही नहीं की गई है। यदि समायोजन किया जाना है तो पक्ष द्वारा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिकर नही लिया जायेगा तथा 50 प्रतिशत् भूमि भी प्राधिकरण को प्राप्त होगी एवं जो भूमि पक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी, उसका विकास शुल्क भी पक्ष द्वारा प्राधिकरण को देय होगा। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निम्न शर्तो के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर समायोजन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

1. श्री जे0 पी0 पाण्डेय, श्री राम निहोर त्रिपाठी तथा डा0 सविता सक्सेना को केवल 50 प्रतिशत् ही भूमि समायोजन के उपरान्त दी जायेगी ।
2. प्रार्थीगणों द्वारा अपनी पूरी भूमि का प्रतिकर प्राप्त नही किया जायेगा ।
3. श्री जे0 डी0 पाण्डेय आदि द्वारा उन्हे समायोजित की जाने वाली भूमि का विकास शुल्क प्राधिकरण में जमा करना होगा ।
4. यदि प्रार्थीगणों द्वारा भूमि का बिक्रय किया जायेगा तो लीज डीड /रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जायेगी।

5. [illegible]

उपरोक्तानुसार विचार करते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

6 [illegible]

| एस0बी0 भट्नागर | मन मोहन | जी0 पी0 श्रीवास्तव |
|---|---|---|
| इक्जी0सिस्टम/लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता | मुख्य लेखाधिकारी | मुख्य नगर नियोजक |

अनुमोदित

कु0 रेखा गुप्ता

सचिव

# LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

## LUCKNOW

## ANNUAL ACCOUNTS

## 1997 - 98

**B. C. JAIN & CO.,**
CHARTERED ACCOUNTANTS
16/77-A, CIVIL LINES,
KANPUR-208 001

PHONES : 311843, 311380 FAX : 0512-311487 GRAM : COSTAUDIT

## LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

## BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1998

| As at 31.03.97 Rs. | LIABILITIES | SCHEDULE | | As at 31.03.98 Rs. | As at 31.3.97 Rs. | ASSETS | SCHEDULE | | As at 31.03.98 Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,858,175 | RESERVES & SURPLUS : Surplus in Income and Expenditure Account | | | 60,699,518 | | FIXED CAPITAL EXPENDITURE | | | |
| | LOANS : | I | | | 241,318,606 | (a) Fixed Assets : Gross Block | III | 245,366,681 | |
| | | | | | 140,918,789 | LESS: Depreciation | | 152,051,357 | |
| | | | | | 100,399,817 | | | 93,315,324 | |
| 326,915,623 | (a) From Government incl. World Bank | | 326,915,623 | | 2,789,647 | (b) Capital work in-progress | IV | 34,920,898 | 128,236, 222 |
| 532,983,764 | (b) From Housing Urban Development Corpn. of India (HUDCO) | | 546,166,243 | | | CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES : | V | | |
| 88,872,628 | (c) From Housing Development Fin.Corpn.(HDFC) | | 88,180,843 | | | (a) Current Assets : | | | |
| 167,765,894 | (d) From Banks | | 145,458,618 | 1106,721,327 | 1003,831,964 | Stock-in-trade (including Stores) | | 1529,909,240 | |
| | | | | | 562,903,910 | Sundry Debtors | | 564,041,344 | |
| | CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS : | II | | | 217,551,032 | Cash & Bank balances | | 179,548,601 | |
| | | | | | 2,334,000 | Interest accrued but not due on deposits | | 5,406,000 | |
| | | | | | | | | 2278,905,185 | |
| 274,412,338 | (a) Registration Deposit/ Advance against Sales/ Allotment | | 277,944,059 | | | | | | |
| 391,375,000 | (b) Unpaid Compensation of land | | 918,378,000 | | 84,945,663 | (b) Loans & Advances | | 138,767,591 | 2417,672,776 |
| 40,540,000 | (c) Grants & Aids | | 142,791,058 | | | | | | |
| 81,032,611 | (d) Other Liabilities | | 39,375,036 | 1378,488,153 | | | | | |
| 1974,756,033 | TOTAL | | | 2545,908,998 | 1974,756,033 | TOTAL | | | 2545,908,998 |

The Schedules referred to above and the attached Notes form an integral part of the accounts.

### CERTIFICATE

The above Balance Sheet of LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW as at 31st March, 1998 and also the annexed Income and Expenditure Account of the Authority for the year ended on that date have been prepared by us on the basis of information and explanations furnished, books and records made available and such adjustments which were considered by us necessary.

For B. C. JAIN & CO.
Chartered Accountants

( K.L. JETHANI )
Partner

Lucknow
Dated : 16th December, 1999

## LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

### INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1998

| As on 31.03.97 Rs. | EXPENDITURE | SCHEDULE | As on 31.03.98 Rs. | As on 31.03.97 Rs. | I N C O M E | SCHEDULE | As on 31.03.1998 Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883,300,000 | Opening Stock of traded properties (incl.work-in-progress) | | 981,880,000 | 425,604,519 | Sales | IX | 572,169,684 |
| | | | | 23,794,177 | Rent incl. Lease Rent | X | 38,196,432 |
| 180,177,310 | Land Acquisition and Development Expenses | VI | 781,598,561 | 36,307,716 | Other Income | XI | 54,546,422 |
| 178,207,356 | Construction Expenses | VII | 155,229,429 | | | | |
| | | | | 981,880,000 | Closing Stock of traded properties (incl.work-in-progress) | | 1507,625,000 |
| 90,388,265 | Employees Remuneration and other Benefits | | 101,061,063 | | | | |
| 56,918,114 | Administration and other Expenses | VIII | 64,050,736 | 22,742,909 | Balance being deficit Carried down | | 13,786,657 |
| 90,744,315 | Interest | | 91,371,838 | | | | |
| 10,593,961 | Depreciation | | 11,132,568 | | | | |
| 1490,329,321 | T O T A L | | 2186,324,195 | 1490,329,321 | T O T A L | | 2186,324,195 |
| 22,742,909 | Balance brought down | | 13,786,657 | 97,569,531 | Balance brought forward from last account | | 70,858,175 |
| 3,968,447 | Prior period adjustment | | - | | | | |
| 70,858,175 | Balance Carried to Balance Sheet | | 60,699,518 | - | Prior period adjustment | | 3,628,000 |
| 97,569,531 | T O T A L | | 74,486,175 | 97,569,531 | T O T A L | | 74,486,175 |

The Schedules referred to above and the attached Notes form an integral part of the accounts.

C E R T I F I C A T E

As per our certificate at the foot of the Balance Sheet.

For [illegible] C. JAIN & CO.
Chartered Accountants,

( [illegible] L. JEMANI )
Partner

Lucknow
Dated : 16th December, 1999

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - I :: LOANS

| PARTICULARS | | As at 31.03.1998 (Rs.) | | As at 31.03.1997 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| FROM GOVERNMENT : | | | | |
| Opening Balance | 241,909,777 | | 193,035,647 | |
| ADD : Received during the year | - | | 50,000,000 | |
| | 241,909,777 | | 243,035,647 | |
| LESS : Repaid during the year | - | 241,909,777 | 1,125,870 | 241,909,777 |
| Inherited - (Transfer from Mahapalika) : | | | | |
| Balance - transfer from last account | | 1,212,332 | | 1,212,332 |
| Under World Bank Scheme : | | | | |
| Opening Balance | 83,793,514 | | 83,793,514 | |
| ADD : Received during the year | - | | - | |
| | 83,793,514 | | 83,793,514 | |
| LESS : Repaid during the year | - | 83,793,514 | - | 83,793,514 |
| FROM INSTITUTIONS : | | | | |
| HUDCO : | | | | |
| Opening Balance | 532,983,764 | | 510,153,007 | |
| ADD : Received during the year | 146,217,479 | | 150,706,757 | |
| | 679,201,243 | | 660,859,764 | |
| LESS : Repaid during the year | 133,035,000 | 546,166,243 | 127,876,000 | 532,983,764 |
| HDFC : (Housing Dev. Finance Corpn.) | | | | |
| Opening Balance | 88,872,628 | | 89,574,782 | |
| ADD : Received during the year | - | | - | |
| | 88,872,628 | | 89,574,782 | |
| LESS : Repaid during the year | 691,785 | 88,180,843 | 702,154 | 88,872,628 |
| FROM BANKS : : (incl. temporary advances against deposits) | | | | |
| Opening Balance | 167,765,894 | | 174,583,070 | |
| ADD : Received during the year | - | | 37,265,236 | |
| | 167,765,894 | | 211,848,306 | |
| LESS : Repaid during the year | 22,307,276 | 145,458,618 | 44,082,412 | 167,765,894 |
| TOTAL = | | 1106,721,327 | | 1116,537,909 |

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - II :: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

| PARTICULARS | | As at 31.03.1998 (Rs.) | | As at 31.03.1997 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | |
| Registration Deposit and Advances against Sales/allotment | | 277,944,059 | | 274,412,338 |
| Unpaid Compensation of land | | 918,378,000 | | 391,375,000 |
| GRANTS & AIDS - PENDING UTILISATION : | | | | |
| Opening Balance | 40,540,000 | | 17,200,000 | |
| ADD : Received during the year | 638,165,000 | | 35,340,000 | |
| | 678,705,000 | | 52,540,000 | |
| LESS: Adjusted/utilised during the year | 535,913,942 | 142,791,058 | 12,000,000 | 40,540,000 |
| Other Liabilities | | 39,375,036 | | 81,032,611 |
| TOTAL = | | 1378,488,153 | | 787,359,949 |

KANPUR

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - III : FIXED ASSETS

| Particulars of Asset | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at 1.4.97 (Rs.) | Additions Rs. | Adjustment Rs. | As at 31.03.98 Rs. | Upto 31.3.97 Rs. | For the Year Rs. | Upto 31.3.98 Rs. | As at 31.03.98 Rs. | As at 31.03.1997 Rs. |
| Building (transferred from Mahapalika | 8,055,460 | - | - | 8,055,460 | 6,662,196 | 69,663 | 6,731,859 | 1,323,601 | 1,393,264 |
| Office & Administrative Building | 15,379,918 | 2,401,964 | - | 17,781,882 | 5,058,563 | 636,166 | 5,694,729 | 12,087,153 | 10,321,355 |
| Shops & Com.Complex (incl.Community Centre) | 117,787,293 | 2,983,701 | 16,004,825 | 104,766,169 | 60,788,083 | 2,198,904 | 62,986,987 | 41,779,182 | 56,999,210 |
| Plant &Machinery -incl. vehicles | 34,847,717 | 3,616,790 | - | 38,464,507 | 24,956,842 | 3,376,916 | 28,333,758 | 10,130,749 | 9,890,875 |
| Hot Mix Plant | 10,517,878 | - | - | 10,517,878 | 8,111,291 | 601,647 | 8,712,938 | 1,804,940 | 2,406,587 |
| Elec.crematorium | 1,529,251 | - | - | 1,529,251 | 1,358,595 | 42,664 | 1,401,259 | 127,992 | 170,656 |
| Office & other Equipments | 9,098,098 | 4,802,677 | - | 13,900,775 | 5,917,418 | 1,995,839 | 7,913,257 | 5,987,518 | 3,180,680 |
| Furniture and Fixture | 5,934,546 | 847,348 | - | 6,781,894 | 2,330,294 | 445,160 | 2,775,454 | 4,006,440 | 3,604,252 |
| Parks, Sheels & other Beautification works | 28,604,906 | 9,277,238 | 3,876,818 | 34,005,326 | 20,074,555 | 1,393,077 | 21,467,632 | 12,537,694 | 8,530,351 |
| Other Assets | 8,638,549 | - | - | 8,638,549 | 5,090,497 | 354,805 | 5,445,302 | 3,193,247 | 3,548,052 |
| Working Women Hostel | 924,990 | - | - | 924,990 | 570,455 | 17,727 | 588,182 | 336,808 | 354,535 |
| T O T A L = | 241,318,606 | 23,929,718 | 19,881,643 | 245,366,681 | 140,918,789 | 11,132,568 | 152,051,357 | 93,315,324 | 100,399,817 |

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - IV :: CAPITAL WORKS-IN-PROGRESS

| PARTICULARS | Opening Balance | Additions | Adjustment/ Transfer | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|
| Authority Building | - | 12,255,421 | - | 12,255,421 |
| Gandhi Seytu (Bridge) | - | 21,264,306 | - | 21,264,306 |
| Stadium | 621,945 | 779,226 | - | 1,401,171 |
| Other Works | 2,167,702 | 195,534 | 2,363,236 | - |
| TOTAL = | 2,789,647 | 34,494,487 | 2,363,236 | 34,920,898 |

B.C. JAIN & CO. KANPUR

## LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

### SCHEDULE - V :: CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

| PARTICULARS | As at 31.03.1998 (Rs.) | | As at 31.03.1998 (Rs.) | |
|---|---|---|---|---|
| **CURRENT ASSETS :** | | | | |
| **Inventories :** | | | | |
| Construction Material incl. Stores | 22,284,240 | | 21,951,964 | |
| Stock of traded properties incl. work-in-progress | 1507,625,000 | 1529,909,240 | 981,880,000 | 1003,831,964 |
| **Sundry Debtors :** | | | | |
| Amount Receivable against Sales made on Hire purchase basis | 514,555,081 | | 562,422,910 | |
| Due against Deposit works | 48,052,263 | | - | |
| Rent in arrear | 1,434,000 | 564,041,344 | 481,000 | 562,903,910 |
| **Cash and Bank Balances :** | | | | |
| Cash on hand | 189,793 | | 303,638 | |
| Balance with Banks incl. PLA | 59,222,711 | | 178,341,297 | |
| Investments/TDRs with Banks | 120,136,097 | 179,548,601 | 38,906,097 | 217,551,032 |
| Interest Accrued but not due on deposits | | 5,406,000 | | 2,334,000 |
| **LOANS AND ADVANCES :** | | | | |
| Remittences to/Advances with Divisions (Pending adjustment) | 58,983,293 | | 29,417,218 | |
| Advances with Staff | 31,265,657 | | 25,801,125 | |
| Other advances recoverable in | 48,518,641 | 138,767,591 | 29,727,320 | 84,945,663 |
| T O T AL = | | 2417,672,776 | | 1871,566,569 |

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - VI :: LAND ACQUISITION AND DEVELOPMENT EXPENSES

| NAME OF THE SCHEME | Compensation Paid (Rs.) | Development Expenses (Rs.) | Year ended 31.03.1998 (Rs.) | Year ended 31.03.1997 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Kanpur Road | 2,000,000 | 18,129,888 | 20,129,888 | 11,724,552 |
| Gomti Nagar | 2,135,856 | 111,136,884 | 113,272,740 | 106,716,595 |
| Sitapur Road | 1,980,568 | 47,540,257 | 49,520,825 | 19,953,510 |
| Tikait Rai | - | 2,353,281 | 2,353,281 | 1,610,312 |
| Sharda Nagar | - | 14,188,213 | 14,188,213 | 8,562,418 |
| Hardoi Road | 28,192,040 | 1,614,855 | 29,806,895 | - |
| World Bank | - | - | - | 3,119,736 |
| Aliganj | - | 14,112,756 | 14,112,756 | 5,741,023 |
| Other Scheme | 8,180,174 | 25,183,893 | 33,364,067 | 25,263,164 |
| | 42,488,638 | 234,260,027 | 276,748,665 | 182,691,310 |
| ADJUSTMENTS : | | | | |
| ADD : Adjustment towards unpaid Compensation of land | | | 504,849,896 | 7,486,000 |
| | | | 781,598,561 | 190,177,310 |
| LESS : Amount adjusted against Grants and Aids | | | - | 10,000,000 |
| TOTAL = | | | 781,598,561 | 180,177,310 |

NOTE : THE WORK-WISE BREAK-UP OF DEVELOPMENT EXPENSES IS AS UNDER :-

## LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

### BREAK UP OF DEVELOPMENT EXPENDITURE

| SCHEME | Road | Water supply | Drains | Electrification | Parks | Other Dev. works | Mtcc. of Developed works | T O T A L (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanpur Road | 7,804,066<br>(5,945,927) | 4,237,779<br>( 1,446,832) | 1,885,607<br>( 775,434) | 1,058,485<br>( 297,253) | 1,735,651<br>(1,979,417) | 419,212<br>(379,689) | 989,088<br>( - ) | 18,129,888<br>(10,824,552) |
| Gomti Nagar | 55,455,235<br>(37,899,067) | 31,453,564<br>(16,374,883) | 7,665,057<br>(5,090,628) | 4,344,976<br>(8,002,723) | 7,570,363<br>(6,894,503) | 621,588<br>(2,199,965) | 4,026,101<br>( - ) | 111,136,884<br>(76,461,769) |
| Sitapur Road | 5,951,718<br>(3,990,121) | 34,407,841<br>(11,530,389) | 2,472,135<br>(1,023,466) | 1,636,130<br>(2,192,730) | 950,300<br>(1,102,888) | 389,184<br>( 113,916) | 1,732,949<br>( - ) | 47,540,257<br>(19,953,510) |
| Tikait Rai | 869,677<br>( 550,975) | 1,367,581<br>( 756,534) | 45,919<br>(141,427) | -<br>( - ) | 51,683<br>(109,130) | -<br>(52,246) | 18,421<br>( - ) | 2,353,281<br>(1,610,312) |
| Sharda Nagar | 6,529,241<br>(5,433,740) | 1,465,489<br>(1,298,442) | 2,255,972<br>( 899,712) | 3,183,079<br>( 303,790) | 645,296<br>(626,734) | -<br>( - ) | 109,136<br>( - ) | 14,188,213<br>(8,562,418) |
| Aliganj | 1,904,734<br>(986,791) | 8,326,193<br>(4,602,204) | 7,795<br>(55,879) | 29,216<br>( 5,523) | 2,279,622<br>(52,037) | 669,294<br>(38,589) | 895,902<br>( - ) | 14,112,756<br>( 5,741,023) |
| Hardoi Road | 1,614,855<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | 1,614,855<br>( - ) |
| World Bank | -<br>(3,119,736) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>( - ) | -<br>(3,119,736) |
| Other Schemes | 2,122,434<br>(1,872,109) | 1,121,774<br>(1,293,450) | 2,982,986<br>(1,933,887) | 1,749,106<br>(1,271,700) | 5,661,814<br>( 393,858) | 11,073,033<br>(7,051,819) | 472,746<br>( - ) | 25,183,893<br>13,816,823) |
| T O T A L = | 82,251,960<br>(59,798,466) | 82,380,221<br>(37,302,734) | 17,315,471<br>(9,920,433) | 12,000,992<br>(12,073,719) | 18,894,729<br>(11,158,567) | 13,172,311<br>(9,836,224) | 8,244,343<br>( - ) | 234,260,027<br>(140,090,143) |

NOTE : The figures in bracket are in respect of previous year.

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - VII : CONSTRUCTION EXPENSES

| NAME OF THE SCHEME | Year ended 31.03.1998 (Rs.) | Year ended 31.03.1997 (Rs.) |
|---|---|---|
| Kanpur Road | 8,093,733 | 10,964,775 |
| Gomti Nagar | 104,445,344 | 145,150,160 |
| Sitapur Road | 3,052,044 | 4,381,917 |
| Sharda Nagar | 25,823,208 | 15,818,728 |
| Others | 643,922 | 10,748,787 |
| | 142,058,251 | 187,064,367 |
| ADD : Construction Materials (incl. stores) - Consumed | 13,171,178 | 17,316,840 |
| | 155,229,429 | 204,381,207 |
| LESS : Amount adjusted against deposit works | - | 25,173,851 |
| T O T A L = | 155,229,429 | 178,207,356 |

NOTE : The work-wise break-up of Construction Expenses is as under :

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

BREAK-UP OF CONSTRUCTION EXPENSES

| Name of the Scheme | EWS Rs. | L I G Rs. | M I G Rs. | H I G Rs. | ABC/FLATS Rs. | TOTAL Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanpur Road | 3,421,383 | 2,843,652 | 664,524 | 1,164,174 | - | 8,093,733 |
| | ( 1,100,071) | (2,738,629) | (3,944,238) | (3,116,378) | (65,459) | (10,964,775) |
| Gomti Nagar | 678,831 | 3,470,532 | 3,756,149 | 2,046,116 | 94,493,716 | 104,445,344 |
| | ( 897,728) | (3,027,625) | (7,320,158) | (2,625,654) | (131,278,995) | (145,150,160) |
| Sitapur Road | 135,203 | 1,587,884 | 1,103,934 | 225,023 | - | 3,052,044 |
| | ( 170,935) | ( 98,798) | (2,235,862) | (1,876,322) | ( - ) | ( 4,381,917) |
| Sharda Nagar | 21,044,272 | 378,336 | 3,388,748 | 1,011,802 | - | 25,823,208 |
| | (10,522,184) | ( 110,000) | (2,229,088) | (2,957,456) | ( - ) | (15,818,728) |
| Others | - | - | - | 643,922 | - | 643,922 |
| | ( - ) | ( 93,000) | ( - ) | ( - ) | (10,655,787) | (10,743,787) |
| T O T A L = | 25,279,689 | 8,280,454 | 8,913,355 | 5,091,037 | 94,493,716 | 142,058,251 |
| | (12,690,918) | ( 6,068,052) | ( 15,729,346) | (10,575,810) | (142,000,241) | (187,064,367) |

NOTE : The figures in bracket are in respect of previous year.

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - VIII :: ADMINISTRATION AND OTH R EXPENSES

| P A R T I C U L A R S | Year ended 31.03.1998 (Rs.) | | Year ended 31.03.1997 (Rs.) | |
|---|---|---|---|---|
| Printing & Stationery | | 5,920,720 | | 5,461,255 |
| Telephones & Electricity Charges | | 17,608,602 | | 11,000,268 |
| Vehicle Repairs & Maintenance | | 7,971,860 | | 6,774,740 |
| Advertisement & Publicity | | 11,730,300 | | 8,319,965 |
| Legal Expenses | | 3,222,385 | | 1,935,503 |
| Rates and Taxes | | 565,857 | | - |
| Audit Fee | | 650,000 | | 3,600,000 |
| Bank Charges & Guarantee Commission | | 330,000 | | 480,000 |
| Meeting Expenses | | 681,127 | | 650,444 |
| Repairs & Maintenance : | | | | |
| Parks (Net of Grants/aids) | 9,995,471 | | 3,402,281 | |
| Building, Shops & Complex | 227,334 | | 976,101 | |
| Plant & Machinery | 1,034,106 | | 914,057 | |
| Others | 520,995 | 11,777,906 | 3,476,892 | 8,769,331 |
| Other Miscellaneous Expenses | | 3,591,979 | | 9,926,608 |
| T O T A L = | | 64,050,736 | | 56,918,114 |

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - IX :: SALES

| PARTICULARS | Land / Plots (Rs.) | Buildings/Shops (Rs.) | Year ended 31.03.98 (Rs.) | Year ended 31.03.97 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Aliganj | 1,756,385 | 5,974,632 | 7,731,017 | 8,972,682 |
| Kanpur Road | 21,015,953 | 61,697,198 | 82,713,151 | 89,376,719 |
| Gomti Nagar | 156,725,978 | 266,059,468 | 422,785,446 | 287,439,772 |
| Sitapur Road | 17,359,105 | 36,749,698 | 54,108,803 | 52,271,104 |
| Sharda Nagar | 5,698,186 | 16,991,455 | 22,689,641 | 25,093,242 |
| Others | 6,910,691 | 23,098,764 | 30,009,455 | 17,959,358 |
| | 209,466,298 | 410,571,215 | 620,037,513 | 481,112,877 |
| LESS : Amount received against outstanding dues | | | 47,867,829 | 55,508,358 |
| TOTAL = | | | 572,169,684 | 425,604,519 |

S.C. JAIN & CO. KANPUR

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - X :: INCOME FROM RENT

| PARTICULARS | | Year ended 31.03.1998 (Rs.) | | Year ended 31.03.1997 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| LEASE RENT :: | | | | |
| Aliganj Scheme | 1,004,862 | | 1,318,420 | |
| Kanpur Road | 2,572,670 | | 5,804,949 | |
| Gomti Nagar | 14,081,603 | | 6,690,657 | |
| Sitapur Road | 6,485,631 | | 2,073,042 | |
| Sharda Nagar | 4,606,727 | | 2,321,392 | |
| Others | 3,903,190 | 32,654,683 | 1,940,940 | 20,149,400 |
| RENT :: | | | | |
| Shops | 1,541,278 | | 1,791,180 | |
| Buildings | 4,090,302 | | 1,667,297 | |
| Others | 2,585,169 | 8,216,749 | 445,300 | 3,813,777 |
| | | 40,871,432 | | 23,963,177 |
| LESS : Received against Outstanding dues | | 2,675,000 | | 169,000 |
| TOTAL | | 38,196,432 | | 23,794,177 |

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - XI : OTHER INCOME

| PARTICULARS | | Year ended 31.03.1998 (Rs.) | | Year ended 31.03.1997 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Fee, Charges & Penalties : | | | | |
| Development Charges | 12,242,977 | | 4,434,558 | |
| Levy Charges | 8,678,890 | | 1,384,051 | |
| Water and Sever Charges | 3,525,543 | | 2,851,280 | |
| Malwa/staking charges | 2,970,636 | | 2,987,103 | |
| Transfer Fee | 811,735 | | 7,154,957 | |
| Compounding Fee | 1,695,281 | | 2,576,889 | |
| Map Fee | 387,911 | 30,312,973 | 523,958 | 21,912,796 |
| Income from parks | | 1,049,664 | | 896,755 |
| Interest | | 11,340,932 | | 6,064,217 |
| Profit on Sale of rented properties | | 1,600,483 | | 1,084,859 |
| Other Miscellaneous Income | | 10,242,370 | | 6,349,089 |
| TOTAL = | | 54,546,422 | | 36,307,716 |

S. JAIN & CO. KANPUR

## NOTES ON ACCOUNTS

(Annexed to and forming part of Annual Accounts for the year 1997 - 98)

1. The books of account of the Authority are maintained on Cash system of accounting. The annual accounts are, therefore, compiled basically on that System. However, certain adjustments (e.g. unpaid compensation of land acquired, interest accrued on deposits/ investments, amount receivable against sales made on hire-purchase basis, rent in arrear and closing stock of traded - properties etc.) considered by us necessary are made on mercentile/accrual basis. The figures of said adjustments are taken/arrived at on the basis of various details/statements submitted and information and explanations furnished by the different divisions of the Authority.

2. In the absence of adequate information, value of the closing stock of traded properties (developed/undeveloped plots, complete/ in-complete buildings, shops etc. including works in progress) is taken on estimate basis.

3. The stock of construction materials includes amount of materials issued to the Contractors and value of which is deducted and adjusted in books of account at the time of payment of their bills.

4. The figures of Sundry Debtors and Creditors are subject to reconciliation with sub-ledgers and also subject to confirmation from the concern parties.

5. The advances to staff and with divisions are adjusted to the extent details made available to us. The above advances are, therefore subject to reconciliation and or adjustment.

6. The Bank Reconciliation Statements could not be made available. The bank balances (incl. P.L.A.) are, therefore, subject to further reconciliation and confirmation from relative banks.

7. The main office and administrative building of the Authority is situated in Nazul building. Pending formal transfer, no cost of the same has been considered in accounts. However, expenses on additions/ alterations are being capitalized.

8. The depreciation has been provided for on written down value (w.d.v.) method at the rates as specified under Income Tax Act, 1961. Further, depreciation on the assets acquired during the year has been provided for full year irrespective of the date of addition/ acquisition.

9. The amount of unexpired capital commitments, counter guarantees and claims lodged but not acknowledged as debts, if any, are indeterminate.

10. The previous year figures have been regrouped and recasted wherever considered necessary.

# वर्ष 1999-2000 का वास्तविक तथा

# मूल बजट

# वर्ष 2000-2001




# लखनऊ विकास प्राधिकरण

शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्रतिबद्ध

# मूल बजट 2000-2001 की विषय सूची


| क्र०सं० | विषय विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1- | प्रस्तावना | 1-5 |
| 2- | मूल बजट 2000-2001 का तुलनात्मक तथा सारांश एक दृष्टि में | 6 |
| 3- | राजस्व आय | 7-8 |
| 4- | पूँजीगत आय | 9-11 |
| 5- | राजस्व/पूँजीगत आय पर संक्षिप्त टिप्पणी | 12-14 |
| 6- | राजस्व व्यय | 15-18 |
| 7- | पूँजीगत व्यय | 19-21 |
| 8- | राजस्व/पूँजीगत व्यय पर संक्षिप्त टिप्पणी | 22-25 |
| 9- | योजनावार विकास/निर्माण व्यय प्रस्ताव | 26-29 |
| 10- | आय-व्यय सारांश | 30 |

# लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

# 2000-2001

## प्रस्तावना

### 1.2 संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना

सर्वप्रथम लखनऊ नगर में आवास कार्यो का संचालन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १६५६ के अन्तर्गत फरवरी १६६० से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लखनऊ नगर महापालिका के विकास विंग के रूप में, शहर के आवास और विकास कार्यो का संचालन करने लगा। शहर की बढ़ती आबादी के कारण यह अनुभव किया गया कि नगर में विकास और आवास के कार्यो के सुनियोजित ढंग से करने पर ही समस्या को सुलझाना सम्भव होगा। इसके समाधान की दृष्टि से वर्ष 1973 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की रचना की गयी और इसके अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति .सं. 3923/37- वि.प्रा. -72 दिनांक 11.9.1974 द्वारा लखनऊ नगर को योजनाबद्ध विकास हेतु विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका (नगर निगम) की सीमा के अन्दर का क्षेत्र तथा महापालिका सीमाओं में 8 किलो मीटर दूरी का क्षेत्र (कन्टोनमेंट एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा जल-थल नभ सेवा हेतु आरक्षित किये गये क्षेत्र छोडकर) विकासशील सम्मिलित क्षेत्र घोषित किया गया, इस विकासशील क्षेत्र का सुनियोजित ढंग से विकास करने की दृष्टि से लखनऊ विकास प्राधिकरण, की स्थापना शासकीय विज्ञप्ति सं० 2829/37 - 1-स-2 वि.प्रा. दिनांक 13-9-1974 द्वारा की गयी। इस प्रकार अपने सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ लखनऊ नगर महापालिका से अलग होकर प्राधिकरण एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करने लगा।

## 1.2 संगठन

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार हैः-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ | अध्यक्ष |
| 2. | उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ | उपाध्यक्ष |
| 3. | मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका (नगर निगम) लखनऊ | सदस्य (पदेन) |
| 4. | सचिव, आवास एवं नगर विकास, उ.प्र. शासन | सदस्य (पदेन) |
| 5. | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य (पदेन) |
| 6. | मुख्य ग्राम्य एवं ग्राम्य नियोजक, उ.प्र. | सदस्य (पदेन) |
| 7. | प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, (जिसकी स्थापना जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज एक्ट 1975 के अन्तर्गत हुई) | सदस्य (पदेन) |
| 8. | जिलाधिकारी, लखनऊ | सदस्य (पदेन) |
| 9. | शासन द्वारा मनोनीत (अशासकीय सदस्य) | सदस्य (पदेन) |

इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर वर्ष 1998-99 में 116 अधिकारी तथा 1340 कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगियों को छोड़कर) कार्यरत थे एवं अब भी हैं तथा 317 दैनिक वेतन भोगी एवं 511 वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं।

1.3 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-7 के अनुसार प्राधिकरण, का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजनानुसार विकसित करना है। इस प्रयोजन हेतु इसका उद्देश्य निम्न प्रकार हैः-

(1) प्राधिकरण के कार्यो हेतु भूमि तथा अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्यवस्था करना।

(2) निर्माण कार्य, खनन तथा अन्य सम्बन्धित कार्यो को निष्पादित करना।

(3) जल, बिजली के प्रदाय के सम्बन्ध में योजनाओं को निष्पादित करना।

(4) मल का व्ययन करने और अन्य सेवायें एवं सुख-सुविधायें उपलब्ध कराना।

(5) साधारण विकास के प्रयोगों के लिए तथा अनुशासित प्रयोजनों के लिय भी कार्य करना है।

## 1-4 कार्य कलाप

उपरोक्त पैरा में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास प्राधिकरण, निम्नांकित कार्य-कलापों को विशेष रूप से करता है:-

(1) भूमि अर्जन

(2) भूमि विकास

(3) आवासीय भवनों/दुकानों तथा केन्द्रों का निर्माण

(4) दुकानों तथा बहुखण्डीय व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण

(5) मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

(6) भूमि विकास एवं निर्माण विनियम का पालन सुनिश्चित करना।

(7) शासन के निर्देशों के अनुसार नजूल भूमि तथा सम्पत्ति का प्रबन्ध।

(8) सौन्दर्यीकरण/पार्को का निर्माण/रख-रखाव तथा वृक्षारोपण।

(9) इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्देशित कार्य।

**1999-2000** में प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में, कानपुर रोड़, गोमती नगर, सीतापुर रोड़, जानकीपुरम् विस्तार, अवध अपार्टमेंट तथा शारदा नगर थी। इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी योजनायें भी थीं। सरकारी कर्मचारियों हेतु भवन निर्माण, गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड, विनीत खण्ड, विराम खण्ड, शारदा नगर तथा कानपुर रोड़ योजनाओं के विभिन्न खण्डों पर अधिक ध्यान दिया गया और प्रयास किया गया कि इनके विकास कार्य/भवन निर्माण पूर्ण हो जायें।

**1.5** लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट **1997-98** की प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा रही है। **1998-99** तथा **1999-2000** के लेखे चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा संकलित किये जा रहे हैं जो प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

**1.6** प्राधिकरण कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि, पेंशन, सामूहिक जीवन बीमा, की सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण कोष की सुविधा भी प्राप्त है। भविष्य निधि की जमा धनराशि विनियोजित भी कर दी जाती है ताकि कर्मचारियों को अधिक से अधिक ब्याज का लाभ हो सके।

**1.7** लखनऊ विकास प्राधिकरण लेखों का महालेखाकार इलाहाबाद द्वारा **1998-99** तक का परीक्षण किया जा चुका है।

**1.8** वर्ष **1999-2000** में वित्तीय स्थिति को सुदृढ बनाने का प्रयास किया गया तथा वर्ष के अन्त तक अधिक से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की गयी

तथा आवश्यक एवं अपरिहार्य दायित्वों का अधिक सीमा तक भुगतान किया गया। संस्थागत ऋणों के मूल धन तथा ब्याज के भुगतान भी 1999-2000 तक के पूर्ण रूप से किये गये हैं। शासकीय ऋण रू० 983.30 लाख का भुगतान नहीं किया गया है। विभिन्न योजनाओं में शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है, जो शासन स्तर पर लम्बित है।

1.9 वर्ष 2000-2001 हेतु बजट प्रस्ताव तथा पूर्व वर्ष 1999-2000 का बजट योजनाबद्ध रूप से संकलित करके प्रस्तुत किये जा रहे हैं। बजट में इस ओर अधिक ध्यान दिया गया है कि योजना की आय का प्रयोग उसी योजना पर किया जाये ताकि उत्पादक मदों पर धनराशि का अधिक से अधिक व्यय हो सके तथा ऋण लेने से बचा जा सके। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998-99 में सम्पत्ति के विक्रय से रू० 8352.86 लाख के विरूद्ध वर्ष 1999-2000 में रू० 10697.90 लाख की आय हुई जोकि 26.87 प्रतिशत अधिक है तथा बजट 1999-2000 के सापेक्ष 101.08 प्रतिशत आय प्राप्त हुई है तथा प्रतिकर के भुगतान के साथ-साथ ऋणों का भुगतान समयावधि के अन्दर किया गया है। प्राधिकरण कृपया वर्ष 2000-2001 के मूल बजट का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करे। मूल बजट 31.3.2000 की वास्तविक स्थिति पर अनुमानित किया गया है।

# वास्तविक वर्ष 1999-2000 तथा मूल आय-व्ययक

# वर्ष 2000-2001

(लाख रूपये में)

| क्रमांक | मद का विवरण | वास्तविक आंकड़े 1998-99 | अनुमानित आंकड़े 1999-2000 | वास्तवित आंकड़े 1999-2000 | मूल वजट 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रारम्भिक अवशेष | 592.24 | 1930.18 | 1930.18 | 2359.87 |
| 2. | आय | 17206.69 | 19901.00 | 15552.47 | 20503.00 |
| | योग | 17798.93 | 21831.18 | 17482.65 | 22862.87 |
| 3. | व्यय | 15868.75 | 20610.86 | 15122.78 | 22265.00 |
| 4. | अन्तिम अवशेष | 1930.18 | 1220.32 | 2359.87 | 597.87 |
| | योग | 17798.93 | 21831.18 | 17482.65 | 22862.87 |

(सुभाष चन्द्र)
लेखाकार

(पारस नाथ)
सहायक लेखाधिकारी

(मनमोहन)
वित्त नियंत्रक

(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव

# आय पक्ष

## राजस्व लेखा

(लाख रूपये में)

| क्रमांक | मद का नाम | वर्ष 1998-99 का वास्तविक | वर्ष 99-2000 का अनुमानित | 1999-2000 का वास्तविक | वर्ष 2000-2001 का मूलबजट |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1- | किराया | | | | |
| | 1- समस्त योजनाओं का लीज किराया/ फ्री होल्ड शुल्क | 177.65 | 200.00 | 213.60 | 200.00 |
| | 2- भवनों/दुकानों/कार्यालय भवनों का किराया | 40.37 | 80.00 | 23.94 | 50.00 |
| | 3- सामुदायिक केन्द्रो का किराया | 9.41 | 10.00 | 6.96 | 10.00 |
| 2- | स्टाम्प डियूटी से आय | 144.32 | 300.00 | - | 500.00 |
| 3- | योजनाओं का जल सम्पूर्ति/ सीवर चार्जेज | 47.88 | 60.00 | 35.31 | 60.00 |
| 4- | अन्य | | | | |
| | 1- विनियोगों पर व्याज/अन्य | 79.41 | 100.00 | 96.82 | 100.00 |
| 5- | भवन नियंत्रण विभाग से आय | | | | |
| | 1- मानचित्र शुल्क | 8.89 | 5.00 | 8.72 | 10.00 |
| | 2- लेवी चार्जेज | 10.41 | 12.00 | 5.20 | 30.00 |
| | 3- समाधान शुल्क (कम्पाउन्डिंग) | 231.41 | 150.00 | 142.32 | 600.00 |
| | 4- लाइसेंस शुल्क | 1.18 | 2.00 | 1.59 | 2.00 |
| | 5- विकास शुल्क/सृदृढ़ीकरण | 155.95 | 200.00 | 38.64 | 200.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6- मलवा चार्जेज | 26.67 | 35.00 | 20.44 | 20.00 |
| | 7- सुपरवीजन चार्ज | 20.66 | 25.00 | 28.18 | 25.00 |
| 6. | विभिन्न प्रपत्रों की बिक्री से आय | | | | |
| | 1. फार्म/रजिस्ट्रेशन प्रपत्रों / नक्शे की बिक्री से आय | 11.67 | 10.00 | 7.48 | 10.00 |
| 7. | ठेकेदार पंजीकरण शुल्क | 13.40 | 25.00 | 0.77 | 5.00 |
| 8. | पार्कों से आय | | | | |
| | 1. प्राधिकरण पार्कों से आय (नजूल पार्क सहित) | 20.26 | 20.00 | 18.39 | 20.00 |
| 9. | हस्तांतरण शुल्क | 8.11 | 5.00 | 10.61 | 10.00 |
| 10. | अन्य आय | 127.85 | 150.00 | 25.81 | 100.00 |
| | योग | 1135.50 | 1389.00 | 684.78 | 1952.00 |

## पूँजीगत आय

(लाख रूपये में)

| क्रमांक | मद का नाम | वर्ष 1998-99 का वास्तविक | वर्ष 99-2000 का अनुमानित | वर्ष1999-2000 का वास्तविक | वर्ष 2000-2001 का मूलबजट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | हुडको से ऋण | 2367.16 | 4500.00 | 603.04 | 4900.00 |
| 2. | शासन से ऋण | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3. | वित्तीय संस्थाओं से ऋण | - | - | - | - |
| 4. | बैंकों से ऋण | - | - | - | - |
| | योग | 2467.16 | 4600.00 | 603.04 | 5000.00 |
| 6. | शासन से अनुदान (योजनावार) | | | | |
| | 1) अम्बेडकर उद्यान | 65.00 | 500.00 | - | 250.00 |
| | 2) विभिन्न पार्को हेतु | 11.05 | 100.00 | - | - |
| | 3) नजूल पार्क | 61.49 | 7.00 | - | 54.00 |
| | 4) पं0 दीनदयाल पार्क | 50.00 | 100.00 | - | - |
| | 5) महाराजा बिजलीपासी किला | 25.00 | - | - | - |
| | 6) रिंग रोड के समानान्तर नाले के निर्माण हेतु | - | 112.00 | - | - |
| | 7) लक्ष्मण पार्क | - | 50.00 | - | - |
| | 9) स्मृति उपवन | 50.00 | - | - | - |
| | 10)हेरिटेज जोन/अन्य | - | - | 46.16 | 142.00 |
| | योग | 262.54 | 869.00 | 46.16 | 446.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | डिपाजिट कार्य | | | | |
| | 1) सी.एस.आई.गोमती नगर | 830.00 | 300.00 | 200.00 | 250.00 |
| | 2) कन्या महाविद्यालय अलीगंज, लखनऊ | 94.12 | 100.00 | - | 45.00 |
| | 3) अन्य (कैसरबाग तथा हरदोई रोड) | 209.60 | 100.00 | 110.25 | 50.00 |
| | योग | 1133.72 | 500.00 | 310.25 | 345.00 |
| | **सम्पत्ति के आवंटन से आय** | | | | |
| 8 | आवासीय भूखण्डों की बिक्री | 1471.34 | 2900.00 | 2211.60 | 3500.00 |
| 9. | व्यावसायिक भूखण्डों की बिक्री | 2583.71 | 3500.00 | 2399.04 | 3000.00 |
| 10. | भवनों की बिक्री/किस्त से आय | 4008.95 | 3450.00 | 5901.84 | 3500.00 |
| 11. | व्यावसायिक भवनों/दुकानें की बिक्री | 143.40 | 500.00 | 58.03 | 400.00 |
| 12. | किराये की सम्पत्ति की बिक्री से आय | 145.46 | 135.00 | 27.39 | 500.00 |
| | योग | 8352.86 | 10485.00 | 10597.90 | 10900.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | पंजीकरण से आय | | | | |
| | भूखण्ड/भवन/दुकान | 1135.85 | 700.00 | 846.90 | 500.00 |
| 14. | विविध आय | 452.59 | 200.00 | 381.70 | 200.00 |
| | योग | 1588.44 | 900.00 | 1228.60 | 700.00 |
| 15. | भण्डारण की कटौतियॉ | | | | |
| | 1) सीमेंट | 102.33 | 100.00 | 111.20 | 100.00 |
| | 2) स्टील तथा अन्य | 46.47 | 50.00 | 13.57 | 50.00 |
| 16. | उचन्त लेखा | | | | |
| | 1) कर्मचारियों से वाहन ऋण की वापसी | 3.24 | 3.00 | 0.34 | 3.00 |
| | 2) कर्मचारियो से भवन ऋण वापसी | 4.43 | 5.00 | 6.63 | 7.00 |
| | 3) विनियोगों का आहरण | 2110.00 | 1000.00 | 1950.00 | 1000.00 |
| | योग | 2266.47 | 1158.00 | 2081.74 | 1160.00 |
| | कुल योग | 16071.19 | 18512.00 | 14867.69 | 18551.00 |

# मूल बजट 2000-2001 के राजस्व/पूँजीगत, लेखे पर संक्षिप्त टिप्पणी

## आय-पक्ष

राजस्व लेखे की आय पक्ष में आवर्तक मदों से प्राप्त होने वाली आय जमा की जाती है। इस लेखे में प्रमुख मदें विभिन्न किरायों से आय, भवन विभाग से आय विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों से आय तथा पार्को से आय सम्मिलित है।

किराये की मद में लीज किराया, भवनों, दुकानों के किराये शामिल हैं। इसके प्राविधान पूर्व वित्तीय वर्ष के वास्तविक प्राप्ति, बकाया तथा बजट वर्ष की मांग पर आधारित है। वर्ष 1999-2000 के मूल बजट में कुल प्राविधान रू0 290.00 लाख था। जिसके विरूद्ध रू0 244.50 लाख की वास्तविक आय वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुई है। वर्ष 2000-2001 में यह आय रू० 260.00 लाख प्रस्तावित की गई है । किराये के प्राविधान वास्तविक तथा पूर्व वर्षो के बकाये को ध्यान में रख कर प्रस्तावित किये गये हैं। स्टाम्प ड्यूटी से आय वर्ष 2000-2001 हेतु रू0 500.00 लाख प्रस्तावित की गयी है।

भवन नियंत्रण विभाग से मानचित्र, समाधान, लाइसेंस फीस, विकास तथा मलवा चार्जेज की मदों से आय प्राप्त होती है। बजट 1999-2000 में रू0 429.00 लाख प्रस्तावित किये गये थे। इसके विरूद्ध रू0 245.09 लाख की आय वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुई है। वर्ष 2000-2001 हेतु रू० 887.00 लाख का प्राविधान किया गया है नई आवास नीति के अंतर्गत 100 मीटर तक भवनो के मानचित्र पारित कराना अनिवार्य नहीं है । परन्तु एल0डी0ए0 के मानक के अनुसार निर्माण करना आवश्यक है।

पूँजी लेखा, विकास प्राधिकरण के लेखों का मुख्य भाग है जिससे भूमि भवन व्यावसायिक केन्द्र की बिक्री, शासन एवं संस्थागत श्रेणी की प्राप्ति दर्शायी जाती है। इस समय जानकीपुरम् विस्तार, गोमती नगर योजना मे विपुल, वास्तु, विनम्र, विराज इत्यादि खण्डों में भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले वर्ष में देय किश्तों की धनराशि पूर्व वर्षो की बकाया धनराशि तथा बजट वर्ष में नई मांग को ध्यान में रख कर प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। इसी प्रकार शारदा नगर योजना, कानपुर रोड योजना, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम् विस्तार योजना इत्यादि में भी कार्य चल रहे हैं तथा अगले वर्ष में भी योजनाबद्ध रूप से कार्य कराये जाने के प्रस्ताव हैं। आश्रयविहीन हेतु विशेष कर योजनायें चलाई जा रही हैं। अतः भूमि/भवन की बिक्री की मदों में निम्नवत् रूप से प्राविधान रखे गये हैं।

| बिक्री सम्पत्ति | मूल बजट 1999-2000 | वास्तविक 1999-2000 | मूल बजट 2000-2001 |
|---|---|---|---|
| भूमि की बिक्री | 6400.00 | 4610.64 | 6500.00 |
| भवनों आदि की बिक्री | 3950.00 | 5959.87 | 3900.00 |
| किराये की सम्पत्ति की बिक्री से आय | 135.00 | 27.39 | 500.00 |

उपरांकित प्रस्ताव में पूर्व वर्षो की वास्तविक प्राप्ति को ध्यान में रखा गया है तथा अधिक से अधिक बकाये तथा चालू वर्ष की मांग की वसूली को दृष्टि में रखा गया है। साथ ही साथ शासन द्वारा निर्देशित गोमती नगर, विपिन खण्ड में CSI भवन बनाये जा रहे हैं, जिसके निमित्त रू० 300.00 लाख प्राप्ति का प्राविधान किया गया था। जिसके विरूद्ध रू० 200.00 लाख वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुई है। अम्बेडकर पार्क के शेष निर्माण हेतु शासन

से विशेष अनुदान रू0 250.00 लाख प्राप्त करने का प्राविधान किया गया है।

## भवनों की बिक्री:-

हायर परचेज/भवन बिक्री की किश्तों से प्राप्त होने वाली आय की मद में वर्ष 1999-2000 हेतु रू0 3450.00 लाख के प्रस्ताव के विरूद्ध वर्ष 1999-2000 में रू0 5901.84 लाख की आय प्राप्त हुई है । अतः वर्ष 2000-2001 हेतु रू0 3500.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

पूँजी लेखे की प्रमुख मद पंजीकरण से प्राप्त होने वाली आय है। बजट प्राविधान वर्ष 1999-2000 हेतु रू0 700.00 लाख के विरूद्ध रू0 846.90 लाख की आय वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुई है। वर्ष 2000-2001 हेतु रू0 500.00 लाख का प्राविधान रखा गया है।

अपनी सम्पत्ति की बिक्री से होने वाली आय के अतिरिक्त शासन से ऋण/अनुदान/डिपाजिट तथा संस्थागत ऋणों के प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। भूमि अर्जन में अत्यधिक दायित्व भुगतान हेतु लम्बित है; गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण भी किये जाने हैं इस हेतु हुड़को से ऋण प्राप्त किया जाना है इस लिए बजट में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण तथा विकास कार्यो के अन्तर्गत संस्थागत ऋण प्राप्त करने का प्राविधान है।

| | |
|---|---|
| 1. शासन से ऋण<br>(सामान्य प्राधिकरण की योजनाओं हेतु) | रू0 100.00 लाख |
| 2. हुडको से ऋण | रू0 4900.00 लाख |
| 3. शासन से अनुदान | रू0 446.00 लाख |
| 4. डिपाजिट कार्य | रू0 345.00 लाख |
| कुल | रू0 5791.00 लाख |

# व्यय पक्ष

राजस्व व्यय

(लाख रूपये में)

| क्रमांक | मद का नाम | वर्ष 1998-99 का वास्तविक | वर्ष 99-2000 का अनुमानित | वर्ष 99-2000 का वास्तविक (मार्च-2000) | वर्ष2000-2001 का मूलबजट |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 24 | अधिष्ठान के वेतन भत्ते | | | | |
| 010 | सामान्य प्रशासन | 174.95 | 185.00 | 192.06 | 203.00 |
| 020 | लेखा अनुभाग | 39.47 | 54.00 | 42.83 | 59.00 |
| 030 | भवन अनुभाग | 93.22 | 112.00 | 85.35 | 123.00 |
| 040 | सम्पत्ति अनुभाग | 98.67 | 94.00 | 139.89 | 133.00 |
| 050 | किराया अनुभाग | 10.00 | 15.00 | 15.22 | 17.00 |
| 060 | विधि अनुभाग | 18.04 | 20.00 | 20.92 | 22.00 |
| 070 | कास्टिंग अनुभाग | 36.61 | 42.00 | 49.24 | 46.00 |
| 080 | भू-अर्जन अनुभाग | 28.93 | 30.00 | 30.73 | 33.00 |
| 090 | उद्यान अनुभाग | 133.02 | 135.00 | 155.45 | 150.00 |
| 0100 | मुख्य अभियन्ता अनुभाग | 25.00 | 38.00 | 6.68 | 30.00 |
| 0110 | अभियन्त्रण अनुभाग-2 | 388.00 | 397.00 | 649.04 | 470.00 |
| 0120 | नजूल अनुभाग | 21.42 | 26.00 | 27.48 | 30.00 |
| 0130 | स्टोर विभाग (अभियन्त्रण) | 8.25 | 11.00 | 1.99 | 13.00 |
| 0140 | नियोजन विभाग | 28.91 | 31.00 | 26.89 | 35.00 |
| 0150 | न्यायाधिकरण पर व्यय | 11.29 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
| 0160 | पेंशन ग्रोवीडेन्ट फण्ड अवकाश वेतन अंशदान | 78.22 | 82.00 | 157.73 | 95.00 |
| 0170 | सामूहिक बीमा अंशदान | 4.34 | 5.50 | 5.27 | 6.00 |
| 0180 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 7.87 | 8.00 | 10.65 | 10.00 |
| | योग | 1206.21 | 1298.50 | 1632.42 | 1490.00 |

(लाख रूपये में)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | मशीनरी संयंत्र/हल्के तथा अन्य स्टोर का व्यय | | | | |
| 010 | स्टोर/हल्के वाहन/ मशीन मरम्मत | 47.72 | 40.00 | 36.74 | 40.00 |
| 020 | पेट्रोल/ईधन पर व्यय | 41.28 | 40.00 | 44.45 | 40.00 |
| | योग | 89.00 | 80.00 | 81.19 | 80.00 |
| 26 | प्रकीर्ण व्यय | | | | |
| 010 | कानूनी व्यय | 39.18 | 60.00 | 23.49 | 40.00 |
| 020 | स्टेशनरी/प्रिंटिंग | 40.19 | 50.00 | 51.74 | 55.00 |
| 040 | वर्दी | - | 5.00 | 4.48 | 5.00 |
| 050 | (क) टेलीफोन | 12.60 | 12.00 | 15.73 | 15.00 |
| | (ख) बिजली | 244.85 | 200.00 | 301.72 | 200.00 |
| 060 | विज्ञापन | 76.38 | 60.00 | 39.95 | 60.00 |
| 070 | स्थानीय गृहकर एवं जलकर | - | 6.00 | 27.95 | 5.00 |
| 080 | उपाध्यक्ष विवेकाधीन कोष | 1.30 | 5.00 | 1.48 | 5.00 |
| 090 | जलपान व्यय | 4.91 | 5.00 | 4.73 | 3.00 |
| 0100 | आडिट फीस | - | 18.00 | - | 20.00 |
| 0110 | पुस्तकालय, पत्रिका | 2.02 | 1.50 | - | 1.00 |
| 0120 | मानदेय | 1.40 | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
| 0130 | विविध व्यय | 129.93 | 100.00 | 103.69 | 100.00 |
| 0140 | बैंक/शासकीय गारन्टी कमीशन | - | 1.00 | - | 1.00 |
| | योग | 552.76 | 525.50 | 557.16 | 512.00 |

(लाख रूपये में)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | भवनों/पार्को आदि के रख-रखाव/ अन्य विकास तथा कम्प्यूटर के रखरखाव पर व्यय | | | | |
| 010 | कार्यालय भवन का रख-रखाव | 32.63 | 12.00 | 23.56 | 12.00 |
| 020 | आवासीय भवन/दुकानों का रख-रखाव | 5.47 | 2.00 | 5.37 | 20.00 |
| 030 | सा0 केन्द्र का रख-रखाव | 0.47 | 5.00 | 0.24 | 6.00 |
| 040 | सीवरेज/जल सम्पूर्ति का रख-रखाव | - | 5.00 | 0.55 | 50.00 |
| 050 | विद्युत शवदाह गृह का रख-रखाव | 0.93 | 2.00 | - | - |
| 060 | हाट मिक्स प्लान्ट का रख-रखाव (भारी वाहनों सहित) | 3.47 | 5.00 | 5.71 | 5.00 |
| 070 | कम्प्यूटर आदि का रख-रखाव | 10.60 | 5.00 | 7.68 | 5.00 |
| 080 | पार्को आदि के रख-रखाव पर व्यय | 68.30 | 150.00 | 78.76 | 100.00 |
| 090 | सर्वे कार्य पर व्यय | 1.31 | 50.00 | 11.35 | 50.00 |
| 100 | नगर विकास | 104.46 | 300.00 | 33.79 | 200.00 |
| | | 227.64 | 536.00 | 167.01 | 448.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ऋणों पर देय ब्याज की वापसी | | | | |
| 010 | शासन/विश्व बैंक | - | 270.00 | - | 305.00 |
| 020 | हुडको | 913.18 | 1104.00 | 863.51 | 969.00 |
| 030 | बैंक | 167.72 | 332.96 | 169.03 | 277.95 |
| 040 | वित्तीय संस्थाएं | 14.68 | 14.94 | 14.09 | 13.67 |
| | योग- | 1095.58 | 1721.90 | 1046.63 | 1565.62 |
| | कुल योग- | 3171.19 | 4161.90 | 3504.41 | 4095.62 |

## पूँजीगत व्यय

(लाख रूपये में)

| क्रमांक | मद का नाम | वर्ष 1998-99 का वास्तविक | वर्ष 99-2000 का अनुमानित | वर्ष 99-2000 का वास्तविक (मार्च 2000) | वर्ष2000-2001 का मूलबजट |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 080 | भूमि का प्रतिकर | | | | |
| | अध्याप्ति द्वारा | 1357.95 | 2000.00 | 1437.07 | 3500.00 |
| | | 1357.95 | 2000.00 | 1437.07 | 3500.00 |
| 081 | अचल सम्पत्ति पर व्यय | | | | |
| | 1. मशीनरी संयंत्र/भारी वाहनों का क्रय | 1.14 | 2.00 | 25.58 | 10.00 |
| | 2. विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकरण हेतु व्यय | 26.32 | 40.00 | 22.57 | 40.00 |
| | 3. फर्नीचर | 12.78 | 12.00 | 9.18 | 8.00 |
| | | 40.24 | 54.00 | 57.30 | 58.00 |
| 082 | भूमि विकास पर व्यय | | | | |
| | 1. योजनावार (परिशिष्ट-क) | 3182.83 | 5163.00 | 1970.97 | 6200.00 |
| | योग | 3182.83 | 5163.00 | 1970.97 | 6200.00 |
| | 3. योजना अनुरक्षण पर व्यय | 290.32 | 300.00 | 108.26 | 400.00 |
| | योग | 290.32 | 300.00 | 108.26 | 400.00 |
| 083 | निर्माण पर व्यय | | | | |
| | 1. योजनावार (परिशिष्ट-ख) | 2258.77 | 3423.00 | 1572.64 | 2800.00 |
| | योग | 2258.77 | 3423.00 | 1572.64 | 2800.00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| 084 | भण्डार व्यय | | | | |
| | सीमेंट | 112.90 | 125.00 | 142.64 | 150.00 |
| | स्टील/पाइप आदि | 251.06 | 150.00 | 239.59 | 200.00 |
| | योग | 363.96 | 275.00 | 382.23 | 350.00 |
| 085 | ऋणों का प्रतिदान | | | | |
| | 1. शासन/विश्वबैंक | - | 380.00 | - | 260.00 |
| | 2. हुडको | 1342.07 | 1536.00 | 1380.09 | 1518.00 |
| | 3. बैंक | 483.83 | 270.11 | 710.91 | 239.26 |
| | 4. वित्तीय संस्थाएं | 8.10 | 7.85 | 8.71 | 9.12 |
| | 5. अन्य | - | - | - | - |
| | योग | 1834.00 | 2193.96 | 2099.71 | 2026.38 |
| 086 | डिपाजिट वर्क | | | | |
| | 1. सी0एस0आई0 | 323.14 | 500.00 | 308.99 | 560.00 |
| | 2. अम्बेडकर उद्यान | 182.96 | 300.00 | 8.22 | 300.00 |
| | 3. अन्य(लक्ष्मण पार्क सहित) | 40.97 | 25.00 | 0.51 | 30.00 |
| | 4. बिजली पासी का किला | 14.30 | 20.00 | 14.97 | 20.00 |
| | 5. महिला विद्यालय | 25.08 | 75.00 | 48.09 | 20.00 |
| | 6. पं0 दीन दयाल पार्क | 9.47 | 20.00 | 0.67 | 5.00 |
| | 7. रेजीडेन्सी सौन्दर्यीकरण | 2.29 | - | - | - |
| | 8. कैसरबाग/हरदोई रोड़ योजना | 119.78 | 100.00 | - | - |
| | योग | 717.99 | 1040.00 | 381.45 | 935.00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| | उचन्त लेखा | | | | |
| 087 | 1. पंजीकरणशुल्क की वापसी | 641.15 | 700.00 | 1123.54 | 600.00 |
| 088 | 2. कर्मचारियों को भवन, वाहन अग्रिम | 63.37 | 100.00 | 43.31 | 100.00 |
| 089 | 3. सावधिक जमा/ पुनर्विनियोजना | 1620.00 | 1000.00 | 2180.88 | 1000.00 |
| 090 | 4. अन्य | 326.98 | 200.00 | 261.01 | 200.00 |
| | योग | 2651.50 | 2000.00 | 3608.74 | 1900.00 |
| | कुल योग | 12697.56 | 16448.96 | 11618.37 | 18169.38 |

# व्यय पक्ष

## राजस्व/पूँजीगत लेखे

पूँजीगत लेखा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों का प्रमुख अंश है इस लेखों से प्राधिकरण के कार्य-कलापों की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा उससे सम्बन्धित व्यय सम्पन्न किये जाते हैं। प्रमुख मदों पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत प्रस्तुत हैः-

### 1- भूमि अर्जनः

इस मद से प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की जाती है उसका प्रतिकर भुगतान किया जाता है। प्राधिकरण की स्थापना से **1999-2000** तक लगभग **10650.70** एकड़ भूमि अर्जित की गई है जिसका प्रतिकर निरन्तर देने का प्रयास किया जाता रहा है अवशेष प्रतिकर के सम्बन्ध में भुगतान पर अत्यन्त जोर दिया जा रहा है वर्ष **1999-2000** में रू0 **1437.07** लाख का भुगतान इस मद में किया गया है। वर्ष **2000-2001** में अवशेष तथा गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत नई अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु रू0 **3500.00** लाख का प्रस्ताव रखा गया है। इस धनराशि के भुगतान करने के लिए शासन /हुडको से ऋण एवं प्राधिकरण के श्रोतों से भुगतान करने हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

### 2- मशीनरी एवं संयंत्रों का क्रयः-

इस मद में कुल प्राविधान रू0 **58.00** लाख प्रस्तावित है जिसमें विभिन्न विभागों के समन्वित कम्प्यूटरीकरण एवं फर्नीचर क्रय प्रमुख है।

## 3- योजनाओं के विकास कार्यः-

विभिन्न योजनाओं के विभिन्न खण्डों में तीव्र गति से विकास के कार्य चल रहे हैं जिनमें सड़कों के निर्माण, सीवर बिछाने का कार्य जल व्यवस्था तथा प्रकाश व्यवस्था पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। गोमती नगर में नेहरू इन्क्लेव योजना विनीत, विभूति, विपुल तथा विराट, विराज, वास्तु खण्ड तथा गोमती नगर विस्तार योजना इत्यादि में आन्तरिक तथा वाह्य विकास शीघ्रता के साथ पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जायेगा, शारदा नगर के रजनी खण्ड, कानपुर रोड़ के सेक्टर एफ, सेक्टर-आई तथा सेक्टर- बी तथा डी-९ में व्यवसायिक क्षेत्र इत्यादि में तथा सीतापुर रोड़ में जानकीपुरम् विस्तार योजना सहित हरदोई रोड़ योजना कैटिल कालोनी बेगम हजरतमहल पार्क तथा कैसरबाग स्थित निक्सन मार्केट का विकास कार्य तथा अन्य योजनाओं में विकास कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाना है।

बजट में वर्ष **1999-2000** में विकास कार्य तथा अनुरक्षण हेतु **5463.00** लाख का प्राविधान रखा गया था जिसके विरूद्ध **2079.23** लाख का व्यय वर्ष **1999-2000** में किया गया है वर्ष **2000-2001** हेतु **6600.00** लाख व्यय करने हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

सामान्य योजनाओं में विकास कार्यो के अतिरिक्त, योजनाओं तथा अन्य स्थानों पर मनोरंजन स्थल, सौन्दर्यीकरण, पार्को का विकास करने के उद्देश्य से तथा निकटवर्ती ग्रामों के विकास इत्यादि हेतु प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास हेतु रू0 **200.00** लाख का प्राविधान किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार हेतु अन्य संस्थाओं को सहयोग देने हेतु भी प्राविधान किए गए हैं।

## 4- भवन निर्माणः-

भवन निर्माण कार्य प्राधिकरण का प्रमुख कार्य कलाप है इस समय प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड, विराट खण्ड, विनीत खण्ड, विशेष खण्ड, वास्तु खण्ड, विनम्र खण्ड तथा जानकी पुरम विस्तार में भवन निर्माणाधीन है बजट वर्ष में अवध एपार्टमेंट विभव खण्ड, वास्तु खण्ड, विनम्र खण्ड, जानकीपुरम् विस्तार योजना में भवनों का निर्माण तथा गोमती नगर योजना में पुलों के निर्माण तथा कैसरबाग स्थित सब्जी मण्डी स्थल का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष **2000-2001** में निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने एवं गोमती नगर, शारदा नगर, कानपुर रोड़ योजना में नये आवास निर्माण का प्रस्ताव है। साथ ही साथ गोमती नगर में स्थित विराज खण्ड तथा हरदोई रोड योजना में आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार भवनों के निर्माण हेतु रू0 **1870.00** लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है भवन निर्माण के अतिरिक्त दुकानों के सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 **105.00** लाख तथा प्राधिकरण भवन निर्माण हेतु रू0 **200.00** लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

प्राधिकरण अपने योजनाओं के विकास कार्य एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त शासन से भवन निर्माण हेतु डिपाजिट व्यय के रूप में भी बजट में प्राविधानित किया गया है जो निम्न है। अम्बेडकर उद्यान, सी0एस0आई0, महिला विद्यालय आदि जिसके लिए रू0 **880.00** लाख व्यय प्राविधानित किया गया है।

भवन सामग्री क्रय हेतु रू0 **350.00** लाख का प्राविधान किया गया है प्राधिकरण को शासन, हुड़को तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक किस्त व ब्याज हेतु रू0 **3592.20** लाख का प्राविधान किया गया है।

यह मद प्राधिकरण की प्रमुख मद है बजट वर्ष में प्राप्त होने वाले ऋणों पर भी यदि ब्याज देय होगा उसे भी दिया जायेगा।

इस प्रकार राजस्व, पूँजीगत लेखा में रू0 **22265.00** का व्यय प्राविधानित है। प्राधिकरण कृपया निम्नवत् रूप में वर्ष **1999-2000** का वास्तविक तथा वर्ष **2000-2001** का प्रस्तावित बजट पारित करने का कष्ट करें।

# वर्ष 2000-2001 में विकास कार्य तथा अनुरक्षण पर प्रस्तावित व्यय प्रस्ताव (परिशिष्ट ''क'')

(लाख रूपये में)

| क्रम सं0 | योजना का नाम | सड़क/विकास कार्य | जलोत्सारण | जल संपूर्ति | विद्युतीकरण | पार्क | योजना के निकट ग्रामों का विकास | योजनाओं में विकसित कार्यो का रख-रखाव | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | विराज खण्ड | 50.00 | 25.00 | 15.00 | - | 20.00 | 10.00 | - | 120.00 |
| 2. | विक्रान्त खण्ड | 50.00 | 52.00 | 15.00 | - | 5.00 | - | - | 122.00 |
| 3. | विभूति खण्ड | 100.00 | 25.00 | 5.00 | - | - | 10.00 | 10.00 | 150.00 |
| 4. | विनम्र खण्ड | 50.00 | 90.00 | 20.00 | - | 5.00 | - | - | 165.00 |
| 5. | वास्तु खण्ड | 100.00 | 90.00 | 20.00 | - | 10.00 | - | - | 220.00 |
| 6. | विजयन्त खण्ड | 100.00 | 60.00 | 25.00 | - | 10.00 | - | - | 195.00 |
| 7. | विभव खण्ड | 22.00 | 138.00 | 16.00 | - | 5.00 | - | - | 181.00 |
| 8. | विशेष खण्ड | 50.00 | 54.00 | 15.00 | - | 10.00 | 5.50 | - | 134.50 |
| 9. | गोमती नगर तथा गोमती नगर वाह्य विकास | 150.00 | 150.00 | 111.00 | 400.00 | 6.00 | 27.50 | 98.80 | 943.30 |
| 10. | कानपुर रोड़ योजना | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 7.00 | - | 150.00 | 247.00 |
| 11. | कानपुर रोड नवीन व्यवसायिक | 50.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | 60.00 |
| 12. | हरदोई रोड़ योजना | 400.00 | 200.00 | 145.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | - | 920.00 |
| 13. | शारदा नगर | 80.00 | 153.00 | 14.00 | 35.00 | 9.00 | 5.00 | - | 296.00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | विराट खण्ड | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | 34.00 |
| 15. | विनीत खण्ड | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | 30.00 |
| 16. | नेहरू इन्क्लेव योजना | 50.00 | 40.00 | 10.00 | - | - | - | - | 100.00 |
| 17 | राम नगर | - | 280.00 | - | - | - | - | - | 280.00 |
| 18. | गौतमबुद्ध आर०टी०ओ० | 12.00 | 10.00 | 5.00 | - | 2.00 | - | - | 29.00 |
| 19. | ट्रान्सपोर्ट नगर | 25.00 | 20.00 | 0.50 | - | - | 4.00 | 30.00 | 79.50 |
| 20. | जानकीपुरम विस्तार योजना | 238.00 | 188.00 | 166.00 | 300.00 | 12.00 | - | - | 904.00 |
| 21. | सीतापुर रोड योजना | 110.00 | 60.00 | 5.00 | 25.00 | - | - | 20.70 | 220.70 |
| 22. | सीतापुर रोड योजना सेक्टर जे | 135.00 | 120.00 | 35.00 | - | - | - | - | 290.00 |
| 23- | प्रियदर्शिनी | 40.00 | 22.00 | 7.40 | 35.00 | 6.00 | - | 0.50 | 110.90 |
| 24- | अलीगंज योजना | 2.00 | 1.50 | 0.60 | - | - | - | - | 4.10 |
| 25- | अन्य योजनाएं (टिकैतराय, जमुना झील आदि) | 50.00 | 11.50 | 6.50 | 10.00 | 6.00 | - | 80.00 | 164.00 |
| | योग | 1934.00 | 1822.00 | 659.00 | 850.00 | 223.00 | 112.00 | 400.00 | 6000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | योग रू० | 6000.00 | लाख |
| १. | निक्सन मार्केट का विकास कार्य | 50.00 | लाख |
| २. | पी०ए०सी० ग्राउन्ड का विकास | 20.00 | लाख |
| ३. | बेगम हजरत महल पार्क का विकास | 80.00 | लाख |
| ४. | वि०/यां० द्वारा प्राधिकरण योजनाओं में सड़क का निर्माण कार्य | 250.00 | लाख |
| ५. | वि०/यां० द्वारा प्राधिकरण योजनाओं में जल सम्पूर्ति का कार्य | 200.00 | लाख |
| | योग रू० | 6600.00 | लाख |

# वर्ष 2000-2001 में निर्माण कार्य पर प्रस्तावित व्यय प्रस्ताव (परिशिष्ट''ख'')

(लाख रूपये में)

| क्रम सं0 | योजना का नाम | उच्च आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | दुर्बल आय वर्ग | विभिन्न श्रेणी फ्लैट्स | आश्रय विहीन भवन | व्यावसायिक केन्द्र | सामुदायिक केन्द्र | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | विनम्र खण्ड | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | 20.00 |
| 2. | वास्तु खण्ड | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | विजयन्त खण्ड | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 4. | विभव खण्ड | - | 100.00 | - | 30.00 | - | - | - | - | 130.00 |
| 5. | विराट खण्ड | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 6. | विराज खण्ड | - | 50.00 | - | - | - | 90.00 | - | - | 140.00 |
| 7. | अवध अपार्टमेंट | - | - | - | - | 710.00 | - | - | - | 710.00 |
| 8. | हरदोई रोड | 50.00 | 40.00 | 35.00 | - | - | 75.00 | 95.00 | - | 295.00 |
| 9. | प्रियदर्शिनी | - | 30.00 | - | - | - | - | - | - | 30.00 |
| 10. | कानपुर रोड | - | - | - | 70.00 | - | - | - | - | 70.00 |
| 11. | जानकीपुरम विस्तार | - | - | - | - | 75.00 | - | - | - | 75.00 |
| 12. | सीतापुर योजना से०जे० | - | - | - | 150.00 | - | - | - | - | 150.00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | वजीर हसन रोड | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | 40.00 |
| 14. | गोमती नगर | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 5.00 |
| 15. | अन्य योजना (राम नगर/आजाद नगर) | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | 5.00 |
| | | 160.00 | 320.00 | 85.00 | 250.00 | 785.00 | 165.00 | 100.00 | 5.00 | 1870.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | योग रू0 | 1870.00 | लाख |
| १. | तृतीय जलकल हेतु बाउन्ड्रीवाल का निर्माण | 5.00 | लाख |
| २. | कानपुर रोड योजना में पुलिया का निर्माण | 25.00 | लाख |
| ३. | गांधी सेतु का निर्माण | 200.00 | लाख |
| ४. | प्राधिकरण भवन का निर्माण | 200.00 | लाख |
| ५. | कैसरबाग सब्जी मण्डी में निर्माण कार्य। | 100.00 | लाख |
| ६. | गोमती नगर बाढ़ सुरक्षा हेतु | 200.00 | लाख |
| ७. | गोमती नगर विस्तार का विकास कार्य | 200.00 | लाख |
| | योग रू0 | 2800.00 | लाख |

# आय-व्यय का सारांश

| लेखों का नाम | मूल बजट 1999-2000 | वास्तविक 1999-2000 | मूल बजट 2000-2001 |
|---|---|---|---|
| **आय** | | | |
| प्रारम्भिक अवशेष | 1930.18 | 1930.18 | 2359.87 |
| राजस्व | 1389.00 | 684.78 | 1952.00 |
| पूँजी | 18512.00 | 14867.69 | 18551.00 |
| (क) कुल आय- | 21831.18 | 17482.65 | 22862.87 |
| **व्यय** | | | |
| राजस्व | 4161.90 | 3504.41 | 4095.62 |
| पूँजी | 16448.96 | 11618.37 | 18169.38 |
| (ख) कुल व्यय- | 20610.86 | 15122.78 | 22265.00 |
| **सम्भावित अन्तिम** | | | |
| अवशेष (क-ख) | 1220.32 | 2359.87 | 597.87 |
| महायोग | 21831.18 | 17482.65 | 22862.87 |

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 27 मई 2000
का कार्यवृत्त

उपस्थित

| | | |
|---|---|---|
| 1– | श्री सौरभ चन्द्र | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ । |
| 2– | श्री दिवाकर त्रिपाठी | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 3– | श्री आर. के. मित्तल | आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद। |
| 4– | श्री संजय अग्रवाल | जिलाधिकारी, लखनऊ । |
| 5– | श्री संजय भूसरेड्डी | विशेष सचिव–आवास, उ.प्र.शासन |
| 6– | श्री मुरलीधर | अपर निदेशक, उद्योग । |
| 7– | श्री एम.पी अनेजा | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ.प्र. |
| 8– | श्री आर.सी.अस्थाना | मुख्य अभियन्ता, जल निगम (म.क्षे.) |
| 9– | श्री बृजलाल रावत | सदस्य/सभासद, नगर निगम । |
| 10– | श्रीमती उमाशंकरी लोधी | सदस्य/सभासद, नगर निगम । |
| 11– | श्री राम अधार सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 12– | श्री जयपाल सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 13– | डा0 सियाराम | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |

अन्य उपस्थित

| | | |
|---|---|---|
| 14– | कु0 रेखा गुप्ता | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 15– | श्री भूपेन्द्र सिंह, | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 16– | श्री मन मोहन | मुख्य लेखाधिकारी, ल0 वि0 प्रा0 । |
| 17– | श्री जे0 पी0 श्रीवास्तव | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 18– | श्री आनन्द कुमार सिंह | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 19– | श्री एस.बी.भारती | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 20– | श्री एस0 बी0 भटनागर | लागत एवं वित्तीय सलाहकार कम इक्जीक्यूटिव सिस्टम, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 21– | श्री आर. पी. शुक्ला | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |
| 22– | श्री रवि श्रीवास्तव | मुख्य अभियन्ता–विद्युत यांत्रिक, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |

.....

विषय संख्या: 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 22 जनवरी 2000 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 22 जनवरी 2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

क्रमशः----------2

विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक:22 जनवरी 2000 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय: प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

(1)- लखनऊ महानगर में हो रहे अनाधिकृत निर्माणों को तत्काल रोका जाये और भविष्य में अनाधिकृत निर्माण न हों इस हेतु समय- समय पर निरीक्षण किया जाये तथा एक सप्ताह के अन्दर रोस्टर बनाकर प्रस्तुत किया जाये तथा डिमालेशन आदेशों के प्रकरणों की सूची तैयार की जाये। विशेषकर प्रेस क्लब तथा जिमखाना क्लब, वी.आई.पी. क्षेत्रों में बहुद्देशीय अनाधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना दर्ज कराकर उसकी सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाये। अब तक दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टों की सूची प्राधिकरण के समस्त मा0 सदस्यों को भेजी जाये। मुख्य नगर नियोजक से महत्वपूर्ण शमन [illegible] पारित आदेशों का परीक्षण कराया जाये।

(2)- जिन 100 पार्कों का विकास कार्य पूर्ण किया गया है उनमें प्रत्येक में एक अवर अभियन्ता एवं एक माली तैनात करके उसकी सूची नाम सहित पार्क में प्रदर्शित की जाये तथा एक प्रति समस्त मा0 सदस्यों को भेज दी जाये। पदस्थ अवर अभियंता पार्क के आस पास के निवासियों से सम्पर्क स्थापित कर पार्क के सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था रखेंगे ।

(3)- अनुपालन के विषय संख्या:23 व 24 के निर्णयानुसार गठित समिति की संस्तुति के अनुसार डेढ़ एकड़ भूमि दिये जाने के निर्देश दिये गये ।

(4)- अनुपालन के विषय संख्या: 31 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। जब तक केसरबाग मण्डी का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो जाता तब तक उस स्थान पर पार्किंग बना दी जाये ।

(5)- अन्य विन्दु संख्या: 5 के सम्बन्ध में अपर सचिव को निर्देश दिये गये कि अवध अपार्टमेंट में अब तक कुल व्यय कितना हुआ तथा कितनी धनराशि प्राप्त हुई, का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।

निर्णय: विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया ।

क्रमश:----3

विषय संख्या: 4 लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय–व्यय विवरण एवं बैलेन्स शीट वर्ष 1997–98 का अनुमोदन ।

निर्णय: प्रस्तुत आय–व्यय विवरण एवं बैलेन्स शीट वर्ष 1997–98 का अनुमोदन किया गया ।

विषय संख्या: 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय व्ययक वर्ष 2000–2001 के सम्बन्ध में ।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय–व्ययक वर्ष 2000–2001 का अवलोकन किया गया एवं निम्न निर्देश के साथ पारित किया गया:–

(1)– राजस्व आय ÷पूंजीगत आय का 10% ÷ अन्य आय राजस्व व्यय से अधिक होने के सिद्धान्त का अनुपालन होना चाहिये ।

(2)– राजस्व आय पक्ष के वर्ष 2000–2001 के अनुमानों में निम्न संशोधन किये गये : –

| मद संख्या तथा नाम | | प्रस्तावित | प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित |
|---|---|---|---|
| 1.1 | समस्त योजनाओं का लीज किराया/फ्रीहोल्ड शुल्क | 200.00लाख | 250.00लाख |
| 5.5 | विकास शुल्क/सुदृढ़ीकरण | 200.00 लाख | 250.00लाख |
| 5.6 | मलवा चार्जेज | 20.00 लाख | 40.00लाख |
| 5.7 | सुपरवीजन चार्ज | 25.00 लाख | 40.00लाख |
| 7 | ठेकेदार पंजीकरण शुल्क | 5.00 लाख | 20.00लाख |
| 9– | हस्तांतरण शुल्क | 10.00 लाख | 15.00लाख |

(3)– पूंजीगत आय पक्ष में वर्ष 2000–2001 के अनुमानों में निम्न संशोधन किये गये :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9– | व्यवसायिक भूखण्डों की बिक्री | 3000.00 लाख | 4000.00लाख |
| 11– | व्यवसायिक भवनों/दुकानों की बिक्री | 400.00 लाख | 500.00लाख |

(4)– **व्यय पक्ष में राजस्व व्यय** पर निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गए:–

(क)– अधिष्ठान के वेतन भत्ते के मद में वर्ष 2000–2001 के आय व्ययक अनुमानों का आधार स्पष्ट नहीं है। उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 इसको पुनरीक्षित करायें ।

(ख)– कानूनी व्यय पर अंकुश लगाया जाये। कम्प्यूटरीकरण पर व्यय का परीक्षण विशेष सचिव–आवास श्री संजय भूसरेड्डी द्वारा किया जायेगा ।

क्रमशः–––4

(ग)– उच्च तथा मध्यम आय वर्ग के भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाये ।

(घ)– अवध अपार्टमेन्ट परिसर में रिक्त भूमि पर फ्लेट्स की विभागीय पद्धति के अतिरिक्त प्रक्रियाओं से निर्माण के विकल्पों का परीक्षण करके प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

(5)– विश्वास खण्ड स्थित व्यसायिक काम्पलेक्स का जो फ्लोर बेचा गया है उसका पूरा मूल्य प्राप्त हो जाने के बाद ही कब्जा दिया जाये। इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाये ।

(6)– मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सी.एस.आई.बिल्डिंग में "ए" टाईप के 57 फ्लैटों का कब्जा 30 जून 2000 तक दे दिया जायेगा।

विषय संख्या: 6 — जानकीपुरम विस्तार योजना में 45.0 मीटर चौड़ी सड़क की विवादित भूमि के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव ।

निर्णय: — विचार–विमर्श के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई । यह भी निर्देश दिये गये कि सी.टी.सी.पी. मौके का निरीक्षण कर लें तथा यदि कोई आपत्ति हो तो अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

विषय संख्या: 7 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्कूटर/मोटर साइकिल भत्ते में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — विचारोपरांत यह निर्देश दिये गये कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 8 — श्री प्रेमशंकर गुप्ता, लेखा लिपिक के पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — प्रस्ताव पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार देय धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाये ।

विषय संख्या: 9 — श्रीमती परवीन आलिया को शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड–1 में आवंटित भूखण्ड संख्या: 2/3 (540वर्गी.) को गोमती नगर योजना भाग–2 के विराज खण्ड में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — विचार–विमर्श के उपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 10 — गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या:सी.पी.–1 का आवंटन मेसर्स रोमित बिल्डर्स के पक्ष में बहाल किये जाने के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निगोसियेशन किए जायें ।

क्रमशः---5

विषय संख्या: 11 — श्रीमती बीना अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या:4/2–बी प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड) से गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि हाई टेंशन लाईन से प्रभावित समस्त भूखण्डों को सीतापुर रोड योजना में अन्यत्र समायोजित करने की कार्यवाही की जाये। त्रुटिपूर्ण ले–आउट बनाने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाये ।

विषय संख्या: 12 — श्री मुकेश शरन को आवंटित भूखण्ड संख्या:4/3–बी प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड) को गोमती नगर योजना में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सीतापुर रोड योजना में ही उपलब्ध भूखण्डों में समायोजित/परिवर्तित कर दिया जाये ।

विषय संख्या: 13 — कु0 आसमा खान को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित भवन संख्या:एम–11/24 सेक्टर–सी, सीतापुर रोड योजना के विरूद्ध आरोपित ब्याज/दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — विचार–विमर्श के उपरांत ब्याज माफी प्रस्ताव निरस्त किया गया ।

विषय संख्या: 14 — जनपथ मार्केट स्थित दुकान संख्या:बी–51 के बगल में स्थित 84.42 वर्गमीटर भूमि ग्राम विकास विभाग को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि श्री राम प्रकाश गुप्ता एण्ड ब्रदर्स को दी जाने वाली भूमि क्षेत्रफल 26.87वमी. आरक्षित करके शेष भूमि की नीलामी की जाये। जो सर्वोच्च दरें प्राप्त हों, उसी दर पर श्री गुप्ता को भूमि आवंटित किये जाने का आफर दिया जाये ।

विषय संख्या: 15 — श्री भगवान दास गुप्ता को शारदा नगर योजना में आंवटित भवन सं0एच.आई.जी.1/73 रुचि खण्ड के बदले गोमती नगर योजना में भवन संख्या: एच.आई.जी. 4/310 विनीत खण्ड में भवन आवंटन।

निर्णय: — विचार–विगर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि वर्तमान मूल्य पर आवंटन किया जाये।

विषय संख्या: 16 — गोमती नगर योजना भाग–2 के अन्तर्गत हरबिलास कोल्ड स्टोरेज एवं मोटर सेल्स लि0 को भूमि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाँक:19.03.99 के क्रम में समायोजित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — विचार –विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासन के पत्र दिनाँक:10.08.99 के परिप्रेक्ष्य में अर्थ विवेचना का परीक्षण कराया जाये। भूमि को अर्जित करने तथा निर्माण को ध्वस्थ करने पर आने वाले व्यय तथा आय और समायोजन पर आय–व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करके इकॉनाभिक्स सहित आख्या शासन को भेजने हेतु उपाध्यक्ष,ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया । एजेण्डा नोट में शासन के इस पत्र का उल्लेख नहीं था । बोर्ड के समक्ष अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने के लिये सचिव, ल0वि0प्रा0 उत्तरदायित्व निर्धारित करें ।

विषय संख्या: 17 — राम नगर जल निकासी योजना से सम्बन्धित ।

निर्णय: — विचार–विमर्श के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । यह निर्देश दिये गये कि अवस्थापना निधि तथा दशम वित्त से प्राप्त धनराशि डव टेल करके कार्य कराया जाये। परियोजना के आगणन का जल निगम के मुख्य अभियन्ता से परीक्षण करा लिया जाये ।

क्रमश:---6

विषय संख्याः 18 इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान से संलग्न भूमि के भूउपयोग को इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान से अस्पताल भूउपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये । अस्पताल हेतु भूमि निस्तारित किये जाने हेतु मूल्य दर के बारे में भी दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जायें ।

विषय संख्याः 19 मानचित्र स्वीकृत करते समय तथा मानचित्रकारों/वास्तुविदों को अनुज्ञप्ति के समय ली जाने वाली अम्बार फीस, पर्यवेक्षण शुल्क, सुदृढ़ीकरण शुल्क, जल शुल्क तथा अनुज्ञप्ति शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय संख्याः 20 अनार्जित भूमि को योजनान्तर्गत शासन की नीति के अनुसार समायोजित करने के संबंध में।

निर्णयः विचारविमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश तथा आवास विकास के नोटिफिकेशन के अनुसार निगोसियेशन कराकर जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

विषय संख्याः 21 उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद को योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु परिषद के अधिकारियों को शक्ति का प्रतिनिधायन।

निर्णयः विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

अनु.वि.सं0 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य एवं विकास कार्यों के लिये भूमि बन्धक रखकर हुडको से ऋण लिये जाने का प्रस्ताव ।

निर्णयः विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।

अनु.वि.सं. 2 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड में मा0 उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण एवं विकास हेतु निजी वास्तुविद मेसर्स स्काई लाईन को अनुबन्धित करने के सम्बन्ध में ।

क्रमशः7

निर्णयः विचार विमर्श के उपरांत निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2 | सी.टी.सी.पी.उ.प्र. | सदस्य |
| 3 | मुख्य नगर नियोजक | सदस्यसचिव |
| 4 | श्री आर.पी.शुक्ला, मुख्य अभियंता | सदस्य |
| 5 | श्री राम अधार सिंह | सदस्य |

उक्त समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

अनु0वि0सं0 3 विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनाँक:22 जनवरी 2000 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समिति की बैठक की अनुसंशा ।

निर्णयः विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

अनु0वि0सं0 4 यू.पी.आई.एल. कैम्पस ऐशबाग,लखनऊ में विधायक आवासीय योजना हेतु डी.ए.वी. कालेज के सामने ऐशबाग रोड पर स्थित 3000 वर्गमीटर की भूमि के भूउपयोग को आवासीय से (आर3) व्यवसायिक, वाणिज्यक, खण्डीय विपणन केन्द्र में परिवर्तित किये जाने के सम्बनध में ।

निर्णयः विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लेने हेतु अधिकृत करते हुए उपसमिति गठित की गयी जिसमें निम्नांकित सदस्य होगे:

1 मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उ.प्र.
2 मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
3 श्री जयपाल सिंह, सदस्य, ल0वि0प्रा0

उक्त समिति के निर्णय के अनुसार शासन को सूचित कर दिय जाये ।

अनु0वि0सं0 5 मो0 आरिफ, अवर वर्ग सहायक की पत्नी को किडनी कैंसर रोग की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति ।

निर्णयः विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाये ।

अनु0वि0सं0 6 गोतम बुद्ध मार्ग स्थित पुराने आर.टी.ओ. पर टू टियर पार्किंग का निर्माण कार्य ।

निर्णयः विचारविमर्श के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये कि पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

अनु0वि0सं0 7 — श्री डी.सी.मिश्र को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित "अ" श्रेणी के अर्धनिर्मित भवन संख्या:ए4/59 के स्थान पर गोमती नगर योजना में भी भूखण्ड परिवर्तित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

अनु0वि0सं0 8 — अन्तर्राष्टीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचारविमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम नीति निर्धारित कर दिशा निर्देशों के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

अनु0वि0सं0 9 — श्री आर0डी0शर्मा सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता को कानपुर रोड योजना में आवंटित दुकान के स्थान पर महानगर योजना गोल मार्केट में व्यवसायिक भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन ।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उपलब्ध 200वर्गफुट भूमि की नीलामी सुनिश्चित की जाये ।

अनु0वि0सं0 10 — गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भवन संख्या:बी2/195 विराट खण्ड में लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव निरस्त किय गया ।

अनु0वि0सं0 11 — श्रीमती प्रेमलता निगम को आवंटित भूखण्ड संख्या: ए1/35 सेक्टरआई, सीतापुर रोड योजना को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

अनु0वि0सं0 12 — अलीगंज योजना के सेक्टर–जी के अन्तर्गत पुराने हनुमान मन्दिर के पास पार्क के निमार्ण के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सी.टी.सी.पी.उ.प्र. एव श्री जयपाल सिंह स्थल का निरीक्षण कर लेगे । तदोपरांत उनकी संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

क्रमश:------9

अनु0वि0सं0 13 भूखण्ड खसरा संख्याः 605/1 ग्राम चिनहट का समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णयः विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल का सर्वो कराकर ले–आउट बना लिया जाये और समायोजन हेतु समस्त प्रकरणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए।

अन्य विन्दुः

श्री बृजलाल रावत, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रियदर्शनी योजना में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जगह–जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि प्रियदर्शनी योजना के आस–पास बहुत अधिक अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि 31.05.2000 तक निरीक्षण कराकर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

1/6/2000

कु0 रेखा गुप्ता
सचिव

5/6/2000

दिवाकर त्रिपाठी
उपाध्यक्ष

अनुमोदित,

सौरभ चन्द्र
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।